खण्ड-254, अंक-2
मंगलवार, 4 फाल्गुन, शक संवत् 1886
(23 फरवरी, 1965 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 254 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०५–१०९
प्रश्नोत्तर	१०९–१२९
श्री लखपतराम शर्मा द्वारा जानकारी की मांग . .	१२९–१३०
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं .. .	१३०
श्री नौनिहालसिंह चौधरी द्वारा संयुक्त समाजवादी दल से विलग होना ..	१३०
विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के संबंध में जानकारी ..	१३०
श्री टम्बेश्वरप्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट विषय पर परिप्रश्न	१३०–१३१
नियम ५० के अन्तर्गत दी गयी सूचना के संबंध में जानकारी की मांग ..	१३१–१३२
मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना (सदन द्वारा प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी गयी)	१३२–१४३
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या १७—शिक्षा (स्वीकृत)	१४३–१८६
नत्थियां	१८७–१९७

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ फरवरी, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता मे आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश , श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती , श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय श्री,

झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद, पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्र नारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंह नारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाजहसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (राजाजी)
परनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री

बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी , श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल , श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी , श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीन सिंह, श्री
रामआनन्त पाण्डेय, श्री
रामआवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री

रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती , श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ , श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम, शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी ,श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द , श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप , श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय,
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती

सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वित्त मंत्री श्री कैलाशप्रकाश, गृह उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त तथा शिक्षा उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ फरवरी, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

आजमगढ़ जिले में पानी निकासी के लिये सर्वेक्षण

*१—श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २ अगस्त, १९६४ का लिखा हुआ ग्राम सभा मिसरौली, बयरासी, सेमूरी, जमालपुर, मछवारा बेला, सुल्तानपुर, सरवानपुर, गोदसरा, लुधुरी, मुंगेसर, मुंगमास फिरोजपुर, मेलाबांध, कसारा, जयरामगढ़ आदि के प्रधानों तथा ब्लाक प्रमुख, कोपागंज के हस्ताक्षर से पानी की निकासी हेतु प्रार्थना-पत्र उन्हें तथा जिलाधीश आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

विद्युत उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

जी हां, प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ है। पानी निकासी हेतु इस क्षेत्र का सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्वेक्षण का कार्य कब समाप्त हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह कहना तो जरा कठिन है कि कब समाप्त हो जायेगा पर आदेश यह हैं कि इसे जल्द करें।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उन्हें ज्ञात है कि पानी की निकासी न होने के कारण हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गयी, फसल बरबाद हो गयी और सैकड़ों जानवर मारे गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आपने अपने प्रार्थना-पत्र में ही कहा है कि ऐसे गांवों में से ३४ गांव कुछ ऐसे थे जो जलमग्न हो गये। जैसा मैंने कहा सर्वेक्षण करा रहे हैं। रिपोर्ट आने पर आगे कार्यवाही की जायेगी

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि फसल का काफी नुकसान होता है, ब्लाकों के प्रधानों और प्रमुखों ने बहुत ही अहमियत इसकी जतायी है, तो क्या यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि अगली बरसात तक प्रबन्ध हो जायगा। जिससे पानी के लगाव से क्षति न हो सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह पानी की निकासी का काम पहले से ही जारी है। बाढ़ वाले क्षेत्र में आज से नहीं बहुत दिनों से जब अधिक वर्षा हो जाती है तो पानी भर जाता है। १०० गांवों में ३४ गांव अतिवृष्टि से जलमग्न हैं। उस समस्या को हल करने के लिये एक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। जो छोटे होंगे उनका सर्वेक्षण एक वर्ष से पहले हो जायेगा। यह कहना तो कठिन है कि पानी के लगाव को इतने समय में रोका जा सकेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि आज इस प्रकार की समस्या हमारे प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी इलाकों में पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री अपने विभाग को आदेश देंगे कि इस प्रदेश में आम सर्वेक्षण हो और जहां-जहां लगाव हो रहा है कोई सुनियोजित योजना इस प्रदेश के लिये बन सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

ऐसा एक सर्वे किया गया था। इस काम को पूरा करने के लिये १०० करोड़ रु० की जरूरत है जो एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जहां-जहां ऐसी स्कीम बन सके कि समस्या को जल्द दूर कर सकें, कर रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा दिनों में होने वाली हैं उनको लाग टर्म की स्कीमों में लेना पड़ेगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी इस क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रखकर जिला अधिकारियों को आदेश देंगे कि सर्वेक्षण के साथ-साथ ऐसी योजनायें बनायी जायें कि वर्षा के पहले ही कुछ स्थानों से पानी निकाला जा सके ताकि फसलों का जो नुकसान होता है, वह बचाया जा सके ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आपके जिले में बहुत से स्थान ऐसे हैं जो कि पानी से भर जाते हैं, सर्वेक्षण हम लोग करा रहे हैं, पटेल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार जो धन हमें मिलेगा उससे जिलों में स्कीमों को जल्दी कार्यान्वित करायेंगे और जैसे-जैसे बजट में धन मिलता रहेगा, काम होता रहेगा।

बड़हलगंज–डेरवा सड़क की मरम्मत

*२—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया दिनांक २४ मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सड़क में पड़ने वाली भूमि का मुआवजा अभी तक दिया गया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि दिया गया है, तो किस रेट से ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

जी नहीं, भूमि प्राप्त करने की औपचारिक कार्यवाही की जा रही है जिसके उपरान्त जो मुआवजा निर्धारित होगा उसे संबंधित कृषकों को अदा किया जायेगा ।

श्री कल्पनार्थासिंह---

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि जिस जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है इस बात की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र कर देंगे कि किसानों को उस जमीन का लगान न देना पड़े ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

लगान न देने के आदेश तो जारी हो गये हैं । जहां तक मुआवजा देने की बात है उसमें भी कागज बना कर जिलाधीश के यहां भेज दिये गये थे लेकिन कुछ खामियां रह जाने के कारण वे कागज फिर हमारे विभाग को वापस कर दिये गये । अब उनको पूरा करके भेज दिया गया है और आदेश दे दिये हैं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सड़क के लिये जो भूमि ली गयी उसका मुआवजा किस दर से तय किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

तय कहां हुआ है ।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि किस दर से देने का विचार है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

दर का सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जमीन पर सड़क कब बनाई गयी थी और अब तक मुआवजा न देने का कारण क्या था ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

यह तो सड़क बने हुये बहुत दिन हो गये । फ्लड के कारण गांव ऊंचा करने की बात थी । रास्ते में यह सड़क आती थी । गांव वालों ने कहा कि यह हमारी सड़क भी ऊंचा कर दो जिसे ऊंचा कर दिया गया था । जब आदरणीय सदस्यों ने इसका ध्यान दिलाया कि इस का मुआवजा नहीं दिया गया और पुराने कागजात देख कर पता चला कि मुआवजा नहीं दिया गया, तो आदेश दे दिये गये हैं कि मुआविजा दे दिया जाय ।

श्री मैनेजरसिंह---

आये दिन इस आदरणीय सदन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं किसानों को विलम्ब से मुआवजा देने के, तो क्या सरकार इस प्रकार के आदेश प्रदेशीय अधिकारियों को देगी कि वे किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल कब्जा लेने के पहले ही दे दिया करें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा---

एक स्कीम थी पहले जो गांव फ्लड में आ जायं उनको ऊंचा करने की । उसी सिलसिले में यह भी जमीन ली गयी थी । क्योंकि काश्तकार कहा करते थे कि हमारी जमीन को ऊंचा कर दो तो मुआवजा का सवाल नहीं होता था और उसी को हम ऊंचा किया करते थे जिसके लिये कहा करते थे कि हमारी जमीन को, हमारे रास्ते को ऊंचा कर दो और उसी स्कीम के मातहत इस सड़क को ऊंचा कर दिया गया था ।

श्री मैनेजरसिंह—

कि जो भूमि राज्य सरकार अध्याप्त करती है सरकारी कार्यों के लिये उसका मुआवजा किसानों को तत्काल देने के सम्बन्ध में कोई निश्चित आदेश सरकार अधिकारियों को देगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें तो आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस सड़क में कितनी जमीन ली गयी है और उस जमीन का मुआवजा कितने दिन से तैयार किया जा रहा है और किस रेट पर तैयार किया जा रहा है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

श्रीमन्, जमीन १५ एकड़ के करीब है और मुआवजे के लिये आदेश दे दिये गये हैं और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नियमानुसार तय करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

कब से तैयार हो रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमारे यहां से १-६-६४ को आदेश गये हैं ।

ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद में कानपुर क्षेत्र के ड्राइवर

*३—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग के आदेश संख्या ८३५-एफ० पी० टी०/११५ (१)—आर० ई०एस० टी०-६३, लखनऊ दिनांक ७ फरवरी, १९६४ के क्रम में जनरल मैनेजर, कानपुर के आदेश क्रमांक के० आर० ई० (एस० टी०)/३१ (६३)—९१९-पी० सी०, कानपुर, दिनांक ११ फरवरी, १९६४ के अनुसार कानपुर रीजन के कितने ड्राइवर्स २ एम० टी० ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेन्टर, इलाहाबाद में इन्स्ट्रक्टर बना कर भेजे गये और वे वहां कब से कब तक रहे ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

फरवरी १९६३ (न कि १९६४) में कानपुर रीजन के ८ ड्राइवर, ड्राइवर्स ट्रेनिंग सेन्टर इलाहाबाद, में स्थानान्तरित किये गये थे ताकि वे वहां पर ड्राइवर इन्स्ट्रक्टर के पद पर नियुक्त किये जा सकें । शेष सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १८७ पर)

*४—श्री रक्षपालसिंह—

क्या यह सही है कि उक्त ड्राइवर्स इन्स्ट्रक्टर्स को उक्त अवधि का कोई भी टी० ए० अथवा डी० ए० नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उनके उक्त टी० ए० एवं डी० ए० कब तक दे दिये जायेंगे ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

ऐसा नहीं है । कुछ बिलों का भुगतान किया जा चुका है तथा कुछ के भुगतान के लिये कार्यवाही की जा रही है । भुगतान की निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, इसमें दो प्रकार के ड्राइवर्स हैं। कुछ तो ६४ तक और कुछ ६३ तक काम करते रहे हैं। जिन्होंने ६३ तक काम किया है क्या उनका भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो किन-किन का नहीं किया है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

इन ८ ड्राइवरों में से २ ऐसे हैं जिनका पूरा भुगतान हो चुका है और बाकियों का थोड़ा-थोड़ा रह गया है। एक सज्जन श्री अम्बिका प्रसाद तिवारी हैं जिनका १४७.१३ नये पैसे देना बाकी है।

श्री उग्रसेन---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके साथ जो अन्य ड्राइवर्स प्रशिक्षण के लिये गये थे उनका भुगतान कर दिया गया है लेकिन अम्बिका प्रसाद जी का क्यों नहीं किया गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

श्रीमन्, केवल तिवारी जी का ही बाकी नहीं है। सिर्फ दो सज्जन ऐसे हैं जिनका पूरा भुगतान हो चुका है। बाकी का थोड़ा-थोड़ा रह गया है। इनका भुगतान न होने की वजह बिल के बनने में देरी है। वैसे इसमें देरी हुई है, ऐसा हमें भी लगता है।

श्री अध्यक्ष---

वह स्वीकार तो कर रहे हैं कि विलम्ब हुआ है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनकी रकम बाकी है उनको महंगाई देख कर जल्द से जल्द भुगतान करने की कोशिश करेंगे?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जी हां, बिलकुल जल्दी की जायगी।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, जो यह सेंटर है इसमें अन्य रीजन्स से भी लोगों को ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है, तो क्या मंत्री जी कृपा करेंगे कि इनका भी भुगतान जल्दी करा दिया जाय?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

उनका भुगतान नहीं हुआ ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है। हम मानते हैं कि उनका भुगतान हो गया होगा।

श्री उग्रसेन---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ड्राइवरों को वापस क्यों बुला लिया गया?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

जितने दिन काम किया उतनी ही जरूरत थी।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आगे जरूरत की पूर्ति कौन कर रहा है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल---

यहां तो यू० पी० के सारे रीजन्स के ड्राइवर्स जाते हैं और पूर्ति होती रहती है।

[२३ फरवरी, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

[पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

वाराणसी तहसील में नलकूप

*२--श्री ऊदल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बहुतरा, सुरही, पिंडरा दक्षिणी, खालिसपुर, जलालपुर, परसरा, (मानपुर घोघली), वैकुंठपुर, जगदीशपुर, रामपुर परगना, कोल असला एवं कनिपुर पूर्वी, हरिनाथपुर, भरथीपुर परगना पन्द्रह, तहसील व जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु नलकूप लगाने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

ग्राम बहुतरा, सुरही, जगदीशपुर व रामपुर में तृतीय पंचवर्षीय योजना में नलकूप बनाने का प्रस्ताव है तथा शेष ग्रामों में सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के पश्चात् ही यह कहा जा सकेगा कि इन ग्रामों में नलकूप लगाना सम्भव होगा या नहीं ।

श्री ऊदल--

यह जो ४ गांवों का माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया है और यह जानते हुये कि यह तृतीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल चल रहा है, क्या माननीय मंत्री जी ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इस वर्ष के पूरा होते-होते चारो ट्यूबवेल लग जायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह प्रयत्न तो किया जायगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो ५०० नलकूपों की स्कीम है, उसी स्कीम में हमने इनको भी प्रस्तावित किया है ।

श्री ऊदल--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो बाकी गांवों का सर्वेक्षण हो रहा है, यह कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तभी बता सकूंगा ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का यह आखिरी साल चल रहा है तो सर्वेक्षण में देर होने का क्या कारण है कि अब तक इतनी देर हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह जो ४ गांवों का सवाल है वह तो रख दिये गये हैं और तीसरी योजना में पूरे होने का भी प्रयत्न किया जायगा । इनका सर्वेक्षण नहीं हो रहा है वह तो अन्य के लिये है । इसलिये इसका प्रश्न नहीं उठता ।

श्री ऊदल--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि जिन गांवों का जिक्र किया गया वहां नाद नदी और केराकत माइनर के बीच का क्षेत्र है, जिसमें केराकत माइनर से पानी देने की योजना थी और बाद में उसको स्थगित कर दिया गया था, तो क्या अब उस बीच के एरिया में ट्यूबवेल्स लगाने का विचार सरकार करेगी ? इस क्षेत्र में यानी बीच के एरिया में खालिसपुर, जलालपुर, परसरा, काबापुर आदि गांव हैं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हम तो इसको दिखवा रहे हैं। कई चीजें सर्वेक्षण में होती हैं, जिन्हें हमें देखना पड़ता है। वहां पर पानी है या नहीं है, एरिया है या नहीं है, इस पर रिपोर्ट आने पर ही विचार किया जायगा।

*३—श्री ऊदल—

[पाचवें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

कुरावली तथा अन्य स्थानों से सुनारों व राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्र

*४—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सही है कि परिवहन मन्त्री के पास जुलाई और अगस्त, १९६४ ई० में गंगा प्रसाद सुनार, कुरावली, जिला मैनपुरी ने और भी बहुत से सुनारो के कार्य करने वालों ने इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि उनमें से जो लोग सुनारी का कार्य करते थे और अब सब बेरोजगार हैं परन्तु राजनीतिक पीड़ित भी हैं और उम्र भी ५० वर्ष से अधिक है उन्हें सरकार यदि उन्होंने एक बार ही स्वतंत्रता-संग्राम में छः माह की जेल भोगी हो तो राजनीतिक पेंशन देने की कृपा करेंगे? यदि हां तो उन प्रार्थना-पत्रों में क्या हो रहा है?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

श्री गंगा प्रसाद सुनार, कुरावली, जिला मैनपुरी का इस आशय का कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ। सरकारी रिकार्ड में जाति अथवा पेशे के आधार पर राजनीतिक पीड़ितों के प्रार्थना-पत्रों का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार स्वयं इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो सुनारी का काम करते थे वह अब बेरोजगार हो गये हैं और वह राजनीतिक पीड़ित भी हैं और एक बार जेल में भी गये हैं, ऐसे लोगों को सहानुभूति पूर्वक पेंशन दी जाये?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

जब कोई ऐसा विषय सामने आयगा तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि सुनारों के लड़कों को छात्रवृत्ति देने की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या कारण है कि अब तक उनको कोई छात्रवृत्ति नहीं दी गई?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

अध्यक्ष महोदय, छात्रवृत्ति से तो मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है।

श्री ब्रजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनार नहीं हैं किन्तु वृद्ध और अपाहिज हैं तो क्या सरकार ऐसे लोगों को भी पेंशन देने की कृपा करेगी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

यह राजनीतिक पेंशन देने के कुछ नियम बने हुये हैं, उसके आधार पर ही पेंशन दी जाती है, यदि कोई इन नियमों के अन्दर आता है तो उसे पेंशन दी जा सकती है। लेकिन कोई विशेष कारण होता है जैसे अति वृद्ध हो, अपाहिज हो तो उस पर भी विचार किया जाता है।

श्री ऊदल—

इस बात को देखते हुये कि नियम यह है कि जो दो बार जेल गये हों उनको पेंशन दी जाये किन्तु बहुत से ऐसे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हैं जो अपाहिज हैं और एक ही बार जेल गये हैं और लम्बे समय के लिये गये है और वह गरीब हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, तो सरकार क्या इस पर विचार करेगी कि नियमों में कुछ इस प्रकार की ढील दी जाये कि ऐसे लोगों को भी पेंशन मिल सके जबकि वह दो बार जेल न भी गये हों ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

जो नियमों में प्राविधान है उसमें पहले यह छांटा जाता है कि कौन ज्यादा मुस्तहक है। वैसे गरीब तो ऐसा टर्म है जो हर एक के लिये कहा जा सकता है लेकिन अगर कोई बिलकुल माजूर हो तो उसकी मदद करेंगे। असल सवाल यह है कि जो रकम है वह ज्यादा मुस्तहक आदमियों को दी जाय या कम मुस्तहक आदमियों को दी जाय।

श्री कल्पनार्थासिंह—

काछी जी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि वह सुनार भी हैं और राजनीतिक पीड़ित भी, तो क्या ऐसे दोहरे विस्थापित लोगों के लिये दो बार जेलयात्रा सम्बन्धी सुविधा प्रदान करेंगे जबकि उसकी अवस्था ५० वर्ष से ऊपर भी है ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

प्रार्थना-पत्र आने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर लिया जायगा।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या सरकार ने अब तक किसी को इन नियमों के प्राविधान के अलावा पेंशन की सुविधा प्रदान की है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने अर्ज किया कि अगर कोई खास केस आ जाय जिसमें यह मालूम हो कि वह ज्यादा मुस्तहक है तो नियमों पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अब तक आपने किसी को दिया या नहीं यह प्रश्न है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने अर्ज किया कि ऐसा होता है कि प्राविधान जो नियमों में है उनकी परवाह नहीं की जाती। जैसे बलिया में मैं गया था वहां जिन लोगों की जमीनें कट गयीं थीं उनको एक दफे जेल जाने पर ही दे दिया गया। मेडिकल सर्टीफिकेट पर कि बहुत ज्यादा माजूर है, काम का नहीं है, दे दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

पहले यह नियम था कि ४ महीने की सजा पाये हुये को पेंशन दी जायगी। फिर ६ महीने की सजा वाले के लिये हुआ, फिर २ बार जेल गये हुये व्यक्ति के लिये हुआ। इस प्रकार अलग-अलग नियम बनाये गये। कुछ पीड़ित ऐसे हैं जिनको सजा १ बार या २ बार हुई है, तो मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के नियम बनाने में या चालू करने में क्या दिक्कत है कि थोड़े से व्यक्ति जो इस प्रदेश में ६ महीने या ४ महीने सजा पाये हुये बाकी हैं, गरीब है उनके प्रार्थना पत्र आयें तो उनको पेन्शन दे दी जाय ?

श्री मुजफ्फर हसन—

मैंने पहले सवाल की बाबत अर्ज किया कि प्राविधान जितना है वह ऐसा नहीं है कि हर एक जेल जाने वाले को दिया जा सके। अगर ऐसा प्राविधान हो जायगा तो फिर जो हर दरख्वास्त इस तरह की आयेगी उनको दे दिया जायगा। अब जितनी रकम है और उसके लिये जो सिद्धान्त बने हुये हैं वह ऐसे हैं कि जो मुस्तहक ज्यादा हैं उनको दिया जाय। अब एक मर्तबा से दो मर्तबा जेल जाने वाला ज्यादा मुस्तहक है। दो बार जाने में उसने काफी अपनी उमर का हिस्सा उसमें दिया है बमुकाबले उस आदमी के कि जो एक मर्तबा जेल गया है। तो रकम को देखते हुये जो नियम बनाये गये हैं वह इसलिये बनाये गये है कि जो लोग ज्यादा मुस्तहक हैं उनको दिया जा सके। अगर ऐसा प्राविधान हो कि सब को दिया जा सके तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। जितनी दरख्वास्त आयेंगी सब को दे दिया जायगा।

*५—७—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

[पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८—१०—श्री उग्रसेन—

[पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

रजबहा किठौर में पानी की कमी

*११—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार ४ अगस्त, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि जब यह निश्चय है कि रामगंगा योजना पूर्ण होने पर अपर गंगा नहर में अधिक जल उपलब्ध होगा तो २२ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११—१२ के पूरक प्रश्नोंत्तर में दिया हुआ यह आश्वासन कब पूर्ण होगा कि यदि अपर गंगा नहर में पानी उपलब्ध होगा तो रजबहा किठौर की क्षमता बढ़ा दी जायगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

२२ अक्तूबर, १९६३ के तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में पूरक प्रश्नोत्तरों में केवल यह कहा गया था कि "पानी ऊपर उपलब्ध होगा तो जरूर क्षमता बढ़ाई जायेगी" यह कोई आश्वासन नहीं कहा जा सकता क्योंकि क्षमता बढ़ाने या न बढ़ाने की सम्भावना अपर गंगा नहर में अधिक जल उपलब्ध होने पर निर्भर है और चूंकि यह भी रामगंगा प्रायोजना के पूर्ण होने पर निर्भर है, अतएव इसके लिये कोई आश्वासन देने का प्रश्न नहीं उठता।

*१२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार दिनांक ४ अगस्त, १९६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के क्रम में बतायेगी कि जब रामगंगा योजना के पूर्ण होने पर गंगा नहर को अब के मुकाबले में अधिक जल मिलेगा तो उन्होंने दिनांक १० मार्च, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७—८ के उत्तर में यह किस आधार पर कहा था कि पानी ऊपर न उपलब्ध है और न उसके उपलब्ध होने की कोई योजना है ? इन दो परस्पर विरोधी उत्तरों में कौन सा उत्तर सत्य है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

"४—८—६४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के तथा १०—३—६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ७—८ के उत्तरों में कोई विरोध नहीं है। इन दोनों उत्तरों का तात्पर्य केवल यह था कि गंगा नहर में भविष्य में अधिक जल पहुंचाने के लिये ही विशेष रूप से कोई योजना तो नहीं है किन्तु रामगंगा प्रायोजना के पूर्ण हो जाने पर अपर गंगा नहर को अब के मुकाबले में अधिक जल मिल सकेगा ऐसी सम्भावना है। किन्तु इसके लिये कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता।"

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रश्न के संबंध में मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था पहले और अगर आप उस सवाल को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उस सवाल के जवाब में आश्वासन दिया था लेकिन मुझे खेद है कि आज वह उसको वापस ले रहे हैं। यह एक विशेषाधिकार का मामला है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज मंत्री जी उस आश्वासन से वापस जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अपर गंगा नहर में जल उपलब्ध होगा तो रजवहे में पानी बढ़ जायगा, तो जब रामगंगा योजना से अपर गंगा नहर में पानी उपलब्ध है तो क्या कारण है कि इस समय आश्वासन नहीं दिया जा सकता ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मैं यह समझता हूं कि दोनों बातें सही हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि अगर रजबहे के लिये अपर गंगा नहर में अधिक पानी उपलब्ध होगा तो क्षमता बढ़ा दी जायगी। अभी पानी ऊपर उपलब्ध होने का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि अभी कोई स्कीम रामगंगा के ऊपर बनाने की नहीं है। जो रामगंगा की स्कीम है उस रामगंगा की स्कीम से ही गंगा नहर को पानी मिलेगा लेकिन इसमें राम गंगा की स्कीम आयेगी सन् १९७१ में। मैं १९७१ की बात आज कर दूं यह मेरे लिये कठिन है। उस वक्त के लिये मैं आज आश्वासन नहीं दे सकता। पता नहीं उस वक्त आप या मैं यहां पर होंगे या नहीं। राम गंगा नहर में अगर पानी उपलब्ध हुआ तो यह सम्भव है कि गंगा की नहर में पानी बढ़े और रजबहों के लिये भी क्षमता बढ़ जाय। इसी तरह की बातें मैंने उस समय कही थीं और वही बात इसमें कही हैं। इस वजह से ये दोनों बातें सही हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

अब मैं प्रश्न संख्या १२ के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने मंत्री जी से मालूम किया था कि क्या कोई योजना है जिसके जरिये अपर गंगा नहर में पानी उपलब्ध हो सके ? मंत्री जी ने उत्तर दिया था, जी नहीं। फिर मैंने प्रश्न किया कि क्या रामगंगा नहर से पानी उपलब्ध हो सकेगा ? उसका उत्तर मंत्री जी ने हां में दिया। तो इन दोनों जवाबों में जो यह कंट्रेडिशक्न है यह क्यों ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो बहस हो रही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से कौन-सी बात सही है ?

श्री अध्यक्ष--

इसके उत्तर में ही उन्होंने कहा था कि दोनों बातें सही हैं और इस संबंध में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण भी दे दिया है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

मान्यवर, क्या आप इससे संतुष्ट हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मेरी संतुष्टि का सवाल नहीं है।

*१३-१४--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

[पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का रेट

*१५--श्री लखीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा नगरपालिका कोसीकलां में बिजली का रेट कितने पैसे यूनिट सरकार लेती है और इस बिजली के ठेकेदार कौन हैं तथा उनको उत्तर प्रदेश में किन-किन शहरों में ठेका दिया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

कोसीकलां में कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा बिजली दी जाती है। कम्पनी द्वारा ली जाने वाली दरें संलग्न अनुसूची १ में दी गई हैं। इस कम्पनी के पास केवल कोसीकलां में बिजली देने का लाइसेन्स है।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ १८८-१९४ पर)

*१६--श्री लखीसिंह--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा, बृन्दावन व सादाबाद, बलदेव व गोवर्धन व अडीग व राया के बिजली रेट और कोसीकलां के रेट में कितना अन्तर है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

मथुरा, बृन्दावन व सादाबाद की बिजली कम्पनियों द्वारा ली जाने वाली दरें अनुसूची २, ३ तथा ४ में दी गई हैं। अन्य स्थानों में जहां बिजली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा दी जाती है, उसकी दरें अनुसूची ५ में दी गई हैं।

(देखिये नत्थी आगे पृष्ठ १८८-१९४ पर)

*१७--श्री लखीसिंह--

क्या यह सत्य है कि कोसीकलां की जनता जब से बिजली लगी है बारह आने फी यूनिट का रेट देती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जी नहीं।

श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री जी को पता है कि कोसीकलां में ५० पैसे, मथुरा में ३८ पैसे, वृन्दावन में ३८ पैसे, सैदाबाद में ४३ पैसे, मथुरा देहात में ३८ पैसे, फी यूनिट बिजली की दर है ? तो एक ही जिले में इतने विभिन्न दर क्यों हैं और कोसीकलां में ५० पैसे फी यूनिट की दर क्यों है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

क्योंकि कम्पनियां अलग-अलग हैं।

श्री लखीसिंह--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कम्पनी है जिसकी बिजली का रेट ५० नये पैसे प्रति यूनिट हो ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

५० पैसे तो रेट नहीं है। आपने जवाब पूरा पढ़ा नहीं। इसमें ५ पैसे छ ट है प्रति यूनिट की। छू ट के बाद रेट ४५ पैसे रह जाता है। असल में नियम यह है कि कम्पनियां नियम के अनुसार मुनाफा लेती हैं इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार। उससे अगर कम हो तो बढ़ा दिया जाता है और अगर ज्यादा हो तो सरकार उसे कम कर देती है। ऐसा कई कम्पनियों में हमने किया

है। यह कम्पनी घाटे में चल रही है इसलिये उनको अधिकार था कि उस घाटे को पूरा करने के लिये कुछ रेट बढ़ा दें। पहले यह कम्पनी १२ आने की दर लिया करती थी, लेकिन जब से पंजाब की बिजली इनको दी गयी है तब से उनका रेट घट कर ४५ पैसे हो गया है।

श्री लखीसिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह ठेकेदार इतने दिनों से पैसा ऐंठ रहा है तो क्या सरकार इसको अपने हाथ में लेने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष—

उनका जवाब यह है कि हर एक कम्पनी से यह ठेका होता है कि जितना रुपया उसने लगाया है उसके ऊपर इतने फीसदी मुनाफा ले सकते हैं और उस संविदा को पूरा करने के लिये उनको रेट घटाने और बढ़ाने का अधिकार है। वह उस मुनाफे से ज्यादा नहीं ले सकते। अब सवाल इतना रह जाता है कि वह कहते हैं कि इतनी आमदनी नहीं है, इसलिये उसको पूरा कर रहे हैं। ज्यों ज्यों बिजली का विस्तार होता जायगा रेट कम होता जायगा।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस बात को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की है, और बहुत-सी का किया है, तो क्या वजह है कि सरकार इन कम्पनियों को नहीं ले रही है और ५० पैसा प्रति यूनिट जनता से दिलवा रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने जो घोषणा की थी, नियमानुसार यह कहा था कि इन कम्पनियों के लाइसेंस का जो पीरियड है वह जब-जब समाप्त होता जायगा हम उनको लेते जायेंगे। इनका अभी नहीं समाप्त हुआ होगा।

श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मंत्री जी ने बताया कि घाटे में चल रही है इसलिये पैसा ज्यादा ले रही है। तो क्या उन्होंने जांच भी की है या वैसे ही कह रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हर साल हम जांच करते हैं। एक सेल है इंसपेक्टर के यहां जो यह काम किया करता है और जो रिपोर्ट देता है उसके अनुसार हम घटाते-बढ़ाते रहते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मथुरा जिले में कौन-कौन-सी कम्पनियां काम कर रही हैं और क्या उनमें मार्टिन-बर्न भी शामिल है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मथुरा में तो मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है और शाहाबाद में शाहाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है, मार्टिन एंड बर्न नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि सहारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी भी ५० पैसे के हिसाब से चार्ज कर रही है और वह घाटे में नहीं चल रही है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उस कम्पनी की तरफ ध्यान देंगे और उसके रेट कम करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

रीजनेबिल रिटर्न से ज्यादा मुनाफा कोई कम्पनी नहीं ले सकती। हमारा आडिट हर साल चेक करता है। अगर ज्यादा मुनाफा होता है तो उसे कंज्यूमर को अगले साल या दूसरे साल लौटा देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कहेंगे कि सरकार की तरफ से बता रहा हूं, लेकिन उसका ला बना हुआ है, उसके मुताबिक यह है कि इतने परसेंट इंटरेस्ट इनवेस्टमेंट पर कम्पनी को मिला करेगा। सरकारी ऐसे उपकरण हैं जिनके द्वारा जांच होती है और जिनकी रिपोर्ट होती है उसके मुताबिक घटाते–बढ़ाते रहते हैं। अगर आप कहते हैं कि बढ़ा हुआ है तो सूचना दे दीजिये।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब यह कम्पनी खुद बिजली पैदा करती है और जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि पहिले यह १२ आने लेती थी, गवनमेंन्ट उनको बिजली देती है और उस कम्पनी के माध्यम से इतने महंगे रेट पर बिजली बिकवाती है, तो क्या मंत्री जी को इस विषय पर कुछ जानकारी है और क्या वे इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इससे ज्यादा है। हम अपनी बिजली तो नहीं देते लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंन्ट से बिजली लेकर वितरण करते हैं। लेकिन नुकसान और नफा इस बात पर निर्भर है जो लाइन खींची जा रही है और बिजली में भी कई चीजें होती हैं जिन पर खर्चा होता है। इस तमाम को देखकर जो बचता है उस पर इन्टरेस्ट आता है। उस पर रीजनेबिल इन्टरेस्ट लग सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी न कहा कि कम्पनी को हक होता है कि वह मुनाफे की ज्यादा दर रक्खे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब पंजाब, बंगाल और बिहार सरकारों ने कम्पनियों को बिजली देने में नियम बना रक्खे हैं, व्यापारीवर्ग को बिजली देने में एक खास दर नियत की गयी है और उपभोक्ताओं के लिये अलग दर हैं। तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश में भी ऐसे नियम बनायेगी जिसके अन्तगत उत्तर प्रदेश में एक रेट से आमतौर पर बिजली मिला करे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट भारतवर्ष का कानून है और तमाम भारतवर्ष में एक तरह से है। जो रेट निश्चय किये हैं उन पर कोई कम्पनी पैसा लगाने को तैयार नहीं है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मंत्री जी की सरकार ने इस कम्पनी को लाखों रुपया दिया था और उसके बाद मंत्री जी ने सिफारिश की कि पंजाब गवर्नमेन्ट पांच पैसे यूनिट पर देती है, कर्जे का रुपया भी बकाया था, पांच पैसे यूनिट पर मिलने वाली बिजली यहां ४५ पैसे यूनिट पर दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह बात सही है कि हमने ही कम्पनी को पैसा दिया था क्योंकि घाटा ज्यादा हो रहा था, सूद देने में भी दिक्कत पड़ी। पांच पैसे तो नहीं पर हां, पंजाब गवर्नमेन्ट ने बिजली दी है। सारा हिसाब लगाकर देखा गया, तो चूंकि रुपया ज्यादा था इसलिये ८ आने रेट रक्खा गया था।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन् यह कम्पनी तो ५० पैसे प्रति यूनिट चार्ज कर रही है । कुछ एक तो पहिले १२ आने लेते थे । क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कम्पनी कोसीकलां को कितने दिनों से बिजली दे रही है और इसको कितना घाटा हुआ है ? अध्यक्ष जी, इसको घाटा नहीं हो रहा है, यहां पर गोलमाल हो रहा है । क्या मंत्री जी इस कम्पनी को खत्म करके ३८ पैसे वाले रेट पर बिजली दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस कम्पनी को १–६–१९५० को लाइसेन्स दिया गया था । ऐसा नहीं है कि चाहे जिस वक्त ले लें । उस नियम में यह है कि जब लाइसेन्स समाप्त हो जायगा तब हम जरूर इसको ले लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

जब सरकार का लाखों रुपया इसके ऊपर है और उसकी अदायगी नहीं हो रही है तो ऐसी सूरत में क्या सरकार उस कम्पनी को लेने की कृपा करेगी ? जो रुपया कर्जा लिया गया वह समय पर नहीं दिया गया, तो उस कम्पनी को कान्फिस्केट करके सरकार अपने अधिकार में लेने की कृपा करेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने जैसा कहा कर्जा हमारा जो है उसको लेने की बात तो हमारे नियमों के अनुसार ही हो सकती है । अपने रुपये को वसूल करने के लिए हमने नोटिस दे दिया है । हमारे जो नियम हैं उस नियम के अनुसार हम अपना रुपया वसूल करेंगे । जो कर्जा दिया गया है उसके टर्म्स यह हैं कि इतने वर्ष इस तरह से दिया जायगा ।

*१८—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[चौथे मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बाढ़ निरोधक कार्य

*१९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तृतीय पंजवर्षीय योजना में जो धनराशि लगभग ५७५ लाख रुपये बाढ़ निरोधक कार्य के लिये स्वीकृत थी उसमें सरकार ने कितना रुपया और बढ़ाने का इरादा किया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

लगभग ९८ लाख रुपये ।

*२०—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाढ़ निरोधक कार्यों में उपरोक्त बढ़ोत्तरी के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुये हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उपरोक्त बढ़ोत्तरी के अन्तर्गत जो कार्य राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वीकृति हुए हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९५–१९६ पर)

*२१—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजनावधि में राप्ती की बाढ़ कम करने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

राप्ती की बाढ़ कम करने के लिये कोई योजना तृतीय पंच वर्षीय योजना में नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इस प्रदेश की कौन-कौन सी तीन बड़ी-बड़ी नदियां हैं जिनमें सबसे अधिक क्षेत्रफल बाढ़ से प्रभावित होता है और उनकी बाढ़ रोकने के लिये क्या प्राविधान इस योजना में है ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो आपने ऐसा विस्तृत सवाल कर दिया कि जवाब क्या दूं ? राप्ती उन नदियों में से है कि जो बाढ़ से बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राप्ती की बाढ़ रोकने के लिये इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में राप्ती जलकुंडी और गोंडा बहराइच में जलकुंडी के निर्माण की योजना थी, तो उसे स्थगित करने के क्या कारण थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक जलकुंडी योजना प्रस्तावित थी जिससे कि राप्ती की बाढ़ कम हो सकती थी लेकिन उसमें बड़ा भारी हिस्सा नेपाल से संबंध रखता था और उनसे इजाजत मिलने में कुछ कठिनाई थी, तो अभी कुछ समय के लिये वह स्कीम स्थगित कर दी गई है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

जैसा मंत्री जी ने अभी बताया कि जलकुंडी योजना कुछ समय के लिये स्थगित की गई है, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जलकुंडी योजना कब बनी, और किस पंचवर्षीय योजना में इसे पूरा होना था तथा कितने दिन के लिये यह स्थगित रखी गई है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जलकुंडी योजना एक बनी थी, लेकिन नेपाल सरकार से उनकी स्वीकृति नहीं मिली । तो अभी तो वह अस्वीकार कर दी गई है लेकिन मैंने कहा कि आगे देश के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं, फिलहाल इस समय तो स्थगित कर दी गई है, ताल्लुकात अच्छे होने पर ऐसा कोई समय आये कि वह लोग अगर राजी हो गए तो फिर उस पर विचार करेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

कौनसी योजनायें सरकार करने जा रही है जिससे राप्ती की बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तीसरी योजना में जो काम हुए हैं उनकी सूची मैं बता सकाता हूं ।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्रीजी केन्द्रीय सरकार को कहेंगे कि वह एक प्रतिनिधि मंडल राजा राजेन्द्र के पास भेजे जो जलकुन्डी के लिये स्वीकृति लेले, ताकि राप्ती के पेटे की बाढ़ समाप्त हो सकें ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

वह स्वीकृति नैपाल सरकार से मिली नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

दो एक योजनायें जो राप्ती की बाढ़ रोकने के लिये कार्यान्वित की गई हैं वे क्या है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा—

मालौन बांध जिला बस्ती में, (आवाजें—ऐसा कोई बांध नहीं है) भझौलिया बांध, बांसीपनघटिया बांध, हावार्ट बांध का बचाव कार्य, जिला गोरखपुर में मलौनी बांध पर एप्रन डालना, मलोनी बांध पर मील ६ व ७ पर मरम्मत, रूहा के निकट हटाकर बांध बनाना ।

श्री अध्यक्ष—

ये योजनायें सब कार्यान्वित हो चुकी हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसमें लिखा है तृतीय योजनावधि में राप्ती की बाढ़ से क्षेत्र में हानि कम करने के लिये कार्य । मलौनी बांध पहले था, लेकिन उसकी मरम्मत पर १४ लाख रुपया खच हुआ ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

कोई योजना सरकार की है जो राप्ती के बायें किनारे बांसी से लेकर पनघटिया तक बांध की हो और दायें किनारे नदी को छोड़ा जा रहा है, जिससे सारा गोरखपुर जिला बरबाद हो जायगा, तो रावतगंज योजना को भी कार्यान्वित करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि छोटी-छोटी योजनायें बाढ़ का असर कम करने के लिये बनाई । कोई बड़ी योजना नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार अपनी योजनाओं की प्रगति को देखते हुये और राप्ती की बाढ़ को देखते हुये इसके लिये तैयार है कि वह एक कमेटी मुकर्रर करे जो पूरी योजनाओं की सफलता की जानकारी करके सरकार को सुझाव दे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

कोई बड़ी योजना नहीं है ।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या पटेल अयोग की सिफारिश के अनुसार गोरखपुर के मनौली बांध को राप्ती के बायें किनारे होते हुये गायघाट व मदनपुर तक बनाने की योजना है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

नोटिस की जरूरत है ।

*२२–२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

[नवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १–३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रोडवेज मैनेजर, लखनऊ क्षेत्र, के कार्यालय में परीक्षा

*२५—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान प्रबन्धक, रोडवेज (राजकीय), लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय में जो मई या जून, सन् १९६३ में क्लर्क की लिखित परीक्षा हुई थी उस का परीक्षाफल अब तक क्यों नहीं घोषित किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

परीक्षा फल मार्च, १९६४ में ही घोषित किया जा चुका है ।

*२६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त परीक्षा के बाद अब तक कितनी जे० सी० ऐंड बी० सी० की नियुक्तियां हुई हैं और उन नियुक्ति किये गये क्लर्कों में से क्या कुछ ऐसे भी हैं जो परीक्षा में नहीं बैठे थे ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

परीक्षा के बाद १४६ जे० सी०/बी० सी० की नियुक्त हुई हैं । इनमें से निम्नलिखित व्यक्ति परीक्षा में नहीं बैठे थे :

(१) श्री उमा शंकर बाजपेई
(२) श्री रमाशंकर बाजपोई
(३) श्री ओम प्रकाश तिवारी
(४) श्री सूर्याति सिंह
(५) श्री हरिश्चन्द्र
(६) श्री मुहम्मद नवाब खां
(७) श्री जय नारायण वर्मा ।

श्री रियासत हुसैन—

उस इम्तिहान में कितने लोग शामिल हुये और कितने पास हुये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१४४९ लोगों के प्रार्थना पत्र आये, इम्तिहान में ९२२ बैठे । उनमें से ५११ पास हुये । ५११ में से साक्षात्कार के लिये ३८७ आये, जिनमें से २०३ चुने गये ।

श्री रियासत हुसैन—

कुल १८६ लिये गये हैं, तो और पास शुदा अभी बाकी हैं । फिर जो इम्तिहान में नहीं बैठे, वे क्यों लिये गये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

पास वालों में से सिर्फ २ बाकी हैं जो नहीं लिये गये । उन्होंने असिस्टेन्ट ग्रेड २ पर तो काम करने की रजाबन्दी दी लेकिन ए० बी० सी० पर काम करने के लिये राजी नहीं हुये ।

*२७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[तीसरे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

नोट :—तारांकित प्रश्न २६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

*२८—श्री कमलासिंह यादव—

[हटा दिया गया ।]

एटा-मैनपुरी बस सर्विस

*२९—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि एटा से मैनपुरी के लिये शाम छः बजे के बाद से नौ बजे रात तक कोई बस नहीं छोड़ी जाती है और सैकड़ों व्यक्ति ट्रकों में बैठकर सफर करते हैं या वहीं रह जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि शाम छः बजे से रात नौ बजे के बीच में दो बसें और छोड़ी जाया करें ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न में केवल यह सही है कि शाम के ६ बजे से रात के नौ बजे तक कोई बस नहीं छोड़ी जाती । सुझाव के बारे में विचार किया जायेगा ।

*३०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[हटा दिया गया ।]

*३१-३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[पांचवें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सिंचाई वर्कशाप, इज्जतनगर द्वारा किये गये कार्य

*३३—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या यह सही है कि निम्नलिखित निर्माण कार्य जो लाखों रुपये मूल्य के हैं बरेली की सिंचाई वर्क शाप इज्जतनगर, द्वारा पूर्ण कर दिए गये हैं परन्तु उनके प्राक्कलन अभी तक स्वीकृत नहीं हैं :—

(अ) शोहरत गढ़ (बस्ती) के लिए बान गंगा गेट्स,
(ब) अपर खजूरी के लिए गेट्स,
(स) पी० डब्लू० डी० का १२० स्पेन पुल हेतु,
(द) २३ अदद ६०×२३' साइज माता टीला के फ्लड गेट्स,
(य) अण्डर सल्यूस गेट्स नरौरा बांध के लिए,
(फ) रेगूलर गेट्स नरौरा के लिए,
(क) ३२'×९' के दो गेट्स राप्ती इरीगेशन प्रोजेक्ट, भरतपुर के लिए,
(ख) ३०'×१३' के गेट्स रंगवां नौगढ़ व सिरसी के लिए ?

यदि हां, तो उपरोक्त कार्य कब प्रारंभ किए गये, कब पूर्ण हुए ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

वांछित सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९७ पर ।)

गाजीपुर जिले के लिये सिंचाई सुविधायें

*३४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के गोठौली (सैदपुर ग्रुप) नलकूप से पानी खारी होने के कारण किसान सिंचाई करने से इनकार कर रहे हैं और उनकी फसलें भी खराब हो गई हैं ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र को अच्छा पानी देने के लिए क्या कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस नलकूप का पानी खारी है परन्तु इस कारण फसलों के खराब होने अथवा किसानों द्वारा सिचाई से इन्कार करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। १३७२ फसली में अब तक यह नलकूप १४२० घंटे चला है और १६२ एकड़ की सिचाई हुई है।

*३५—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के लालगंज मंगारी ड्रेन (केनाल) को बन्द किया जा रहा है और उसके स्थान पर ट्यूब वेल की योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो क्यों और कितनी जमीन इस संबंध में ली गई है?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जिले में लालगंज उप-शाखा (डिस्ट्रीव्यूटरी) में पानी यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाने के विचार हैं और इसके लिए अभी कोई जमीन नहीं ली गई है। मंगारी ड्रेन को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सयाना क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें

*३६—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सयाना, जिला बुलन्दशहर, में ऐसे क्षेत्रों का सरकार ने सर्वेक्षण किया है जो कि ४०० (चार सौ) एकड़ या इससे अधिक हैं और उनमें राजकीय सिचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? यदि किया है, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से ग्रामों में हैं? यदि नहीं किया है, तो क्या सरकार ऐसे आवश्यक सर्वेक्षण की ओर ध्यान देगी और शीघ्रातिशीघ्र वहां राजकीय नलकूपों के निर्माण की व्यवस्था करेगी जिस-स कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके?

श्री गिरधारीलाल—

इन क्षेत्रों का अभी सर्वे हो रहा है। सर्वे पूरा होने पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है।

गंगा नदी पर ननौरा पुल निर्माण

*३७—श्री हिम्मतसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ननौरा, जिला बुलन्दशहर, में जो गंगा नदी पर पुलों का निर्माण किया जा रहा है, बरसात से पहले इस वर्ष १९६४ में काम बन्द करने के आदेश जून के महीने में भेजे थे लेकिन वहां के कर्मचारियों न काम बन्द नहीं किया? यदि हां, तो कितने का नुकसान हुआ और किसकी गफलत से हुआ और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—

जून, १९६४ में वर्षा के पूर्व कार्य बन्द करने का आदेश दिया गया था। तदनुसार कार्य बन्द करने की तिथि ३० जून निर्धारित की गई थी। अतः कर्मचारियों द्वारा काम बन्द न करने का प्रश्न नहीं है।

२८ जून, १९६४ को रेत के अस्थाई बन्ध में दरार पड़ने के कारण पानी भरने से लगभग ३४,००० रु० की निर्माण सामग्री की क्षति हुई।

*३८-४०---[हटा दिये गये ।]

*४१---श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)---

[हटा दिया गया ।]

*४२-४४---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---

[चौथे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या ७०-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किए गये ।]

विकास खंड, सहावर में नाले का निर्माण

*४५---श्री बेदराम (जिला एटा)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला स्थित विकास खंड सहावर में जहांगीरपुर से सिटाली तक के नाले का कोई सर्वेक्षण राज्य सरकार द्वारा १९६४ में कराया गया था ? यदि हां, तो उक्त नाला कब तक बन कर तैयार हो जाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतारांकित प्रश्न

अहरौला विकास खंड का बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र

१---श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि आजमगढ़ जिले के अन्तर्गत अहरौला ब्लाक का काफी भाग प्रति वर्ष टोंस नदी की बाढ़ से प्रभावित हुआ करता है ?

श्री गिरधारीलाल---

इस ब्लाक का कुछ भाग टोन्स नदी की बाढ़ से प्रति वर्ष प्रभावित हुआ करता है ।

२---श्री बृजबिहारी---

क्या सरकार जिले के लिए बाढ़ सुरक्षा के लिए स्वीकृत धनराशि में से अहरौला के पश्चिम वाले नाले में एक छोटे से पुल का निर्माण कराकर उन गांवों के निवासियों को यातायात की सुविधा देने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

वर्तमान समय में बाढ़ सुरक्षा की स्वीकृत धनराशि में से पुल बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त वहां पर कोई ग्राम सड़क भी नहीं है । केवल पगडंडी रास्ता है जिस पर पुल बनाना सम्भव नहीं है ।

गऊघाट गांव को आरटीजन वेल से क्षति

३---श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गऊघाट गांव, तहसील किछा, जिला नैनीताल, में कोई आरटिजन वैल है जो साल भर पानी देता रहता है और उसके पानी से खेतों को काफी नुकसान पहुंच रहा है?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां, इस आरटिजन वेल के फालतू पानी को निकालने के लिये ६ फर्लांग लम्बी नाली विभाग द्वारा बनाई गई है जिससे पानी निकट के नाले में चला जाता है। इस नाली को किसानों ने जगह-जगह पर काट दिया है और कहीं-कहीं जोत भी डाला, जिसके कारण पानी इधर-उधर खेतों में भरा रहने लगा है।

४--श्री मुहम्मद रफी खां--

क्या सरकार उस आरटिजन वैल का फालतू पानी निकालने के लिये पक्की नालियां जल्दी ही बनवाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

विभाग द्वारा इस नाली को अब ठीक करा दिया गया है तथा भविष्य में इसकी समुचित व्यवस्था के लिये विभाग इसे अपने हाथ में लेने की कार्यवाही कर रहा है।

आगरा तथा कानपुर क्षेत्रों में रोडवेज कर्मचारियों की वेतन-वृद्धि

५--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा और कानपुर रीजन के रोडवेज विभाग के कितने कन्डक्टरों, ड्राइवरों तथा क्लर्कों की वेतन-वृद्धि कितने समय से रुकी हुई है और क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

आगरा रीजन में २१ ड्राइवर, ६४ कन्डक्टर तथा ६ कलर्कों की वेतन-वृद्धि लगभग ३ से १ वर्ष तक के समय से उनके दन्डित होने क कारण रोकी गई है। कानपुर रीजन में १५ कन्डक्टर, ९ ड्राइवर तथा १५ क्लर्कों की वेतन-वृद्धि लगभग १ साल से कुछ प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण नहीं दी जा सकी है।

६--श्री सूबेदारसिंह--

क्या सरकार को मालूम है कि आम चुनाव में सरकारी जीपों पर मैनपुरी जिले में काम करने वाले कुछ रोडवेज के ड्राइवरों के भत्ते अब तक नहीं मिले हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन--

सबके भत्ते दे दिये गये हैं।

श्री लखपतराम शर्मा द्वारा जानकारी की मांग

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

श्रीमन्, यह आज की ही बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि बार-बार खड़े होने पर भी आपका ध्यान मैं आकर्षित नहीं कर पाता। अगर कानून में संशोधन होता तो आज बहुत से विरोधी दल के माननोय सदस्य मंत्री होते और मुझे भी आपकी इजाजत नहीं लेनी पड़ती। मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानकारी चाहता हूं कि अभी सरकार ने बताया कि उनकी नीति यह है कि कोई बिजली कम्पनी यदि घाटे में चलती है तो प्रति यूनिट वहां की दर बढ़ा दी जाती है...

श्री अध्यक्ष--

जब बिजली का अनुदान आये तो आप ये सब बातें कह दीजिये। मैं आदरणीय सदन से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा यह प्रयास रहता है कि एक घंटे में कम से कम २० प्रश्न अवश्य हो जायें। अब उस समय में हो सकता है कि मैं किसी माननीय सदस्य को मौका

[श्री अध्यक्ष]

न दे सकूं, मगर बीच में यह कहना कि हम सवाल करना चाहत हैं, यह दूसरे माननीय सदस्यों का अपमान है। सभी का बराबर अधिकार है, हो सकता है किसी वक्त किसी की ओर मेरी नजर न पड़े, लेकिन उसके लिये बीच में टोकना मुनासिब नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानकारी इस समय चाहता हूं कि सरकार की नीति जब यह है कि जहां बिजली में घाटा होता है वहां के रेट्स बढ़ा देती है, लेकिन इसके विपरीत सरकार बिड़ला जी को रिहन्द डम की बिजली २ पैसा प्रति यूनिट से कम पर घाटे पर देती है, तो इस प्रकार से सरकार स्वयं अपने कानून को तोड़ती है।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत ४ सूचनायें आज मेरे पास आयीं थीं जिनको मैं स्वीकार नहीं कर पाया हूं। माननीय रक्षपालसिंह जी की सूचना को मने मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है, माननीय विजय सिंह जी का भी कारागार मंत्री जी के पास भेज दिया है। शेष दो सूचनाओं को मने अस्वीकार कर दिया है।

श्री नौनिहालसिंह चौधरी द्वारा संयुक्त समाजवादी दल से विलग होना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नौनिहाल सिंह जी ने मुझे एक सूचना दी है उसको मैं सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। वह लिखते हैं—मेरा संयुक्त समाजवादी दल से कोई सम्बन्ध नहीं है; अब सदन के निर्दलीय सदस्य के रूप में काम करूंगा।

विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं के सम्बन्ध में जानकारी

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

मेरा एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न था ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने अभी उसको देखा नहीं है। देख लूंगा।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने माताटीला के सम्बन्ध में आज एक विशषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैं देख लूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद के विरुद्ध विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट विषय पर परिप्रश्न

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, कल आपने मुझे कहा था कि जो कुछ आपको कहना हो अपने बारे में उठाये गये विशेषाधिकार के सम्बन्ध में, उसे लिख कर दे दें। तो मेरा निवेदन यह है कि क्या और

कैसे उसको लिख कर दे दूं। मैं समझता हूं कि पहले आप हम लोगों को सुन कर ही इस प्रकार की आज्ञा कार्यालय को दें और इस प्रकार के प्रश्न के ऊपर आप तत्काल हम लोगों को मिलने का अवसर देने की कृपा किया करें ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो मेरे पास पत्र भेजा है, उस पर मैंने लिख दिया है कि आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाय और जो श्री बी० बी० शरण ने प्रश्न उठाया है उसकी प्रतिलिपि भी आपको दी जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कल कार्यवाही के सम्बन्ध में मैंने एतराज किया था....

श्री अध्यक्ष—

उसको मैं देख लूं, अभी मैंने उसे देखा नहीं है । यह किस तारीख की बात है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह १८ तारीख की बात है, मैं चाहता हूं कि आप उसे देख कर सही कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख रहा हूं ।

नियम ५० के अन्तर्गत दी गयी सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, श्री सैयद अली जहीर के सम्बन्ध में मैंने एक प्रश्न नियम ५० के अन्तर्गत दिया है.....

श्री अध्यक्ष—

आपने जो कुछ लिखा है, उसके साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी भी होनी चाहिये, वह शायद आपने नहीं दी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैंने दी है ।

श्री अध्यक्ष—

जितने कागज मेरे पास आते हैं, उन पर आदेश मेरे हाथ से लिख होते हैं, इसमें कोई छिपाने की बात नहीं होती ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

वह पब्लिक महत्व का है और बहुत जरूरी प्रश्न है, श्रीमन् ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जहां तक व्याख्यात्मक टिप्पणी लिखने की बात है, श्री काशीनाथ मिश्र ने तो उसे पहले ही पन्ने पर लिख रखा है ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, जो अवमान सदन के समक्ष हुआ हो उसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति ने सर्वसम्मति से तय किया है कि उसका निर्णय अध्यक्ष महोदय सदन से ही करावें। उसे प्रिविलेज समिति के सामने न भेजा जाय। माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद ने जो कुछ किया, वह सब सदन के समक्ष हुआ और आपने बिना श्री टम्ब्रेश्वर प्रसाद को सुने और प्राइमा फेसी केस इस्टेबलिश हुए शायद उसे प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया है। प्रिविलेज कमेटी का यह निश्चित मत है कि सदन के समक्ष जो अवमान हुआ हो उसका फैसला अध्यक्ष महोदय सदन के सामने करावें।

श्री अध्यक्ष—

वह मेरे पास लिख कर भेज दें, मैं देख लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, अगर सदन के समक्ष कोई विशेषाधिकार की अवहेलना की घटना हो, तो उसे तत्काल सदन के सामने ही प्रस्तुत करके निर्णय हो जाना चाहिये, न कि उसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाय। यह बात विशेषाधिकार समिति ने तय की है।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार समिति ने इस तरह की कोई सूचना मुझे नहीं दी है।

मंत्रि परिषद् के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, श्री शारदाभक्त सिंह जी, ने मेरे पास एक प्रस्ताव भेजा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप (नेता विरोधी दल से) समझते हैं कि बजट के जमाने में ऐसा प्रस्ताव रखना उचित होगा?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

वह क्या प्रस्ताव है, कैसा है?

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

९ तारीख को हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आप ९ तारीख की बात कहते हैं, माननीय नेता विरोधी दल ने आज दिया है।

श्री उग्रसेन—

हम लोगों का भी है न?

श्री अध्यक्ष—

मुझे पता नहीं है। आपने तो शायद वापस ले लिया था? मेरा मतलब यह था कि अभी जिसका उल्लेख माननीय उग्रसेन जी कर रहे थे, माननीय उग्रसेन ने ७ जनवरी को अविश्वास का प्रस्ताव भेजा और उसका आज तक फिर उल्लेख नहीं किया। ७ जनवरी को श्री उग्रसेन और श्री गया प्रसाद आदि ने जो भेजा था उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि आज तक कोई उल्लेख नहीं किया। अब दूसरा यहां नोट है ९ तारीख का, वह साढ़े ११ बजे सेक्रेटरी के पास दिया गया, उस सम्बन्ध में भी सदन ने या जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किये उस पर बल नहीं दिया। १७

तारीख को श्री नेकराम शर्मा ने फिर उसको उठाया और फिर १८ तारीख को श्री टम्बेश्वर प्रसाद ने अविश्वास का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत कर दिया....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जी नहीं, मेरा विवेदन है कि मैंने प्रस्तुत नहीं किया, मैंने अनुज्ञा मांगी, वह प्रस्ताव नहीं होता। अध्यक्ष से अनुज्ञा मांगना...

श्री अध्यक्ष—

आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसमें कोई शंका नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने प्रस्तुत नहीं किया....

श्री अध्यक्ष—

तो ७ जनवरी को, ६ फरवरी को और १८ फरवरी को और आज फिर माननीय नेता विरोधी दल ने यह प्रस्तुत किया है....

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस प्रकार यह विवरण प्रस्तुत किया उससे बड़ा भ्रम पैदा हो जायगा। जिस दिन माननीय नेकराम जी ने यह प्रश्न उठाया कि ५ विरोधी दलों के नेताओं ने एक संयुक्त प्रस्ताव भेजा है तो आपने कहा था कि मैंने उसको कार्यमंत्रणा समिति के पास भेज दिया...

श्री अध्यक्ष—

मैंने कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष अनौपचारिक रूप से उनका मत जानने के लिये रखा था....

श्री चन्द्रजीत यादव—

वह चीज तो स्वयं ही नियम के विरुद्ध थी, लेकिन आपने उस को भेजा और उसके बाद भी आप के कक्ष में हम, नेकराम जी, माननीय राहत मौलाई जी और उग्रसेन जी गये और हम सबने कहा कि हमारा संयुक्त अविश्वास का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये और आने वाले मंगलवार को, यानी आज, आप अविश्वास के प्रस्ताव को सदनके समक्ष अनुमति के लिये प्रस्तुत करें और इस के लिये आप ने अपनी सहमति भी प्रकट की थी कि आप आज ऐसा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि चूंकि आज के लिये आपने अनुमति दी थी और आज नेता विरोधी दल का भी चूंकि प्रस्ताव आया है, तो आप इस समय सदन के सामने अनुमति के लिये कृपा करके प्रस्तुत करें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मैं भी आपके समक्ष गया था और आपने कहा था कि मंगल को लिया जायगा। आप के सामने और कोई स्थिति नहीं ह सिवा इसके कि आप इस को अब अनुमति के लिये सदन के सामने रखें।

श्री अध्यक्ष—

मेरी बात तो सुनें, मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं, आपने १७ तारीख को मुझसे कहा। मैंने आदेश दे दिया जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था और उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में आदेश दिया था कि कल लिया जायगा, लेकिन जब विभिन्न दलों के नेता मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि कल नहीं हम चाहते हैं और मंगल को यह लिया जाय, उस पर मैंने कहा कि अच्छी बात है। इस बीच

[श्री अध्यक्ष]

में १८ तारीख को एक प्रस्ताव मुझे दिया गया जो सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ वह मैंने पढ़ के सुनाया, और वह अस्वीकृत हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि यह अनुज्ञा का प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि प्रस्ताव उस दिन दिया गया जो मैंने सदन के सामने रखा और उसमें अनुज्ञा नहीं मिली।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

मेरा प्रस्ताव सदन के समक्ष मेरी अनुपस्थिति में रखा ही नहीं जा सकता।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

अध्यक्ष महोदय, इसी के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

मेरी बात तो सुन लीजिए, आज एक इसी प्रकार का प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल का आया ह, अब मैं नेता विरोधी दल से जानना चाहता हूं . . .

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी आपने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति में अनौपचारिक रूप से मैंने प्रस्ताव रखा। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि क्या आप रख सकेंगे या रखेंगे के रूप में नियम के अन्तर्गत अधिकार है? यदि नहीं, तो इतना अवैधानिक कार्य आपने कैसे किया?

श्री अध्यक्ष---

जहां तक दूसरे हिस्से का सवाल है, उस दिन काफी बहस हो चुकी है, वह खत्म हो गया। प्रस्ताव यह हुआ कि वहां कार्य-मंत्रणा समिति में क्यों इसकी चर्चा हुई, मैंने आप से कह दिया कि म सिर्फ जानना चाहता था कि सचेतकों का उस सम्बन्ध में क्या विचार है।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अविश्वास के प्रस्ताव की जो सूचना दी है, उसकी पूर्ण गम्भीरता समझ के दी है। जो आपने अभी तथ्य सामने रखे हैं, कि जिस तरह से कई प्रस्ताव आये, तो मैं आप से निवेदन कर देना चाहता हूं कि पहले कुछ प्रस्ताव, कुछ और माननीय नेताओं ने दिया था और उसके बाद माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने भी अविश्वास का प्रस्ताव रखा था और आपसे निवेदन किया था कि चूंकि यह प्रस्ताव विरोधी दल की ओर से है, इसलिए हम लोगों की प्रार्थना यह ह कि सब एक ही साथ ले लीजिए ताकि उन पर विचार हो जाय और मुझे खेद ह कि उस दिन यह प्राथना वगैरह के बाद भी और मैं ऐसा समझता हूं कि जब प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई और उस पर उसी दिन अनुज्ञा के लिए आपने रखने की कृपा की, तो उससे यह मालूम हुआ कि शायद सब जितने भी नेता हैं, विरोधी दल के उन सब की राय से एक सामूहिक दूसरा विचार करना चाहते थे। लेकिन उस दिन जो भी प्रस्तुत था मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि उस दिन सरकार को पता था कि शायद विरोधी दलों के सदस्य यहां उपस्थित नहीं थे, इसलिए हमारी प्रार्थना होते हुए भी और यहां माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा भी था कि अगर उस पर अलग से विचार होता है तो हम वापिस लेते हैं और उस पर अनुज्ञा के लिए मत ले लिया।

तो मेरी प्रार्थना यह है कि जो उस दिन कार्यवाही हुई अगर माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी वापिस लेना चाहते थे तो क्यों आज्ञा नहीं दी गयी ? हम लोग यह चाहते थे कि एक साथ ही अविश्वास का प्रस्ताव आप लें। उसके लिए हमारे पास वैधानिक तथ्य भी हैं। लोक सभा में अध्यक्ष महोदय ने, जब कृपालानी जी ने प्रस्ताव रखा था और कहा था कि बहुत से दलों की ओर से प्रस्ताव आये ह और जब अनुज्ञा के लिए कहा तो उन सब लोगों ने कहा कि चूंकि एक साथ प्रस्ताव आ रहा ह हम अपने प्रस्ताव को वापिस लेते हैं। उनको वापिस लेने की अनुज्ञा दे दी गयी। एक दल की ओर से आग्रह किया गया कि हम अनुज्ञा लेना चाहते हैं और सामने प्रस्तुत किया गया और जितने मत आवश्यक होते हैं उतने नहीं मिले अतः वह गिर गया। कृपालानी जी के प्रस्ताव पर जितने मत आवश्यक होने चाहिये थे वे प्राप्त हो गये और उस पर विचार हुआ। इसलिए माननीय टम्बरश्वर प्रसाद जी ने आपसे कहा था कि वे वापिस लेना चाहते ह, लेकिन फिर भी आपने अनुज्ञा का प्रस्ताव रख दिया और कहा कि जब अनुज्ञा का प्रस्ताव रख दिया गया तो वापिस नहीं हो सकता। मैं ऐसा समझता हूं कि हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। हम लोगों की भावना थी कि जो सरकार पर हम अविश्वास का प्रस्ताव रखना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष—

यह तो वही बहस कर रहे हैं, जो समाप्त हो चुकी है। वह तो मैंने निश्चय कर दिया।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अभी जो प्रश्न उठा है उस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव दिया जाये और जब तक आपकी इच्छा हो तब तक आप उसे सदन के सामने न रखें। दूसरे जो प्रस्ताव नहीं रखना चाहते, वह जरूर रखा जाये और उस पर अनुज्ञा ली जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त तो आपने यह दिया है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन्, मैंने दिया है और मैं चाहता हूं कि अविश्वास का प्रस्ताव, जैसा कि और माननीय सदस्य भी चाहते हैं, जो प्रस्ताव रखे हुए ह कि सामूहिक रूप से सब दलों की ओर से अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय। जैसी प्रान्त के अन्दर गम्भीर परिस्थिति है उसी के कारण हम अविश्वास का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और अगर सरकार नतिक कार्यवाही समझेगी तो उसका प्रभाव भी होगा

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप से एक प्रश्न यह भी कहा था कि इस समय बजट के जमाने में जब अनुदान हो रहे हों तो क्या आप समझते हैं कि इसको लिया जाय जिससे आपके बजट में व्यवधान होगा।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, उस दिन माननीय टम्बरेश्वर प्रसाद जी के प्रस्ताव पर बजट के समय ही अनुज्ञा के लिए रख दिया था।

श्री अध्यक्ष—

मैं कोई रूलिंग नहीं दे रहा हूं।

श्री शारदाभक्तसिंह—

आपने यह कहा कि उस दिन वह प्रश्न समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मैंने 'उस दिन' सिर्फ इसलिये कहा कि जब सरकार को

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जब कि बजट के अनुदानों पर विचार हो रहा है तब भी आप चाहेंगे कि . . .

श्री शारदाभक्तसिंह---

आप हम लोगों की भावनायें नहीं समझ रहे हैं। अगर हम कहें भी हम इसे नहीं पेश करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से कहा जाय कि रखा जाय और जिस समय रखा जाय तब उस की उपयोगिता बतलाई जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

मुझे निवेदन यह करना है कि विरोधी दल के सदस्यों और नेताओं पर जब आक्षप किया जाता है तो हमको प्राथमिकता मिलनी चाहिये और पहले हमको सुनना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष---

आप को भी मैं मौका दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन की परम्परा रही है कि पहले अनुज्ञा के लिये प्रस्ताव पेश किया जाय। उस दिन भी आपने टम्बेश्वर प्रसाद जी के प्रस्ताव को वोट के लिये रख दिया था और आज भी पहले आप को चाहिये कि आप अनुज्ञा मांगें, उसके पूर्व आप कोई बहस नहीं करवा सकते। उस दिन भी बजट पर बहस हो रही थी, फिर आज क्यों आप पूछ रहे हैं कि बजट के समय अविश्वास के प्रस्ताव पर आज्ञा मांगी जा सकती है?

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता था कि विरोधी दल को यह प्रजातांत्रिक अधिकार है कि वह अविश्वास के प्रस्ताव को ला कर सरकार को हटाये या उस सेन्श्योर करे। वैसे भी हम इस बात के आदी हो गये हैं, क्योंकि यह साधारण रूप से हर वर्ष रस्म-अदायगी होती है। अब जो दो परपज मैंने ऊपर बताये हैं इस बजट के अन्दर ग्रान्ट्स को वोट डाउन करके और जो कुछ भी उनको कहना हो उन पर कह कर पूरा किया जा सकता है। यह एक ट्रेडीशन की बात है, कांस्टीट्यूशनल बात मैं नहीं कह रहा हूं। आपको हक है आप प्रस्ताव लाइये, डेलो प्रस्ताव लाइये। पर उस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं होगा। सेन्श्योर के प्रस्ताव का बहुत महत्व होता है इसलिये २९ मार्च तक बजट की डेट्स लगी हुई हैं उसके बाद ही यह पेश हो और इस पर अनुज्ञा दी जाय तब अच्छा होगा। इस समय जो टाइम कटेगा वह इन्हीं अनुदानों में से कटेगा। अब आप को तय करना है कि अनुदानों पर बहस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है अथवा इस प्रस्ताव पर बहस करना। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो रस्म-अदायगी है उसे आप अप्रैल के महीने में पूरी करें। उस समय होली के बाद का मौसम भी अच्छा होगा। २९ मार्च तक इसको न लें तो अच्छा होगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अविश्वास के प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उन को सरकार बदलने के लिए लाया जाता है। श्रीमन्, ९ फरवरी को पेश किया गया अविश्वास का प्रस्ताव १० नवम्बर, ११, १५, १६, १७ तारीख तक नहीं उठाया गया और १८ को जब आपने पूछा तो कोई खड़ा नहीं हुआ। श्रीमन् अविश्वास का प्रस्ताव एक जुमले का है। मैं आप के सामने बसु की कमेंटरी से आर्टिकिल ८७ को पढ़ना चाहता हूं। वह अंग्रेजी में है और इस प्रकार है कि :---

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, वह हिन्दी का तरजुमा पढ़ें।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा वह हिन्दी कर देंगे।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, इसका हिन्दी मतलब यह है कि राज्यपाल महोदय की तरफ से जो पालिसी स्टेटमेंट इस सदन में प्रस्तुत किया जाता है और उस के ऊपर विरोधी पक्ष की ओर से कोई संशोधन आता है तो वह अविश्वास का प्रस्ताव माना जाता है। राज्यपाल महोदय के इस अभिभाषण को इस सदन ने १७२ और २८ से पूरे तरीके से धन्यवाद के प्रस्ताव को स्वीकार किया। श्रीमन्, नतीजे से जाहिर है कि वे अविश्वास के प्रस्ताव से अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। श्रीमन्, इसकी इजाजत आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, इसके ऊपर आप को व्यवस्था देनी होगी। उन को मौका मिला ६ फरवरी, से १८ फरवरी तक और आप ने खड़े होने के लिए कहा, लेकिन उस समय कोई खड़ा नहीं हुआ। वही प्रस्ताव अब भी जारी है। मैं आप से व्यवस्था चाहता हूं कि इन सब बातों के बाद क्या आप इस प्रस्ताव को अनुज्ञा के लिए या प्रस्तुत करने के लिए आज्ञा दे सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि नहीं दे सकते हैं।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कि नेता विरोधी दल के अविश्वास के प्रस्ताव पर अनुमति न हो, इस पर नवल किशोर जी ने कहा कि बजट अनुदान हैं, उस पर आप कर सकते हैं। दूसरे, जहां तक मैं समझ पाया यह कहा गया कि हम ज्यादा अविश्वास के प्रस्ताव को लाकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है और विशेष घटनाचक्र आ जाता है तो उस समय बजट के अनुदान होते हुये भी अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। जो आप ने कहा कि यह अधिकारों का दुरुपयोग है, क्योंकि शासन हटा नहीं सकते हैं तो, शायद आप ने हाउस आउफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स नहीं देखी हैं जब कि ४ और ५ का फर्क रहा है तो कितने प्रस्ताव आये हैं। शायद हमारे मन्त्रियों ने चाह्वाण साहब का भाषण जो लोक सभा में हुआ उस पर ध्यान नहीं दिया कि हमारी फ्रान्टियर पर विशेष और असाधारण स्थिति है। कल का सुचेता जी का जो उत्तर है स्मगलिंग के विषय में वह बिलकुल अस्पष्ट है, जो इस कारण से परिस्थितियां और खतरा उत्पन्न हो रहा है उस को हल्का करके देखने का प्रयास किया गया है। चाइना के द्वारा देश में ऐसा कर के देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जा रहा है। और जो देश की खाद्य सिथिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है और सरकार उन को सुधारने में किसी भांति भी सक्षम नहीं हो पायी है वह बिलकुल फेल रही है। यह विशेष परिस्थितियां हैं, जिन के कारण इस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिये। तो मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो आज घटना-चक्र हो रहा है, उसका क्या शिक्षा अनुदान में जिक्र हो सकता है। उस के बाद वन के बारे में अनुदान पर विचार होगा, तो क्या उस में इन परिस्थितियों पर जिक्र हो सकता है? आप का कहना है कि जो अनुदान का विषय है उस में सीमित रहो। लेकिन आज समय की मांग है कि जो ऐसी बातें हैं उन पर विचार किया जाये और जो प्रश्न हुये हैं श्रीहेम बरूआ के उस पर विचार किया जाये और मैं समझता हूं कि विरोधी दल का प्रस्ताव इस विशेष परिस्थितियों के अनुसार आया है तथा सभी विरोधी दलों के नेताओं के ध्यान में वह परिस्थितियां हैं। इस-लिए, श्रीमन्, मैं सदन से और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि, आप सक्षम हैं आप उस को हरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

सकते हैं, लेकिन समय की मांग है और परिस्थितियां ऐसी हैं, आप सब इस को स्वीकार करें और उस पर विचार करें ताकि जनता के सामने, समाज के सामने सच्चाई आ सके। देश का विश्वास और आत्मसम्मान हम में और आप में बना रह सके। इस लिए मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, अब तक की परिपाटी उत्तर प्रदेश विधान सभा की यह रही है कि मन्त्रि परिषद् के खिलाफ जब कोई अविश्वास का प्रस्ताव आये और ३१९ नियम में जो वर्णित है, उस प्रस्ताव पर एजेन्डा में रखकर विचार होना चाहिये।

श्री नेकराम शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश विधान सभा में अध्यक्ष-पद से दिये गये निर्णयों के संकलन ५२—६२ तक के पृष्ठ ३६३ की तरफ दिलाना चाहता हूं। माननीय खेर साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस सदन में दिया था। जब अविश्वास का प्रस्ताव आया था तब उन्होंने कहा था :—

"लेकिन यहां अभी सदन में द्विदल पद्धति स्थापित नहीं हुई है। यहां कई पार्टियां हैं। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता पहले सुझाया था कि अगर ऐसा प्रस्ताव लाना है और सब पार्टियों की तरफ से और विरोधी दल के नेता से मिलकर ,बैठकर, कभी किसी विषय पर विरोध उत्पन्न हो जाय, मैं ६ महीने और ३ महीने को अधिक महत्व नहीं देता तथा एक सेशन को भी उतना महत्व नहीं देता, जितना कि महत्व इस विषय को देता हूं और सरकार की ओर से कोई ऐसा काम हो जाय कि जिस की वजह से विरोधी दलों में अविश्वास उत्पन्न हो जाय सरकार के प्रति, तो उस समय भी सरकार को कोई न कोई समय देना चाहिये उस पर बहस करने के लिए और उसे इस के लिए हर दम और हर समय तैयार रहना चाहिये, जैसा कि अभी मुख्य मन्त्री जी ने कहा . . ."

तो जैसा अभी दुबे जी ने कहा कि कोई ऐसी बात हो जाय, तो ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी कैबिनेट की खत्म हो चुकी है, एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के खिलाफ बांण चला रहा है, सारा ऐडमिनिस्ट्रेशन पैरलाइज हो गया है, चाइना का ऐग्रेशन बराबर जारी है, विदेशी चीजों की स्मगलिंग हो रही है तो ऐसा विषय उपस्थित हो गया है। इस लिए अविश्वास का प्रस्ताव और भी आवश्यक हो गया है। आगे खेर साहब कहते हैं :

"चूंकि यह आ गया है, और जब तक कोई प्रथा कायम न हो जाय, तब तक मैं कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहता हूं कि जिस में सदन के स्वतन्त्र मत प्रकट करने के बारे में कोई बन्धन पैदा हो जाय। अब अगर सदन इस पर बहस करना चाहता है तो इस के लिए नियम बना हुआ है और इस के लिए सदन के पंचमांश सदस्य अपनी अनुमति देते हैं, उस में कोई बहुमत का प्रश्न भी नहीं है। अगर सदन यह चाहता है कि इतनी जल्दी प्रस्ताव लाने की प्रथा कायम न हो तो वह अनुमति न दे। तो मैं उसको रोकता नहीं हूं। मैं इस पर सदन की अनुमति ले लेना ही उचित समझता हूं।"

तो मेरा निवेदन यह है कि जब आप ने उस दिन टम्बेश्वर प्रसाद जी के प्रस्ताव पर उन के वापस लेने की प्रार्थना के बाद भी अनुज्ञा ले ली, तो यह सभी विरोधी दलों की ओर से प्रस्ताव है, इस पर भी राय ले लें और अनुज्ञा के लिए रख दें, बहस इस पर न करायें।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रस्ताव इस सदन में उपस्थित ही नहीं हो सकता। प्रक्रिया नियमावली के नियम २७४ के उपनियम (२) की ओर आपका ध्यान इस सम्बन्ध में दिलाना चाहूंगा।

उस में यह लिखा हुआ है कि "...यदि अपेक्षित संख्या से कम सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेंगे कि उसे सदन की अनुज्ञा प्राप्त नहीं है।"

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप व्यवस्था दे चुके हैं। उस दिन बहस बन्द हो गई। अब आप ने उसी बात को फिर शुरू करा दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

और उसी सन्दर्भ मे मुझे यह कहना है कि जो अध्याय १३ में है उस के नियम ११४ में यह लिखा है कि "प्रस्ताव में पूर्व विनिश्चित प्रश्न नहीं उठाया जायगा। किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान् रूप से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में या पिछले छः महीने के भीतर जो भी समय पहले पड़ता हो विनिश्चय कर चुकी हो।"

श्री अध्यक्ष—

देखिये उस दिन मैंने व्यवस्था दी है और वह व्यवस्था यह दी है कि यह अध्याय जिसका सम्बन्ध मन्त्रिमण्डल या अध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव से है, पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है। किसी अन्य नियम के अधीन नहीं है। उस के बाद ११४ का अब उल्लेख न करें।

श्री कल्पनार्थसिंह—

अगर यह बात मान ली जाय कि २७४ पूर्णरूपेण स्वतन्त्र हैं फिर भी उस में यह लिखा हुआ है कि सदन ने यदि एक बार उस पर अपना निश्चय कर लिया है तो उस के बाद वर्तमान अधिवेशन में वह नहीं उठाया जा सकता। जब उस के बाद वर्तमान सत्र में सदस्य उस प्रस्ताव पर खड़े नहीं हुये, तो उसी भाषा में कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता। इस के और भी कारण हैं। माननीय दुबे जी ने बतलाया कि नये कारणों को देखते हुये बहस करना जरूरी है। अभी इस तरह की बहस गवर्नर साहब के भाषण पर हुई और उस अभिभाषण पर बहस कर के इस सरकार को गिराया जा सकता था। अगर कोई दूसरी परिस्थिति की बात कही जाय तो जहां तक खाद्य समस्या का सम्बन्ध है, कल खाद्य की ग्रान्ट पर भी बहस हो चुकी है और वह ग्रान्ट भी पास हो गयी। तो अब कौन-सी विशेष परिस्थिति आ गयी जिस की वजह से यह प्रस्ताव आना जरूरी है? इस को मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि किस नियम के अन्तर्गत इस को लाने की बात हो रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर अपनी अनुमति न दें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं माननीय उपनेता सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जो परम्परायें लोकतान्त्रिक संस्था में निश्चित हो चुकी हैं उन परम्पराओं में एक परम्परा यह भी है कि सरकार कभी भी विरोधी पक्ष द्वारा प्रस्तुत अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध नहीं करती, इस वास्ते कि उस को वह अवसर प्राप्त होता है कि वह अपने कार्य के सम्बन्ध में विश्वास सदन का और जनता का सुरक्षित रखे। इस बात को दृष्टि में रखते हुये हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो घटनायें इधर हुई हैं उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कुछ

[श्री अध्यक्ष]

अंश में जो कुछ माननीय मिश्र जी ने कहा है कि यह प्राग्दर्शन में मालूम होता है अधिकारों का दुरुपयोग और हो सकता था कि मैं इस तर्क को स्वीकार कर लेता लेकिन अगर यह तर्क ठीक है और अगर सदन समझता है कि यह अधिकारों का दुरुपयोग है, तो सदन इस को नामंजूर कर दे। जो वर्तमान स्थिति है उस को देखते हुये, मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल का जो प्रस्ताव आया है उस को मेरे लिए प्रस्तुत करना सदन के समक्ष अनिवार्य-सा है। अतः मैं इसे अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं और उसके शब्द इस प्रकार हैं—"मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह सदन वर्तमान मन्त्रि परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।" यह शब्दावली वही है जो कि अन्य दलों के नेताओं ने दी है और यह इस के साथ आ सकती है यदि इस को अनुज्ञा मिल जाय। इसलिए जो सदस्य इस के पक्ष में हों वे कृपया अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(८८ सदस्य खड़े हुये।)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं एक वैधानिक प्रश्न इस सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब वह समाप्त हो गया।

चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या ८८ है जो पंचमांश से अधिक है, अतः अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्राप्त हो गयी। अब इस के लिए मैं समय, तिथि और कितना समय दूंगा, यह बाद में निश्चित कर दूंगा। (तालियां)

श्री उग्रसेन—

आप टम्ब्रेश्वर प्रसाद को कुछ कह रहे थे। अब कहिये, हम सुनने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं स्पष्ट कहना चहाता हूं कि मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि हमें शिष्टता के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिये। हो सकता है कि मेरी गलती हो, हो सकता है कि टम्ब्रेश्वर प्रसाद जी की गलती हो, लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि हम एक दूसरे पर लांछन लगायें और इस सदन की शिष्टता को कलुषित करें।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मैं तो केवल यही कहना चाहता था कि कल बस्ती में जनता ने ही सरकार में अविश्वास प्रकट कर दिया है। आप बेकार ही नाराज हो गये।

श्री अध्यक्ष—

नियम २७४(३) के अन्तर्गत मुझे समय निश्चित करना है। इस में है कि यदि उप-नियम (२) के अन्तर्गत अनुज्ञा दे दी जाय तो अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकेंगे। इसे मैं बाद में तय कर दूंगा और इस में यह भी है कि १० दिन के अन्दर होना चाहिये।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मेरा एक निवेदन इस सम्बन्ध में यह है और मैंने कार्य मन्त्रणा समिति में भी कहा था कि अनुदानों पर वोट आन एकाउन्ट हो जाय। इसके लिए अनुदानों का समय न काटा जाय, यही मेरा निवेदन है।

श्री उग्रसेन---

मेरा सुझाव है कि परामर्शदात्री समिति को नहीं, आप इस के लिए समय निश्चित कर दें और बहस करवाइये।

श्री अध्यक्ष---

अब दो जबान नहीं हो सकतीं।

श्री शारदाभक्तासिंह---

जहां तक समय निर्धारित करने का प्रश्न है, लोक सभा में इस सम्बन्ध में एक सुझाव स्पीकर की तरफ से हुआ। उन्होंने कहा "नाऊ आई विल हैव टु फिक्स सम टाइम ....."

कुछ सदस्य---

हिन्दी में बोलिये।

श्री शारदाभक्तासिंह---

वह सरकार से जानना चाहते थे कि कौन ऐसा समय उचित होगा और साथ ही यह भी कहा कि परम्परा ऐसी चीज है कि सरकार के पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर और अपोजीशन के लोग मिल कर कुछ इन्डिकेशन दे दें, ताकि मैं निश्चित कर सकूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं इस समय कुछ नहीं बोल रहा हूं। माननीया मुख्य मन्त्री स्टेशन में नहीं हैं। यह विषय ऐसा है कि आप लोग बैठ कर तय करें या मैं कुछ निश्चित करूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---

मुझे यह निवेदन करना है कि इस सदन में कोई भी माननीय सदस्य जब कुछ अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो कभी इस तरफ से और कभी उस तरफ से यह कहा जाता है कि हिन्दी में पढ़िये। आप इस सम्बन्ध में अपनी व्यवस्था दे दें। न यह हिन्दी की शोभा को बढ़ाता है, न सदन की शोभा को बढ़ाता है। अगर कोई अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो उसका अनुवाद कर दिया जाय। इस तरह से शोर मचाने से काम दुर्लभ हो जायगा।

श्री उग्रसेन---

अंग्रेजी भाषा में कोई दुनिया का ज्ञान नहीं है। क्या हिन्दी में नहीं पढ़ सकते हैं?

श्री अध्यक्ष---

आप शान्त हों।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति)---

मैं आप के द्वारा तमाम दोस्तों से निवेदन करूंगा कि जो बात चन्द्रजीत जी ने कही है वह मानीखेज है। हमारे माननीय सदस्य अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, रोजाना खतूत अंग्रेजी में आते हैं, अगर इतने इनटालरेंट हो जायेंगे ...

श्री उग्रसेन---

क्या हिन्दी नहीं जानते हैं जो अंग्रेजी के शब्द बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष---

इस से कोई फायदा नहीं है।

श्री उग्रसेन—

फायदा है।

श्री राममूर्ति—

अगर हम ऐसी चीजों को बरदाश्त नहीं कर सकते तो हम कोई हिन्दी का हित नहीं करते, बल्कि औरों के दिलों में यह खयाल पैदा करते हैं कि किस कदर हमारे दिल में अंग्रेजी से नफरत है, वह माद्दा हमें पैदा नहीं करना चाहिये (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष—

वह मुझ से कह रहे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री राममूर्ति—

यहां पर जब कोई चीज अंग्रेजी में पढ़ी जाती है तो फौरन उसका अनुवाद करते हैं, विचार करते हैं। जब इस कदर सहूलियत से काम होता है फिर भी जब कोई बरदाश्त नहीं करता तो यह अच्छी चीज नहीं है। मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस हद तक अपनी नफरत का माद्दा किसी भाषा के बारे में नहीं पैदा करना चाहिये।

(श्री चन्द्रबलीसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

बैठ जाइये, चन्द्रबली सिंह जी। जहां तक यह प्रश्न है अंग्रेजी और हिन्दी का, तो इस समय चूंकि सदन के संचालन में बहुत कुछ हाथ मेरा रहता है इस वजह से मैं आदरणीय सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि हम हिन्दी भाषा के प्रदेश में हैं और हिन्दी भाषी हैं। हमारे लिए शोभा शायद इसी में है कि हम अधिक ऐसा व्यवहार न करें जिस से किसी के ऊपर यह प्रभाव पड़े कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं। लेकिन हिन्दी-भाषी देश के निवासी अगर हिन्दी पर बल न देंगे तो कौन देगा? इस सदन में केवल विरोधी पक्ष के अन्दर ही नहीं, कांग्रेस में भी, जो सत्तारूढ़ दल है उस में भी, एक बहुत बड़ा अंश ऐसा है जो हिन्दी के लिए बहुत ही लालायित है कि वह प्रतिष्ठित हो। तो सब की भावनाओं को देख कर हमें चाहिये कि हम हिन्दी के ही शब्दों का प्रयोग करें। हो सकता है कि किसी समय कोई अंग्रेजी का शब्द प्रयोग में ले आयें, तो उस पर आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस प्रकार की प्रवृत्तियों को जागृत नहीं करेंगे अपने सदस्यों में कि उन को हिन्दी में ही अपने विचारों को प्रकट करना चाहिये तो फिर वही लापरवाही आ जायगी, वही उदासीनता आ जायगी जिस के कारण हिन्दी के ऊपर आघात पहुंच सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यद्यपि हमें इतना असहिष्णु नहीं होना चाहिये कि हम उबल पड़ें, लेकिन आदरणीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दें। कल ही मेरे पास इलेक्शन कमीशन की एक रिपोर्ट अंग्रेजी में आयी है। मेरे सामने प्रश्न है...

अनेक सदस्य—

इस को लौटा दीजिये, इस को जला दीजिये, फाड़ कर फेंक दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

तो ऐसी हालत में हम चाहते हैं कि थोड़ी सहिष्णुता हो। आप शान्त रहें। जो कठिनाई कोई अनुभव करे तो उस को हम सुनें, यही उचित होगा, यह मेरी व्यवस्था है।

(माननीय शिक्षा मन्त्री को पुकारा गया।)

श्री नकराम शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि माननीय सदस्यों को हिन्दी के शब्दों का प्रयोग करना चाहिये, ठीक है, मगर अगर माननीय अध्यक्ष महोदय स्वयं एक भी अंग्रेजी का शब्द प्रयोग करेंगे तो उक्त सदन क्या तय करेगा—यह भी बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि अध्यक्ष पद से एक भी अंग्रेजी का शब्द प्रयुक्त नहीं होगा।

(श्री चन्द्रजीत यादव के खड़े होने पर)

अब वह विषय समाप्त हुआ। आप को जो कुछ कहना हो, लिख कर दे दें, मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री को बुलाया है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप एक गम्भीर व्यवस्था दे रहे हैं, मैं एक प्रश्न उठा रहा हूं . . .

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर उठाइये।

१९६५-१९६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १७—शिक्षा

*वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत ४३,४६,०३,९०० रुपये की मांग, सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। शिक्षा के सम्बन्ध में शिक्षा प्रगति के नाम पर एक पुस्तिका माननीय सदस्यों को दे दी गई है जिसमें बहुत से आंकड़े दिये हुये हैं जिससे इस प्रदेश में शिक्षा की क्या प्रगति हुई है विभिन्न स्तरों पर उसकी जानकारी हो सकेगी। जो मौजूदा अनुदान मैंने उपस्थित किया है उसके विषय में केवल इतना निवेदन करना है कि पिछले वर्ष यह अनुदान ३३ करोड़ ७१ लाख रुपये का था। इस वर्ष यह अनुदान ४३ करोड़ ४६ लाख का हो गया है जिसका मतलब यह हुआ कि ९ करोड़ ७६ लाख इस वर्ष के अनुदान में शिक्षा में बढ़ा है।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ अनुदान में परिवर्तन भी आये हैं। पहिले जो कुछ मद दूसरे अनुदान में मांगे जाते थे इस वर्ष उसको, क्योंकि आडिटर जनरल ने ऐसा संकेत किया था, शिक्षा के अनुदान में रख दिया गया। वें मद दो हैं। एक तो इंजीनियरिंग इन्स्टीट्यूशन्स की है और दूसरी इन्डस्ट्रियल टैक्नीकल एजूकेशन की है। इन दोनों मदों का जोड़ जो कि नये तरीके से इस अनुदान के अन्तर्गत आया है २ करोड़ ६१ लाख है। अगर २ करोड़ ६१ लाख को ९ करोड़ ७६ लाख में से निकाल दें तो ७ करोड़ १५ लाख रुपये की केवल शिक्षा के विषय में इस वर्ष में बढ़ोत्तरी हुई है। श्रीमन्, इस बढ़ोत्तरी को मोटे तरीके से मैं यदि निवेदन करूं तो ५ करोड़ २७ लाख रुपया तो जो प्लान स्कीम्स हैं उनके अन्तर्गत बढ़ा है, १ करोड़ १७ लाख रुपया माध्यमिक शिक्षा के लिये रक्खा गया है और ७० लाख रुपये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

क लगभग प्राथमिक शिक्षा के लिये रक्खा गया है और विद्यार्थियों को स्कालरशिप देने के लिये २४ लाख २५ हजार रुपये की बढ़ोत्तरी है । यह तो बढ़ोत्तरी का सिलसिला है । श्रीमन्, इससे यह देखा जा सकेगा कि इस बार हमारे बजट की बढ़ोत्तरी लगभग २७ करोड़ की है उसमें से इस अनुदान के अन्तर्गत ९ करोड़ ७६ लाख है । जिसमें से यदि टेक्नीकल एजूकेशन का अनुदान निकाल दिया जाय तो ७ करोड़ १५ लाख के लगभग होता है जिसका अर्थ यह हुआ कि करीब करीब एक चौथाई यानी २५ प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है ।

श्रीमन् , मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि शिक्षा की व्यवस्था अन्य प्रदेशों की शिक्षा की व्यवस्था से अनुदान मांगते समय कुछ भिन्न हुई है । यहां कुछ शिक्षा सस्थायें हैं जो शिक्षा विभाग द्वारा शासन की देख-रेख में नहीं आती हैं । जैसे कि चिकित्सा के मेडिकल कालेजेज हैं और भी कृषि के कालेज हैं, पशु चिकित्सा के कालेज हैं तो इस तरह की बहुत-सी शिक्षा संस्थायें है जिनका काम शिक्षा देने का है, क्योंकि वे विशेष विषयों की शिक्षा देती हैं । अतः उनकी देख-रेख और संचालन उन विभागों के द्वारा होता है । अक्सर इस बात की चर्चा उठाई जाती है कि हमारे यहां अपने बजट के प्रति शत का बहुत कम अंश शिक्षा पर खर्च होता है और वह केवल उन्हीं आंकड़ों को देखकर लगाया जाता है जो सामान्य शिक्षा पर खर्च किया जाता है । सामान्य शिक्षा में हमारे बजट का ६३–६४ में व्यय १३.९ था, यह बढ़कर इस वर्ष १६.५ हो जाता है । अगर हम तमाम शिक्षा को लें जो विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जाती हैं तो पहले १६.६ १९६३-६४ में खर्च होता था बजट का और इस बजट के अनुसार १८.२ शिक्षा में उसके विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न विषयों में खर्चा होता है । अतः इससे स्पष्ट है कि शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है और वर्ष प्रति वर्ष उसमें न केवल धनराशि बढ़ती जा रही है बल्कि जो समस्त बजट का एक अंशदान है वह भी बढ़ता जाता है।

श्रीमन्, दुर्भाग्य से यह प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है । वैसे तो सामान्य रूप से ही पिछड़ा हुआ है और पिछड़ा हुआ भी थोड़ा बहुत नहीं अन्य प्रदेशों के मुकाबिले में, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ६०–६१ में केवल एक प्रदेश ऐसा था जो कि हमसे पीछे था लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमने बनायी और अपने लक्ष्य निर्धारित किये उस लक्ष्य के निर्धारण में ही हम सब से पीछे हो गये । जहां कि १९६०–६१ में तमाम देश का प्रतिशत ६ वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों का स्कूल में आने का ६१ प्रतिशत था वहां हमने अपनी तीसरी पांच साल की योजना का लक्ष्य ही ६१ प्रतिशत रखा । यानी जो प्रतिशत पिछली द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में देश का था वह हमारा लक्ष्य तीसरी पांच साल की योजना का हुआ । इस योजना को भी साधनों के सीमित होने के कारण कुछ घटाना पड़ा विशेषकर बालिकाओं के प्रतिशत में । बालिकाओं का जो प्रतिशत हमने निर्धारित किया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर वह ४१.९ था । उसको घटाकर ३८ पर लाना पड़ा । किन्तु मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार विशेष रूप से प्रयास किया गया है कि हमारा छात्रवृद्धि आन्दोलन चले और केवल एक आन्दोलन या अभियान के रूप में ही नहीं बल्कि इस शिक्षा वर्ष में इस बात का सतत प्रयास किया गया है कि हमारे छात्रों की संख्या बढ़ती जाय । मुझे इस बात का हर्ष है और माननीय सदस्यों को भी इससे संतोष होगा कि हमारी छात्र-वृद्धि तेजी के साथ हुई है । आज जो आंकड़े हमारे सामने हैं यद्यपि हमने साधन तो तीसरी पंच वर्षीय योजना के अनुसार दिये हैं जिसमें कि बालकों की संख्या लगभग ८० प्रतिशत थी और बालिकाओं की संख्या लगभग ४२ प्रतिशत थी किन्तु आज हमारे बालकों की सख्या करीब ९६ प्रतिशत और बालिकाओं की सख्या लगभग ५२ प्रतिशत विद्यालयों में है । इस वृद्धि से हमारे सामने कुछ समस्यायें भी उत्पन्न हुई हैं और वह हैं अध्यापकों की संख्या के बारे में क्योंकि हमने जो अध्यापकों की संख्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में दी है वह अपने लक्ष्यों के अनुसार दी है जब कि छात्र-वृद्धि बहुत तेजी के साथ हुई है । इसलिये शिक्षक और विद्यार्थियों का जो अनुपात होता है वह बढ़ गया है और वह एक सोचने की बात है।

श्रीमन्, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में इस बात को देखने के लिये और शोध करने के लिये हमारे यहां जो काम हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ा है उसको देखने के लिये और पाठ्यक्रम इत्यादि जो हैं उनको देखने के लिये एक संस्था की, इन्स्टीट्यूट की, आवश्यकता थी। केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी इस बात का संकेत था, तो हमने उसके लिये प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का एक इंस्टीट्यूट जारी कर दिया है, वह चल रहा है और वह प्राथमिक शिक्षा के स्तर को, प्राथमिक शिक्षा की आवयकताओं को, प्राथमिक शिक्षा की प्रक्रियाओं को, उसके पाठ्यक्रम को और उससे सम्बन्धित अन्य चीजों को देखेगा। श्रीमन्, अब मैं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र की दो, तीन बातें कह देना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षा भी काफी तेजी से बढ़ी है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारी प्रेस गैलरी में एक सी० आई० डी० वाला आ गया और अपने को बताया कि वह लीडर अखबार का करसपांडेंट है। प्रेस के लोगों और उसमें कुछ तनाव पैदा हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि बगैर आपकी अनुमति के क्या कोई प्रेस गैलरी में जा सकता है और प्रेस वालों के बीच में अव्यवस्था पैदा कर सकता है ?

श्री अध्यक्ष––

अब आपने बता दिया है। मैं इसको देख लूंगा।

श्री कैलाश प्रकाश––

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है और शिक्षा संस्थाओं की संख्या भी बढ़ रही है, विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। किन्तु हमारे प्रदेश में काफी बड़ी जनसंख्या है। शिक्षा संस्थाओं का संबंध विद्यार्थियों की संख्या से भी होता है इसलिये माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारा एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कक्षाओं की परीक्षा लेता है। उसमें भी प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर अब करीब ५ लाख हो गयी है। इस बढ़ोत्तरी से शासन के लिये कुछ कठिनाई अवश्य उत्पन्न हो गयी है। इन समस्याओं के निराकरण के लिये हमने एक कमेटी की स्थापना की है जिसके अध्यक्ष श्री राधा कृष्ण अग्रवाल, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग हैं। वे इस चीज को देखेंगे कि इस प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा को ठीक से चलाने के लिये इस प्रदेश में क्या क्या करना चाहिये। जब उस कमेटी के सुझाव हमारे सामने आ जायेंगे तो उसके सुझावों के अनुसार हमें अपने शिक्षा के ढांचे को सुधारने की आवश्यकता होगी।

साथ ही यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अधिकांश शिक्षा संस्थायें गैर सरकारी हैं। उनमें प्रायः बहुत-सी समस्यायें उठती रहती हैं। इनका संबंध तीन अंगों से है––१––व्यवस्थापक लोग, २––शिक्षक लोग, ३––शासन। आपसी विचार ठीक रहें, आपसी समस्याओं को बैठकर सुलझा लें, इस आशा को सामने रख कर पहले तीनों के प्रतिनिधियों की बैठकें हुआ करती थीं जिससे इन सब की पारस्परिक समस्यायें सामने आ जाती थीं। आपस में विचार–विनिमय हो जाता था और बहुत से अच्छे सुझाव भी उसमें आ जाते थे और उससे पारस्परिक खाईं कुछ कम होती थी। इस वर्ष फिर उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है कि इन तीनों अंगों के प्रतिनिधि बैठें और वें वहां पर समस्याओं पर विचार करें। स्टेट लेविल पर वह है और जिला स्तर पर इस तरह की परामर्शदात्री समिति बनाने पर विचार किया जा रहा है, एक, दो बनीं थी। अब उनको सक्रिय करने का विचार है जिससे आपसी समस्याओं को आसानी से सुलझाया जा सके।

इसके साथ ही साथ अनुशासन और नैतिकता का भी एक प्रश्न है। बार-बार यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि किस प्रकार से शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन को ठीक रखा जाय और यह भी महसूस होता है कि हमारी नैतिक मान्यतायें गिरती जाती हैं उनको भी ठीक से रखने

[श्री कैलाशप्रकाश]

की समस्या हमारे सामने आती है। इस चीज के लिये उपमंत्री, शिक्षा की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी है । इस विषय पर केन्द्रीय सरकार की ओर से भी एक कमेटी बैठी थी उस कमेटी की रिपोर्ट को देखकर, और इस प्रदेश में जो समय-समय पर कमेटियां बैठी हैं उन्होंने जो चर्चा इस विषय में की है, उनकी रिपोर्ट को देखकर किन चीजों को यहां पर कार्यान्वित किया जा सकता है, शीघ्रातिशीघ्र यह कमेटी इस पर विचार करेगी । उस कमेटी के सुझाव और विचार आ जाने के बाद इस विषय में भी कुछ करने का प्रयास किया जायगा। श्रीमन्, प्रायः अध्यापकों के मामले होते रहते हैं जहां तरह तरह के किस्से रहते हैं । एक तो नियुक्ति के विषय में, उनको सजा देने के विषय में और यह शिकायत भी रहती है कि ऐसे मामले जब उठते हैं तो उनके सुलझाने में बहुत देर लगायी जाती है । तो हमने इस बात का प्रयास किया है और इसमें मुझे सफलता भी प्राप्त हुई है कि ऐसे जो मामले उठें उनको बहुत दिनों तक लटकाये न रखा जाय और लटकने के बाद जो भी निर्णय हो जाय उसे शीघ्र लागू करने का प्रयास किया जाय।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कमला सिंह यादव पीठासीन हुये।)

और भी दो, एक बातें हमने इस साल की हैं। माननीय सदस्यों की प्रायः बार-बार इस प्रकार की शिकायत है कि जो हमारा अनुदान देने का तरीका है, और विशेषतः अनुपालन अनुदान के आंकने का जो तरीका है, वह सन्तोषजनक नहीं है । तो इसमें हमने इस साल परिवर्तन किया है और एक निश्चित फार्मूला बनाने की कोशिश की है प्रबन्धक जो अपना रिटर्न भेजा करते थे तो उसमें यह पता नहीं लगता था कि अमुक साल को कौन-सी संख्या खर्च की है और कौन-सी संख्या आमदनी की है । क्योंकि जब वह निदेशालय आता था तो निदेशालय उसकी जांच पड़ताल करता था। जो खर्चा ठीक नहीं होता था उसका परिवर्तन कर देता था, जो आमदनी ठीक नहीं होती थी उसे परिवर्तित कर देता था, जिसका पता प्रबन्धक और व्यवस्थापक को नहीं लगता था । इसलिये इस वर्ष हमने यह फार्मूला बनाने की कोशिश की है जिसके अनुसार आवश्यक है कि मैनजर पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े दें कि वास्तविक इतना खर्च हुआ और वास्तविक इतनी आय हुई। तो प्रत्येक मान्य खर्चा और मान्य आय इन दोनों में जो फर्क होगा उस फर्क का यदि ५० प्रतिशत खर्च किया जाय तो जो कम होगा, वरना ५० प्रतिशत, वह खर्चा दिया जायगा । मौजूदा साल में शिक्षकों को जो वेतन वृद्धि दी जायगी उसका ३/४ अंश दिया जायगा और इसके ऊपर ३ प्रतिशत और दिया जायगा जिससे विद्यालय आगे प्रगति कर सकें, विकास कर सकें । इससे यह होगा कि उसे व्यवस्थापक भी समझ सकते हैं कि हमको क्या अनुदान मिलना चाहिये और निदेशालय भी इस बात को ठीक तरीके से आंक सकेंगे कि शीघ्र ही उनको क्या देना चाहिये । इसमें कोई हानि भी किसी विद्यालय की नहीं होने वाली है । पिछले साल जो खर्च किया है और इस साल जो वेतन वृद्धि दे रहे हैं उसका ३/४ और उसके ऊपर ३ प्रतिशत बढ़ा कर, इसी रूप में अंकन करके इस साल दे रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

कितने प्रतिशत का अनुदान कम किया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके आंकड़े तो इस समय मेरें पास नहीं हैं । लेकिन इतना निश्चित है कि यह फार्मूला बहुत साफ है, इसको शिक्षक भी सही तरीके से समझ सकते हैं, व्यवस्थापक भी समझ सकते ह, निदेशालय भी समझ सकता है, शासन भी समझ सकता है, यदि इसके अनुसार कार्य होगा।

एक, दो चीज और हैं । अब तक जितना भी अनावर्तक अनुदान दिया जाता था, चाहे वह भवन का हो, चाहे सज्जा का हो, चाहे फर्नीचर का हो, चाहे खेलकूद के मैदानों का हो, वह सब केन्द्रीय रूप में निदेशालय से दिया जाता था । जब इतना अधिक काम एक जगह केन्द्रित होगा तो उस को देखने में स्वाभाविक रूप से देरी लगेगी, इसलिये हम ने इस साल से कुछ विकेन्द्रीयकरण

किया है कि ५००० रुपये तक के जो अनावर्तक अनुदान हैं, केवल भवन अनुदानों को छोड़कर, सब उपनिदेशक के द्वारा दिये जायेंगे जिस से थोड़ा काम बट जाय । यह लोग संस्थाओं की स्थिति को भी अधिक जानते हैं बनिस्बत निदेशालयों के और उन की आवश्यकताओं को भी जानते हैं. और आसानी से देख सकते हैं । इसी तरह से हम ने छात्रवृत्तियों का भी विकेन्द्रीयकरण किया है, स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों के बच्चों के लिये और नवीनीकरण का भी यही तरीका था कि प्रार्थना-पत्र दिये जाते थे और वे फिर निदेशालय में आये, वहां जांच पड़ताल होती थी और तब आदेश दिये जाते थे । अब हम ने इस कार्य का भी विकेन्द्रीकरण किया है और यह उपनिदेशक के स्तर पर ही तय हो जायगा कि किस को छात्रवृत्ति दी जायगी और किस का नवीनीकरण होगा । और भी तरीके विकेन्द्रीयकरण के ऐसे निकले हैं कि जिन का गणित क हिसाब की तरह नवीनीकरण होना होगा वह वैसे ही फौरन हो जायगा ताकि गरीबों को सहायता समय से मिल जाया करे ।

श्री अधिष्ठाता—

जो लोग विदेश जाते हैं उन की ट्रेविल ग्रान्ट के बारे में भी कुछ स्पष्टीकरण कर दें ।

श्री कैलाशप्रकाश—

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान और आकृष्ट करूंगा कि हमारा अनुपालन अनुदान देने का जो तरीका है या फार्मूला है उसमें अच्छी और बुरी संस्थाओं में कोई भेद नहीं है । जो अच्छी अच्छी संस्थायें अच्छा काम कर रही हैं उन को प्रोत्साहन देने के लिये बजट में कुछ थोड़ी धनराशि रखी गई है । बाकी वह भेद तो अब भी रहेगा ।

मुझे अधिक समय लेना नहीं है थोड़ी सी बात विश्वविद्यालय के स्तर की और कहना चाहता हूं । आप के समक्ष राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह चर्चा हुई थी कि मेरठ और कानपुर के लिये विश्वविद्यालयों का बिल यहां आने की आशा है । मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो विचार इन दो वि वविद्यालयों के बारे में है, वह यह है कि वे केन्द्रित तरीके के न हों जैसे कि लखनऊ या इलाहाबाद के विश्वविद्यालय हैं जिन में कि काफी व्यय होता है । अभी तक तो विचार यह है कि जिस तरह से हमारा आगरा विश्वविद्यालय है एफिलियेटिंग नेचर का उसी तरह का इन को भी रखा जाय । मैं ज्यादा विस्तार में न जाकर केवल संकेत करता हूं कि एक के ३ बनाने से क्या लाभ होगा जब कि वही चीज हो । जितने डिग्री कालेजेज हैं सारी व्यवस्था ऐसी है कि जिस पर विभाग का कोई कंट्रोल नहीं रहता, वह उन की कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता, जो भी सम्बन्ध रहता है वह केवल विश्वविद्यालय से ही रहता है और अगर किसी का क्षेत्र बड़ा हो, संस्थाओं की संख्या बढ़ती जाय तो जैसा मैंने माध्यमिक स्तर की संस्थाओं के विषय में कहा संख्या की बढ़ोत्तरी कठिनाई उपस्थित कर देती है और वह कठिनाई आगरा विश्वविद्यालय में उपस्थित हो रही है, वहां आज १३५ कालेज मान्यता प्राप्त हैं और अन्य कालेजों के मान्यता के लिये प्राथना-पत्र भी आते रहते हैं और उन में भी विभिन्न विषयों के प्रार्थनापत्र आते हैं । तो इस से माननीय सदस्य स्पष्ट अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना काम बढ़ गया है और इस तरह से उन के संचालन का और देखभाल का विभाग से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं रहता । जो अनावतक अनुदान दिया जाता है, विशेषकर साइंस या विज्ञान को पढ़ान क लिये वह काफी दिया जाता है । अनावर्तक अनुदान देने का जहां तक नियम है, वह निदेशालय द्वारा दिया जाता है और जैसा मैं ने निवेदन किया कि निदेशालय को इन डिग्री कालेजों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती । आपके यहां एक कमेटी है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान कमेटी के नाम से है, वह कमेटी इधर-उधर गई, विद्यालयों या कालजों में गई, वहां के अध्यापकों और वहां के प्रिन्सिपलों से बात की और जांच के परिणामस्वरूप, उन्होंने कुछ सिफारिशें कीं और उनकी सिफारिशों पर इन संस्थाओं को अनावर्तक अनुदान दिया गया और हमारा अनुभव यह हुआ है कि इस तरीके से इस कमेटी ने जा जाकर काफी संस्तुतियां की हैं, उससे यह तो फायदा हुआ ही, साथ ही साथ यह भी फायदा हुआ कि हमारा यह शिक्षा का स्तर किन संस्थाओं में किस रूप में चल रहा है, क्या उनमें

[श्री कैलाशप्रकाश]

कमियां हैं और उनमें किस तरह से परिवर्तन लाने की आवश्यकता है यह पते चले। इससे भी बड़ा भारी फायदा हुआ ।

श्रीमन्, अब मैं दो, तीन बातें और कह देना चाहता हूं । हमारा प्रदेश लड़कियों की शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है । अधिक पिछड़ा हुआ है, इसलिये उन्हें अधिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है । हमारे लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि जब तक बालिकाओं की शिक्षा में प्रोत्साहन नहीं देते, तब तक उनके स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती है । बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में जो विशेष कदम उठाये गये हैं, उनको मैं संकेतमात्र निवेदन कर दूंगा.। जो महिलायें अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में जाती हैं, उनको विशेष रूप से, जो प्रशिक्षित हैं, १५ रु० मासिक का फायदा और जो अप्रशिक्षित हैं, उनको १० रु० मासिक का फायदा दिया जाता है । यह लड़कियां जब ट्रेनिंग लेती हैं तो लड़कियों को ३० रु० प्रतिमास की छात्रवृत्ति दी जाती हैं और लड़के जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उन्हें २० रु० प्रति मास की छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था है । जो जिला परिषद् के अध्यापक हों और वह अप्रशिक्षित हों, तो उनको प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है और प्रशिक्षण की अवधि में उनको कुछ वेतन और भत्ता मिलता है । यह इसलिये देने की व्यवस्था है, ताकि उन्हें आगे के लिये प्रोत्साहन मिले । क्योंकि अध्यापिकाओं के मिलने में कमी है, इसलिये उनके स्कूल अधिक नहीं खोले जा सकते हैं । इसी कारण बालिकाओं के स्कूलों की कमी है । साथ ही साथ इस बात की भी कोशिश की गई कि जो बालिकाओं के स्कूल हैं, उनके साथ में छोटे छोटे बालक भी पढ़ लें, लेकिन जहां तक प्रश्न यह है कि बालकों के स्कूल में बालिकायें पढ़ें, वहां बालिकाओं से सम्पर्क रखने के लिये, स्कूल मातायें रखी जाती हैं । वह महिला उनके घर वालों से सम्पर्क रखती है। ऐसी नियुक्तियां अब तक २०९६ हो चुकी हैं और जो बजट आपके सामने है, उसमें ६७० की व्यवस्था और की है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को जाने में बड़ी कठिनाई है, उनकी वहां पर आवास आदि की व्यवस्था ठीक से नहीं हो सकती है और उनके लिये ३,४३० की तो व्यवस्था की जा चुकी है और जो बजट अतिरिक्त है उसमें ८९५ की व्यवस्था और की गई है ।

श्रीमन्, जो बालकों के स्कूल हैं और जिनमें साथ साथ बालिकांए भी पढ़ती हैं उनके बैठने और आराम करने के लिए भवनों की व्यवस्था की गयी है । ऐसे ब्लाक बनाने के लिए ४ हजार की तो व्यवस्था की जा चुकी है और १ हजार के अनुदान देने के लिए इस बजट में व्यवस्था की गयी है। ५वीं कक्षा तक के विद्यालय खुल रहे हैं लेकिन आगे की शिक्षा के लिए सीनियर बेसिक स्कूल जो हैं वे अधिक संख्या में नहीं खुल पाते हैं । बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं । जो ५वीं कक्षा तक पढ़ी हैं वहां पर एक या दो अध्यापक रखकर ६, ७, ८ तक शिक्षा दी जाती है । वे अपना इम्तहान दे सकते हैं । यद्यपि इसके लिए अलग से एक स्कूल नहीं चलता फिर भी उन्हें ८वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत न हो इसलिए यह व्यवस्था की गयी है

नये ट्रेनिंग यूनिट खोले गए हैं । जितने हमारे वे क्षेत्र हैं जहां पर विद्यालयों में बालक और बालिकाएं साथ-साथ पढ़ती हैं, उनके बैठने के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अलग से प्रबंध करने के लिए अनुदान दिया जाता है । इस जनवरी से १०वीं कक्षा तक की बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है । बालिकाओं के लिए कुछ विशेष-रूप से जूनियर स्कूल, हाई स्कूल और कुछ इन्टरमीडिएड कालेज भी सरकार की ओर से खोले जाते हैं जो बालकों के लिए नहीं खुलते ।

विज्ञान की शिक्षा में, जिसमें भी हम पीछे हैं, प्रोत्साहन देना है । इसके लिए हमने विशेष कदम उठाये हैं । एक तो क्रैश प्रोग्राम के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया । जिन-जिन पुरानी संस्थाओं में साज सज्जा ठीक नहीं हो पाती उनको शत प्रतिशत के आधार पर अनुदान भी दिया गया है । इस वर्ष १७८ स्कूलों को ऐसा अनुदान भी दिया गया है जिससे वे उस स्तर तक आ सकें जिस स्तर तक वे पढ़ाई कर रहे हैं और उनको साज सज्जा की कोई कमी न रहे । एक विशेष बात इस संबंध में यह है, जैसा कि माननीय सदस्यों को भी मालूम होगा,

विज्ञान के टीचर्स की बहुत कमी है। उसके लिए हमने यह किया है कि एम० एस० सी० के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई है। गोरखपुर में अभी तक जितने विद्यार्थियों की संख्या थी उसको दुगना करने की व्यवस्था कर दी गयी है उस विश्वविद्यालय में। इसके लिए एक नया कदम यह भी उठाया गया है कि शिक्षक बी० एस० सी० हैं उनके लिए एक साल का कोर्स जारी किया गया है जिसको "संक्षेप कोर्स" के नाम से रखा गया है। इस समय वे दो जगह चलते हैं एक तो लखनऊ में और दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। चूंकि वे अच्छे साबित हुए हैं अतः ३ और स्थानों पर खोलने की व्यवस्था की जायेगी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी खोलने की व्यवस्था की जायगी। जैसे एलीमेंटरी, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक इन्स्टीट्यूट है इसी तरह से विज्ञान की चीजों को देखने के लिए एक इन्स्टीट्यूट बनाने की व्यवस्था की गयी है जो विज्ञान के शिक्षकों के लिए है ताकि उनकी शिक्षा फिर से पुनर्जीवित हो सके। फिर से नयी बातें बता सकें। इसके लिए कुछ कोर्सेज जारी किए गये हैं। वे भी उनके लिए चालू हैं। संस्कृत के स्कूलों में भी इस बार कुछ विशेष रूप से कदम उठाये गये हैं। संस्कृत अध्यापकों को बहुत कम वेतन मिलता था अब यह कोशिश की गयी है कि जो संस्थायें अच्छे स्तर की हैं और काफी संख्या में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में विद्यार्थियों को भेजती हैं उनका अब और वर्गीकरण कर दिया गया है। इस प्रदेश में २२ अ में और ४० ब में संस्थायें हैं और उनके शिक्षकों को वही वेतन क्रम दिया जाएगा जो साधारणतया अन्य संस्थाओं में दिया जाता है।

जहां तक शारीरिक शिक्षा का संबंध है विभिन्न तरह के कार्यक्रम प्रदेश में चल रहे हैं, जैसे ए० सी० सी०, एन० सी० सी० और इ० एस० बी० अनुशासन योजना। केंद्र की ओर से एक समिति बैठी, माननीय कुंजरू जी की अध्यक्षता में उन्होंने कुछ अपने सुझाव दिये हैं जिसके अनुसार सारे कार्यक्रमों को एकीकरण करके शारीरिक शिक्षा को चलाना चाहिए। इस पर केंद्र से विचार विनिमय हो रहा है और उनके विचार आने के बाद उस तजवीज को पेश करने का प्रयास किया जायगा।

अब एक बात मैं अध्यापकों के विषय में कहना चाहता हूं। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं इस बात को स्वीकार भी करता आया हूं और आज भी इस बात को स्वीकार करता हूं कि शिक्षा का स्तर अध्यापकों के द्वारा ही सुधर सकता है। इसलिए यदि वास्तविक शिक्षा हम देना चाहते हैं और शिक्षा के स्तर को उठाये रखना चाहते हैं और उस तरह के व्यक्तियों का निर्माण करना चाहते हैं जो समाज के लिए अच्छे साबित हो सकें तो अध्यापकों की ओर हमको ध्यान रखना ही होगा। प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का इस प्रदेश में विशेषकर कम वेतन है। आपको याद होगा कि जो मौजूदा वर्ष है उसमें ५ रुपये प्रतिमास उनके लिए बढ़ाये गये हैं और इससे हमको १ करोड़ १६ लाख लाख रुपये व्यय करने पड़े। इसमें २५ लाख रुपये आयोजन के अन्तर्गत हैं और ९०.७ लाख रुपये आयोजना के बाहर हैं। २२ लाख रुपया शिक्षकों के लिए ग्रेचुइटी का जो विधान है उसके अन्तर्गत रखा गया है और एक त्रिसूत्री लाभ योजना रखी गयी है जिसके तीन अंग हैं—प्राविडेंट फंड, बीमा और पेंशन। अभी तक अध्यापकों को, चाहे किसी प्रशासकीय संस्था में काम करते हों उनको केवल प्राविडेंट फंड मिलता था जिसमें जितना वह स्वयं देते है उतना ही उनको शासन तथा व्यवस्थापकों की ओर से मिलता था। अब यह जो त्रिसूत्री लाभ योजना रखी गयी है उसमें किसी सुविधा को वापस नहीं लिया गया है बल्कि यह और रख दिया गया है कि उनको पेंशन भी दी जायगी और पेंशन देने का जो विधान रखा गया है इसमें कुछ सीमा निर्धारित है, जैसे कि हर जगह पेंशन में सीमा निर्धारित होती है। एक अंश जो वेतन का होता है वह पेंशन के रूप में दिया जाता है।

मुझे इस बात का पता चला है और माननीय सदस्यों के सामने भी यह बात आई है कि इस योजना के विषय में बहुत सी चर्चा होने लगी है और असंतोष प्रदर्शित किया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस रोज इस बात की घोषणा हुई थी उससे ४, ५ रोज पूर्व ही माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मुझे मिले थे और उससे पहले भी मिले थे। उनका कहना यह था

[श्री कैलाशप्रकाश]

कि शासन को कोई भार वहन नहीं करना पड़ेगा और केवल प्रशासकीय आदेश से ही यह योजना लागू की जा सकती है । मेरी समझ में यह बात नहीं आई । लेकिन जिसको हम चलाने वाले थे उसका परीक्षण किया गया और इस चीज को न तो शिक्षा विभाग और न फाइनेंस विभाग ने ही स्वीकार किया । कोई फायदा पहुंचाना चाहे और उसमें खर्चा न हो यह बात समझ में नहीं आती है । खैर, उनकी यह मांग थी । इधर से यह मांग की गयी कि पेंशन अतिरिक्त दे दी जाय और उसका राजकीय कोष से देने का प्राविधान किया गया । लेकिन इसकी तुलना राजकीय कर्मचारियों के साथ की जाती है कि जितनी पेंशन उनको मिलती है उतनी ही हमको मिलनी चाहिए । राजकीय कर्मचारियों को ३०/८० मिलती है और अध्यापकों को ३०/१२० मिलेगी । लेकिन यह याद रखने की बात है कि राजकीय कर्मचारियों को कोई प्रावीडेंट फंड का अंशदान नहीं मिलता है । उनको केवल एक चीज पेंशन ही मिलती है । हमने इनके लिए दोनों चीजें रखी हैं कि प्रावीडेंट फंड का अंशदान भी मिलेगा इसके अतिरिक्त पेंशन भी मिलेगी ।

यह योजना दो और प्रदेशों में चल रही है--मैसूर और मद्रास में । वहां से मैंने आंकड़े मंगाये हैं और मैं कह सकता हूं कि वहां जो सीमा निर्धारित की गयी है उस सीमा से हमारे यहां सीमा कम नहीं है । बल्कि एक प्रदेश से तो हमारे यहां सीमा अधिक है । डिग्री कालेज के मुख्याध्यापकों को १५० रुपये उच्चतर सीमा मद्रास में है हमारे यहां १५० रुपये है, डिग्री कालेज के विभागाध्यक्षों को १०० रुपये हैं वहां और हमारे यहां भी १०० रुपये हैं । इसी तरह से डिग्री कालेजेज के लेक्चरार्स को मद्रास में ७५ रुपये हैं हमारे यहां भी ७५ रुपये हैं । माध्यमिक शिक्षा के मुख्याध्यापकों को मद्रास में ३५ रुपया और हमारे यहां ७५ रुपये हैं और मैसूर में भी यही है। मद्रास में शिक्षकों को ३० रुपये, हमारे यहां ६० और मैसूर में यही हैं । यह हमने इस योजना के अन्तर्गत किया है । इसमें असतोष होने का कोई कारण नहीं है वैसे तो आवश्यकताओं की पूर्ति कभी भी मुश्किल से हो सकती है ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)--

पूर्व माध्यमिक शिक्षा के दृष्टिकोण के बारे में भी कह दें ।

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं जरा यह कह दूं, वह भी बता दूंगा । इन दो सालों में यह किया गया है कि १ करोड़ १६ लाख रुपया प्राथमिक शिक्षा को इस वर्ष में देंगे और २२ लाख रुपया रखेंगे ग्रेचुएटी के लिये। करीब-करीब इतना ही रुपया, जिसका ठीक अनुमान तो नहीं है, यह लाभत्रयी योजना के लिए साल में खर्च होगा । श्रीमन्, १ करोड़ ३५ लाख रुपए की जो बजट में घोषणा हो चुकी है, जो कि ५ रुपये दिये जायेंगे प्राथमिक शिक्षकों को प्रतिमास, २० रुपये का भत्ता जो कि मुख्य अध्यापक हैं माध्यमिक संस्थाओं के और २० रुपये का भत्ता जो स्नातक स्तर के कालेज हैं उनमें जिनको ३५० रुपये तक वेतन मिलता है, उनको दिये जायेंगे । इसमें निम्न वर्ग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं । तो यह करीब १ करोड़ ३५ लाख का खर्च आ जाता है । इतना ही नहीं, इतनी तो केवल घोषणा की गई है, और २ करोड़ रुपये ऐसी चीजों के लिए रखे गये हैं, जो शिक्षकों की दशा को सुधारने में सहायक हों । इसलिए स्पष्ट है कि इस विषय में और भी चीजें देखने को शेष रह गयी हैं । माननीय सदस्यों की ओर से बार-बार इस बात की चर्चा उठाई जाती है कि केंद्र हमको इतनी धनराशि देने के लिए तैयार है । एक करोड़ १६ लाख का जो खर्च हो गया है उसमें से १६ लाख रुपया उनका है और जो ९० लाख रुपया हमने योजना के बाहर रखा है उसमें से अभी कोई सहायता केंद्र से नहीं प्राप्त हुई है और न उसके प्राप्त होने की कोई सूचना है । और जो २ करोड़ की हमने घोषणा की है, ६५ लाख योजना के अन्तर्गत की है। जो आयोजना के अन्तर्गत है, उसमें तो ५० फीसदी की सहायता केंद्र से मिलेगी, क्योंकि आयोजना से मिलती है, लेकिन १ करोड़ ३५ लाख जो और रखा गया है, उसमें

से केंद्र से कोई सहायता न तो प्राप्त होती है और न कोई उसके आदेश आये हैं। इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना ठीक नहीं है जब कि वास्तविकता दूसरी है। कोई विभाग कोई बात सोचता है, शिक्षा विभाग कोई बात सोचता है, लेकिन वह चीजें जाती हैं प्लानिंग कमीशन को, वह चीजें जाती हैं वित्त मंत्रालय को और जब इन तीनों विभागों की राय मिल जाती है तब उसके अन्दर रुपया दिया जाता है, अन्यथा नहीं। यह हालत हमको केंद्र की भी मालूम होती है कि वहां पर इस चीज की इच्छा तो है, लेकिन अन्य विभागों के बीच मतैक्य न हो पाने के कारण, हमें कोई ऐसे आदेश नहीं मिल पाये हैं कि वह आयोजना में कितना देने वाले हैं और कितना देंगे।

इस पृष्ठभूमि को देखते हुए माननीय सदस्य इस चीज को देखेंगे कि शिक्षकों की ओर पूरा-पूरा ध्यान रहा है, लेकिन अफसोस है इस बात का और मैं माननीय सदस्यों के सामने इस चीज का जिक्र भी कर चुका हूं कि शिक्षक वर्ग ने उसे समझा नहीं है। इस बात का प्रयत्न होने पर भी, २५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी को शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के बाजजूद भी शिक्षकों ने यह मुनासिब समझा है कि वह परीक्षाओं का वहिष्कार करें। मैं बहुत ब्योरे में तो नहीं जाना चाहता हूं और मैं आपके द्वारा उनसे भी तथा जो शिक्षा से संबंधित हैं उनसे भी कह देना चाहता हूं कि परीक्षाओं का बहिष्कार करना एक बड़ा दुष्कर्म है, एक खतरनाक काम है, देश के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है। ऐसा होने से देश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य अन्धकार में पड़ जायगा, जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनमें उन्हें सम्मिलित होना और प्रवेश मिलना दुश्वार हो जायगा। इसलिए यह परीक्षाएं लेनी चाहिए। जो शिक्षकों की तरफ से इस बात के दृष्टिकोण रखे जा रहे हैं, उनकी जो मांगें आती हैं, उन पर विचार किया जाता है। मैंने यह निवेदन कर दिया है कि उनकी मांगों पर विचार होता रहा है और होता रहेगा और जितनी सुविधाएं उनको पहुंचाई जा सकती हैं, उनको उस सीमा तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता रहा है और किया जाएगा। इस सबके बाद उनका इस तरीके से विशेषकर परीक्षा के संबंध में ऐसा रुख अख्तियार करना मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता। प्रदेश की और देश की हालत देखते हुए, मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता विद्यार्थियों के भविष्य को सामने रखते हुए और मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता अपने प्रदेश में शांति व्यवस्था के हित में। इसलिये मैं उनसे अनुरोधपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बात पर पुनर्विचार करें। मुझे कभी किसी वक्त एतराज नहीं होता शिक्षकों का स्तर सुधारने में, उनके द्वारा आये हुए सुझावों पर विचार करने में। और इसलिए मैं आपके द्वारा, क्यों कि आप में से बहुतों का शिक्षा संस्थाओं से संबंध है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं और अपने विद्यार्थियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे और कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा निर्धारित समय में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो जाय और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी उस क्षेत्र में इस कार्य में हमें पूरा सहयोग दें। मैं, इसलिए नहीं कि मुझे शिक्षा से विशेष प्रेम है, इसलिए भी नहीं कि मैं शिक्षा मंत्री हूं, बल्कि इसलिए कि किसी भी देश और समाज के लिए शिक्षा सबसे आवयश्क वस्तु है, आशा करता हूं क्योंकि मैंने आशा अभी नहीं छोड़ी है, बल्कि विश्वास है कि शिक्षकों ने जो निर्णय किया है वह उसको बदलेंगे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक दूषित वातावरण उभाड़ने की कोशिश की जा रही है और एक विरोध प्रबंधकों और शिक्षकों के बीच में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग यह कहते हैं कि मैनेजर लोग कोई कार्य नहीं करते हैं, वे केवल मुगलों की तरह राज्य करते हैं, अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं और जिस तरीके से जमींदार होते हैं उसी तरह से जमींदारी रखना चाहते हैं। मगर मैं इस बात को सर्वथा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि जहां शिक्षक शिक्षा की सेवा करते हैं, जहां शासन शिक्षा की सेवा करता है वहां ये मैनेजर लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा करते हैं। यदि उनकी ये सेवायें उपलब्ध न होतीं तो हम शिक्षा के प्रसार को उस हद तक नहीं ले जा सकते थे जिस हद तक उसको ले जाया गया है। यह बात है कि जो ऐक्ट हमने ५८ में पास किया था उसके कारण कुछ कठिनाइयां प्रबंधकों, प्रबंधक समितियों, शिक्षकों और शासन को भी हो रही हैं और उनका हल करना

[श्री कैलाशप्रकाश]

आवश्यक है, लेकिन जैसा मैं कह चुका हुं उसमें संशोधन के लिए राधाकृष्ण कमेटी के सुझावों की प्रतीक्षा है। वे आ जांय तो उनको सामने रखकर उसमें संशोधन किया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

ट्रवलिंग ग्रांट के बारे में भी आप स्पष्ट कर दें।

श्री कैलाशप्रकाश—

जो विद्यार्थी बाहर जाते हैं विदेशों को उनको कुछ यात्रा व्यय का अंश देने की कोशिश की जाती है। सरकार इस बात को अनुभव करती है कि जो निर्धारित धनराशि है इस मद में बहुत कम है। इतना बड़ा प्रदेश है और यह खुशकिस्मती है कि हमारे विद्यार्थी अधिक संख्या में विदेश को जाते हैं जिनको विदेश से छात्रवृत्ति मिलती है और विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं जो स्वतः इस बात का प्रमाण है कि वे योग्य हैं। किन्तु धनराशि सीमित होने के कारण हम समस्त विद्यार्थियों को नहीं दे सकते हैं और जिनको देते भी हैं उनको अंश रूप में देते हैं। मुझे जहां तक याद है, जो अमेरिका जाते हैं उनको १,५०० रुपये और जो इंग्लैंड वगैरह जाते हैं उनको अधिक से अधिक १ हजार रुपये तक दिया जा सकता है। इसके लिए ५० हजार रुपया रखा गया है, यह बहुत कम है। इसमें पूरे प्रदेश को बंटता नहीं है और बहुत सी दशाओं में माननीय सदस्यों को और जाननेवालों को असंतोष हुआ होगा, किन्तु उसकी सीमा है और उस धनराशि की सीमा है जो कि वितरण के लिए निर्धारित की गई है।

श्रीमन्, बहुत काफी समय मैंने सदन का ले लिया है, इसलिए बहुत सी बातों को सुनने के बाद जो मुझे कहना होगा कहूंगा। माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे तो मैं उनका उत्तर देने का अन्त में प्रयास करूंगा।

श्री उग्रसेन—

आप इस बात पर अपनी व्यवस्था दें कि एक घंटा माननीय मंत्री जी ने ले लिया। उन्होंने यह नहीं किया कि एक वाक्य में वे अपने अनुदान को रख देते और हम लोगों को जो कहना होता हम कह देते, लेकिन उन्होंने एक घंटे का समय ले लिया। इसलिए अब आप इस बात पर व्यवस्था दें कि हम लोगों को कितना समय बोलने के लिए मिलेगा जो अब आगे बोलने वाले हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

जितने भी माननीय सदस्य बोलते हैं उनके लिए समय निर्धारित है, उनको समय मिलेगा। जहां तक कटमोशन का सवाल है उनके लिए भी समय निर्धारित है, उनको भी समय मिलेगा।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आज इस आदरणीय सदन के समक्ष माननीय अध्यक्ष ने यह घोषणा की कि इस अध्यक्षीय आसन से एक भी अंग्रेजी का शब्द व्यवहार में नहीं लाया जायगा। अभी आप २, ३ अंग्रेजी के शब्दों को व्यवहार में लाये हैं। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि वह माननीय अध्यक्ष की घोषणा उसी समय के लिए थी या आगे के लिए भी ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं तो समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी "ग्रांट" शब्द का प्रयोग किया था, अगर आप उसी समय कह देते तब तो यह बात सही होती।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव पेश करने वाले को और सदस्यों को इस पर बोलने के लिए कितना समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता--

वह मैंने बतला दिया ।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं शिक्षा के अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १७ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, शिक्षा जनतन्त्र की रीढ़ होती है । जनतन्त्र देश में आया परन्तु सामाजिक स्थिति को बदलने के लिए, नई प्रणाली का प्रसार करने के लिए, योजनाओं को पूर्ण करने के लिए जिस प्रकार की शिक्षा अपेक्षित थी उस प्रकार की शिक्षा देश में नहीं आ सकी । हमारी शिक्षा जिस प्रकार से परतन्त्रता के समय से चली आ रही थी उसी प्रकार से चलती रही । उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो सका । फलतः आज सारे समाज में शिक्षा के प्रति असंतोष है । चाहे शिक्षक हों, चाहे विद्यार्थी हों और चाहे अभिभावक हों वे सभी वर्तमान शिक्षा के प्रति किसी न किसी रूप में असंतोष व्यक्त करते हैं । इसका केवल यही कारण है कि इस शिक्षा से समाज जो अपेक्षा करता है उसे पूरा करने में शिक्षा असमर्थ रही है । शिक्षा व्यक्ति के निर्माण में सहयोग देने के लिए होती है । जहां व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए शिक्षा ग्रहण करता है वहां शिक्षा ऐसी भी होनी चाहिए कि वह चरित्रवान तथा संवेदनशील व्यक्तित्व का निर्माण कर सके, जो देश को ऊंचा उठाने में सहायक हो सके । जब हम शिक्षा को इस कसौटी पर कस कर देखते हैं तो उसमें एक खोखलापन नजर आता है और उसका कारण है कि जो आशा हम शिक्षित समाज से कर सकते हैं वह पूरी नहीं हो रही है । जिन योजनाओं को हम उन के हाथों में देते हैं वे उनको पूरा करने में असमर्थ हैं । विद्यालयों में अनेक समस्यायें खड़ी होती हैं । शिक्षकों और विद्यार्थियों में झगड़े होते हैं और ऐसी बातें दिखाई पड़ती हैं जो किसी राष्ट्र के लिए लज्जाजनक होती है । यदि हम शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित कर देते और शिक्षा के उसी दृष्टि-कोण की तरफ ध्यान देते तो आज की स्थिति पैदा नहीं हो पाती । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विद्यार्थियों में नैतिक उत्थान कैसे हो, इस पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गयी है । मैं चाहूंगा कि जब उसकी रिपोर्ट प्रकाशित हो तो वह प्रकाशन तक ही सीमित न रह जाय बल्कि उसका कार्यान्वयन भी हो । अक्सर कमीशन बैठते हैं, उनकी रिपोर्ट प्रकाशित होती हैं, किन्तु उन पर अमल नहीं किया जाता । मंत्री महोदय अपने भाषण में स्वीकार कर चुके हैं कि हमारा प्रदेश शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है इसलिए अब मैं इसकी तुलना दूसरे प्रदेशों से करने में कोई औचित्य नहीं समझता । उन्होंने कहा कि इस वर्ष जितना रुपया बजट में बढ़ाया गया है उस बढ़े हुए रुपये का २५ प्रतिशत शिक्षा के लिए दिया गया है । मुझे इस से संतोष नहीं है । इस बात से मंत्री जी संतुष्ट हो सकते हैं । इस प्रदेश में दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा जितना कम रुपया खर्च किया जाता है उसे देखते हुए यह वृद्धि कुछ नहीं है । भारत के पिछड़े प्रदेशों में भी पूरे बजट का २० प्रतिशत तक शिक्षा पर व्यय होता है जब कि इस प्रदेश में कुल १४ प्रतिशत ही खर्च होता है । इस बढ़े हुए रुपये को भी इसमें अगर शामिल कर लिया जाय तो भी यह कुल १६ प्रतिशत ही हो पाता है । इसलिए दूसरे प्रदेशों के बराबर आने में हमको अभी काफी रुपया शिक्षा के बजट में बढ़ाना होगा ।

राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और स्त्रियों, दोनों की शिक्षा में, हमारा प्रदेश पिछड़ा है । बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत हमारे प्रदेश में पिछड़े हुए प्रदेशों से भी बहुत कम है । स्त्रियों की शिक्षा महाराष्ट्र में १६.८, मद्रास में १८.२, गुजरात में १९.१, केरल में ३८.९ और उत्तर प्रदेश में केवल ७ प्रतिशत है । कुछ प्रगति इस दिशा में शिक्षा मंत्री जी ने हाल ही में की है, लेकिन बालिकाओं की शिक्षा के लिए और भी कदम उन्हें उठाने होंगे और ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष सुविधायें देनी होंगी । इस विषय पर सरकार तथा अन्य सदस्य

[श्री बसन्तसिंह]

भी गंभीरतापूर्वक विचार करें कि जहां गांव दूर-दूर हैं और विद्यालयों में बालिकायें नहीं जा पातीं वहां बालिकाओं को क्या सुविधायें दी जायं। जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की उन्नति नहीं की जा सकेगी तब तक हमारा प्रतिशत कम ही रहेगा। बालकों के स्कूल जितने भी राज्य की ओर से खोले जायें वे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जायं। नगर क्षेत्रों में तो और संस्थाएं भी शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं। जहां लोग स्वयं व्यय करने की क्षमता नहीं रखते वहां सरकार खुद पैसा लगाये। बालक का मौलिक अधिकार है कि उसकी शिक्षा पर व्यय राज्य के द्वारा हो। साथ ही मैं इस बात का विरोध करता हूं कि शिक्षा पर पूर्णरूप से राज्य का अधिकार हो जाय या उसका सरकारी-करण हो जाय। जहां तक मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा प्रसार में मैनेजरों का काफी योगदान है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन यह भी सही है कि कुछ मैनेजर शिक्षा संस्थाओं को अपनी जागीर मानते हैं और शिक्षकों को अपना नौकर समझते हैं। अगर इस वृत्ति का परिचय मैनेजर्स दें तो सरकार को उसे समाप्त करना चाहिये, तभी शिक्षा संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की जो मांग प्रबल हो गयी है, जिसके पीछे कुछ राजनीतिक तत्व आज हैं, वह स्वयं समाप्त हो जायगी।

शिक्षा का वर्गीकरण प्रायमरी, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा में किया जाता है। प्रि-प्रायमरी शिक्षा की दिशा में भी हम कुछ प्रगति कर रहे हैं, जैसा कि शिक्षा की प्रगति के संबंध में १९६४-६५ की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उससे सिद्ध होता है। परन्तु इस क्षेत्र में अधिकतर जो शिक्षण संस्थाएं स्थापित की गयी हैं उनमें या तो साम्प्रदायिक लोगों का हाथ है या कुछ लोग जो ब्यापार चलाने का उद्देश्य रखते हैं उनका हाथ है। मांटेसरी शिक्षा या दूसरी शिक्षा के नाम पर कुछ ईसाइयों के स्कूल कायम हैं जिनमें ईसाई धर्म का प्रचार होता है। इस धर्म निरपेक्ष प्रदेश में ईसाइयों की इन शिक्षा संस्थाओं के होस्टल में रहने वाले छात्र अगर दूसरे मजहब या धर्म के मानने वाले हैं तो उनको अपनी विशेष पूजा पद्धति को करने का अधिकार नहीं दिया जाता। वहां पर वही काम हो सकते हैं जो ईसाइयों को रुचिकर होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरे जो व्यापार के दृष्टिकोण से स्कूल खोले जाते हैं उनके लिये भी नियंत्रण होना आवश्यक है और उनके लिये उचित नियम बनाये जायं। हम इन संस्थाओं पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहते, जिससे किसी के मौलिक अधिकार का हनन हो, लेकिन व्यापार की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये और विद्यार्थियों का शोषण नहीं होना चाहिए।

पब्लिक स्कूलों के पढ़े हुए विद्यार्थी एक नवीन वर्ग का निर्माण कर रहे हैं और उसी विशेष वर्ग की सुविधा के लिये हमारी रीति-नीति बनती है। आज भी अंग्रेजी का प्राबल्य है और चूंकि वहां अंग्रेजी सिखाई जाती है इसलिए वहीं के विद्यार्थी सरकारी नौकरियों में उच्च स्थान पाते हैं और विदेशों में भी छात्रवृत्ति की सुविधा उन्हीं को मिलती है। हमें ज्ञात है कि ऊंचे अधिकारी और मालदार लोग उन स्कूलों में अपने लड़के भेजते हैं और वहां एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों का निर्माण होता है। उनकी हमदर्दी भी किसी हद तक भारतीय गरीब और पिछड़े हुए व्यक्ति से नहीं रहती और उनकी समस्याओं को भी वह समझ नहीं पाते हैं। ऐसा प्रबन्ध किया जाना आवश्यक है कि उन स्कूलों में ऐसे विद्यार्थियों का निर्माण हो जो हमारे देश की परिस्थितियों को भली भांति समझ सकें और विशेष वर्ग का निर्माण न कर सकें।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है, उसकी स्थिति अत्यन्त भयानक है और यदि यह कहा जाय कि वहां शिक्षा हो ही नहीं रही है और ये शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के कार्य से कोसों दूर हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह ठीक है कि जहां तक बालकों की संख्या का प्रश्न है वह बढ़ी है परन्तु भारतीय संविधान में जो लक्ष्य निर्धारित किया

गया था कि संविधान लागू होने के १० वर्ष के भीतर १४ वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दे सकें उस लक्ष्य से हम बहुत दूर हैं और मैं समझता हूं कि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं वह दिन नहीं आयेगा कि जब यह लक्ष्य पूरा किया जा सके। ११ साल की आयु के शिक्षित बच्चों का प्रतिशत भी बहुत कम है। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बेशक ठीक है, परन्तु मैं उनको बताना चाहता हू कि आंकड़े जो उन्होंने प्रस्तुत किये हैं उनमें उन विद्यार्थियों की संख्या भी दिखाई गयी है जो कि छात्र वृद्धि आन्दोलन के समय लिखे जाते हैं। उस समय नाम लिख दिया जाता है और बच्चा स्कूल आता भी नहीं। १४ वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का भी २४ प्रतिशत लक्ष्य पूरा हुआ है। मैं समझता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर भी आप लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायेंगे। अब भी ७६ प्रतिशत का लक्ष्य बाकी रह जाता है।

दूसरे प्रायमरी शिक्षा के शिक्षक, समाज में अत्यन्त उपेक्षित व्यक्ति समझे जाते हैं। मुझे इस संबंध में जिला परिषदों के अध्यक्षों और प्रमुखों से शिकायत है। जब से शिक्षकों का ट्रांसफर उनके हाथ में दिया गया है वे उनके नौकर बन गये हैं। अगर प्रायमरी शिक्षक उनको खुश रखता है तो वह अपने स्थान और पद पर रह सकता है, चाहे पढ़ाये या न पढ़ाये। उसका काम ठीक माना जाता है और अगर खुश नहीं रखता तो एक-एक दिन में कई-कई बार उसका स्थानान्तरण किया जाता है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि मेरे जिले में यह हालत है कि जिला परिषद् के अध्यक्ष और प्रमुख अपनी वासना की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। अगर अध्यापिकाएं उनकी काम वासना की पूर्ति नहीं कर पातीं तो उनके साथ अन्य प्रकार के अत्याचार किये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि जब इस प्रदेश की मुख्य मंत्री एक स्त्री हैं तो इन लोगों के हाथों से उन्हें बचाने का प्रयास करें, अन्यथा बालिकाओं के लिये मंत्री जी ने जितनी योजनाएं बनायी हैं वे अधूरी रह जायंगी क्योंकि उनको शिक्षिकाएं मिलेंगी ही नहीं। कोई भी सम्मान रखने वाली स्त्री आज इस नौकरी को पसन्द नहीं करेगी।

तीसरी बात है शिक्षकों के वेतन की। प्राइमरी शिक्षकों का वेतन इतना अल्प है कि उस वेतन में आज की भीषण मंहगाई के समय में एक अच्छे स्तर का जीवन बिताना तो दूर रहा, एक सामान्य स्तर का जीवन भी गुजर नहीं कर सकता और इसी कारण से वह एक पार्ट-टाईम जाब सा बना हुआ है। आज प्राइमरी शिक्षक की यह हालत है कि वह अपने जीवन को चलाने के लिये कुछ न कुछ और धंधा करने को बाध्य-सा है। श्रीमन्, ऐसे स्कूलों की संख्या भी कम नहीं जिनमें अध्यापक साल भर में केवल २५ या ३० दिन ही पढ़ा पाते हैं। वे अपने ट्रान्सफर करवाने और रुकवाने के चक्कर में ही पड़े रहते हैं। इस ट्रान्सफर के चक्कर में जब एक आदमी चला जाता है तो दूसरा आदमी भी अपने ट्रान्सफर को रुकवाने की कोशिश करता है और इस तरह दोनों ही जिला परिषद् के चक्कर लगाते रहते हैं और इसका फल यह होता है कि कोई भी अध्यापक पढ़ाने के लिये नहीं जा पाता है।

इधर माध्यमिक शिक्षा के सुधार की बात की जाती है, लेकिन प्राइमरी शिक्षा कितनी खराब हो रही है इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक प्राइमरी शिक्षा के स्तर को ऊंचा नहीं किया जावेगा तब तक न माध्यमिक शिक्षा और न ही यूनिवर्सिटी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है। जब हम माध्यमिक शिक्षा के रिजल्ट को देखते हैं तो बड़ी शिकायत इस बात की होती है कि विद्यार्थियों का समय नष्ट किया जा रहा है ऐसे कठोर नतीजे निकाल कर। लेकिन मैं जानता हूं कि उन विद्यार्थियों को किस तरह पास किया जाता है। गणित में किसी विद्यार्थी को गोल-दायरा भी बनाना आता हो तो भी उसको नम्बर देने की व्यवस्था है। कोई कुछ भी लिख आये वह पास हो जाता है। आज बोर्ड के सामने यह समस्या है कि वह अपने नियमों में कहां तक ढिलाई

[श्री बसन्तसिंह]

बरते। जब विद्यार्थी ऊंची कक्षाओं में जाते हैं तो वे वहां की शिक्षा समझ नहीं पाते और उन संस्थाओं से शिकायत की जाती है कि वे नतीजे क्यों खराब निकाल रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त जब विद्यार्थी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वह यूनिवर्सिटी की पढ़ाई समझ नहीं पाता। इसलिये शिक्षा को ठीक करना है तो प्राइमरी स्तर को पहिले ठीक करना होगा और उसके लिये शिक्षकों के वेतन को पहिले बढ़ाना होगा। भूखे शिक्षक, जिनका गुजर नहीं हो सकता और जो जिला परिषद् के मेम्बरों के हाथ के खिलौने बने हुए हैं, का वेतन कम से कम १२० रुपये शुरुआत में होना चाहिये तभी शिक्षा का स्तर ऊंचा हो सकता है।

श्रीमन्, बच्चों को पढ़ाने के लिये अधिक परिश्रम की भी शिक्षकों की आवश्यकता होती है। प्राइमरी शिक्षा द्वारा विकसित बुद्धि वाले विद्यार्थी ही आगे की कक्षाओं में ठीक प्रकार पढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह भी देखने में आता है कि अध्यापकों की संख्या बहुत कम होती है और विद्यार्थी ज्यादा रहते हैं। मेरे विचार में एक अध्यापक के लिये २० विद्यार्थी होने चाहिये तभी वह पढ़ाई की देखभाल कर सकेगा। कुछ ऐसी कक्षायें चलती हैं जिनमें पचास विद्यार्थियों के ऊपर एक ही शिक्षक होता है और वह कई विषय पढ़ाये, यह उससे अपेक्षा की जाती है। मैं कहता हूं कि इससे न तो विद्यार्थियों का ही विकास हो पाता है और न ही शिक्षा का लक्ष्य पूरा होता है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय हो गया।

श्री बसन्तसिंह--

श्रीमन् मैंने ३० मिनट मांगें हैं। मैंने भाषण २ बजकर ५ मिनट पर शुरू किया है।

प्राइमरी शिक्षा के पश्चात जूनियर बेसिक और बेसिक शिक्षा आती है। बेसिक शिक्षा आज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रही है। जो उससे अपेक्षा की जाती थी वह उस प्रकार के समाज का निर्माण नहीं कर रही है। आज हम तकनीकी शिक्षा के योग्य ही समाज का निर्माण कर रहे हैं। हम अपने लक्ष्य में कहां तक सिद्ध हो पा रहे हैं, यह सोचने की बात है। उसके लिये एक कमीशन भी बैठा था। मैंने उसकी रिपोर्ट को भी देखा। उस कमीशन ने भी शिक्षा के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है। हम किन्हीं काल्पनिक आदेशों की पूर्ति के लिये जो योजना लागू कर रहे हैं उससे निरर्थक ही धन का व्यय होगा और उससे कुछ नहीं होगा।

माध्यमिक शिक्षा क्षेत्र में शिक्षकों को बड़ा असन्तोष है। मंत्री जी ने भी कहा कि वे उनसे हमदर्दी रखते हैं। और उनकी मांगों पर समय समय पर विचार करते रहे हैं। आज शिक्षक परीक्षाओं का बहिष्कार करने पर तुले हैं। मैं इस कदम को अच्छा कदम नहीं समझता। इससे राष्ट्र की एक बहुत बड़ी क्षति होगी। मैंने अनुमान लगाया कि एक विद्यार्थी पर अगर एक हजार रुपया प्रति वर्ष व्यय किया जाता है तो पांच लाख जो विद्यार्थी बैठते हैं, यदि यह परीक्षा बन्द कर दी गई या किन्हीं कारणों से सन्तोषजनक न हो पायी तो ५० करोड़ की क्षति होगी। इसके अतिरिक्त एक सब से बड़ा नुकसान यह होगा कि विद्यार्थी को जो अवसर मिलता दूसरी परीक्षाओं में बैठने का या आगे बढ़ने का उससे वह वंचित रह जायगा। उसमें सभी के बच्चे होते हैं और उन बच्चों को शिक्षा देना उनके विकास की बात सोचना केवल सरकार का ही काम नहीं है, हमारा भी काम है, शिक्षकों का भी काम है और हर विचारशील व्यक्ति का काम है। विरोधी दलों का उत्तरदायित्व केवल इतना ही नहीं होता कि सरकार का केवल विरोध कर; बल्कि उनका

उत्तरदायित्व यह भी होता है कि सरकार की यदि कहीं कमी है तो वह उसको बतायें जिससे कि सरकार को सुधार का मौका मिले। यदि इस दृष्टि को ध्यान में नहीं रखा जाता तो अच्छा फल नहीं निकल सकता और यह जनतंत्र के लिये घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन सोचना यह पड़ेगा कि आखिर इस कदम को उठाने के लिये वह क्यों उद्यत हुए, जो शिक्षक राष्ट्रनिर्माता कहे जाते हैं वे इतना खतरनाक कदम क्यों उठा रहे हैं? यह बात स्पष्ट है कि सरकार ने आज तक शिक्षकों को उपेक्षित दृष्टि से देखा है। उनके प्रति घोर उपेक्षा बरती गई है। उनको समाज में जो स्थान देना चाहिए था वह नहीं दिया गया। सरकार कहती है कि उसके पास शिक्षकों का वेतन बढ़ाने के लिये रुपये की कमी है। मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि उनको सुविधायें देने के लिये रुपया बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि कुछ शिक्षक यह बात कह रहे थे कि उनको कुछ सुविधायें दे दी जायं और उन पर सरकार को कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको नहीं मानता। यह ठीक है कि जब सुविधायें दी जायंगी तो रुपया बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार को सनक सवार हो जाती है तो अनुत्पादक योजनाओं पर और निरर्थक योजनाओं पर जिनका कि कोई फल नहीं निकलता, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया जाता है। मैं इसके आंकड़े देकर सदन का समय व्यर्थ करना नहीं चाहता। आडिट रिपोर्ट को अगर आप देखें तो उसमें ऐसी योजनायें मिलेंगी जिनमें कितना ही रुपया सरकार ने व्यर्थ खर्च किया है। यदि तमाम योजनाओं का निरीक्षण किया जाय तो ऐसी अनेक चीजें निकलेंगी जिनसे सिद्ध होगा कि करोड़ों रुपया सरकार बर्बाद करती है। क्या व्यक्तियों का निर्माण करने के लिये जिससे कि राष्ट्र की उन्नति होगी, हम यह खर्च नहीं कर सकते? लेकिन हमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। हमने शिक्षा के क्षेत्र को उपेक्षित रखा। निरर्थक योजनाओं में अधिक रुपया लगाया। शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण ठीक हो जाय तो रुपया बजट में कहीं न कहीं से आ ही सकता है।

(इस समय २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

प्रसार अध्यापक जो बेसिक स्कूलों में कायम किये गए थे उनकी सेवा स्थायी कर दी गई है, यह अच्छी बात है, परन्तु सन् ५७ से किया जाता तो अधिक अच्छा होता। जो लोग सन् ५४ से नौकरी कर रहे हैं और जो अब सन् ६४ में करेंगे उनमें जो इस समय के स्थायीपन से एक समानता आ जाती है वह समाप्त हो जाती। दस साल पहले से काम करने वाले व्यक्तियों को पूर्वता मिल जाती। दूसरे उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से ले लेनी चाहिए। कन्डेंस्ड कोर्स में जो प्रशिक्षण के लिये स्कूल टीचर्स भेजे जाते हैं, बहुत से प्रबन्धक उनको नहीं भेजते हैं। इसलिये ऐसा किया जाना आवश्यक है कि जो लोग जाना चाहें, यदि प्रबन्धक न भी चाहें, तो भी उन्हें उसकी स्वीकृति मिले। विज्ञान की ग्रान्ट उन स्कूलों को दी जाती है जिनमें पहले से ही विज्ञान की कक्षायें चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि नये स्कूलों को भी जो विज्ञान की शिक्षा देना चाहते हैं, ग्रान्ट मिलनी चाहिये, जिससे विज्ञान की शिक्षा का प्रसार हो।

यूनिवर्सिटी शिक्षा के बारे में मैं अधिक विस्तार से नहीं कहूंगा, परन्तु केवल इतना कहना चाहूंगा कि जहां मेरठ और कानपुर में यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं वहां बरेली डिवीजन में भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिये और मैं तो यहां तक मंत्री जी से कहूंगा कि मेरठ में यूनिवर्सिटी की आवश्यकता कम है, बरेली में ज्यादा है। अगर आप को आगरा यूनिवर्सिटी का बोझ हलका करना है तो बरेली मन्डल में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय। मेरठ के समीप तो आगरा और अलीगढ़ में यूनिवर्सिटियां हैं। किन्हीं विश्वविद्यालयों में अध्यापकों का वेतन २२, रुपये से और किन्हीं में ४०० रुपये से आरम्भ होता है। इससे अध्यापकों में बड़ा असन्तोष है। सभी विश्वविद्यालयों

[श्री बसन्तसिंह]

में एक सा वेतन-क्रम होना चाहिये। चाहे अध्यापक वर्ग हो, चाहे मिनिस्टीरियल स्टाफ हो या चाहे निम्न वर्ग के कर्मचारी हों। सभी विश्वविद्यालयों में एक वर्ग के कर्मचारियों का वेतन समान होना चाहिए। माध्यमिक अध्यापकों के बारे में मंत्री जी ने कहा और अक्सर कहते रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों पर लागू होने वाले नियम उन पर लागू नहीं होते हैं, इसलिये उनका वेतन समान नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाय तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। उनका वेतन-क्रम सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के समान किया जाय। हम समाजवाद की बात करते हैं। मैं नहीं समझता कि किस प्रकार का समाजवाद इस प्रदेश में लाया जा रहा है। ऊंचे वेतन वालों का वेतन बढ़ाया जाता है और नीचे वेतन वालों का वहीं पड़ा है। लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनक्रम बढ़ाये गये परन्तु छोटे कर्मचारियों के नहीं। अगर हम असमानता को दूर करना चाहते हैं तो समान काम के लिये समान वेतन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूं कि शिक्षा के बजट पर ३३ करोड़ ७१ लाख से बढ़ा कर ४३ करोड़ ४६ लाख रुपया कर दिया है। करीब ३० परसेन्ट बढ़ोत्तरी हुई है। शिक्षा मंत्री ने काफी विस्तार के साथ बताया कि शिक्षा में क्या विकास और प्रगति हो रही है। यह बात सही है कि सभी प्रकार के स्कूलों की संख्या बढ़ी है और इस बजट में हमने देखा कि ४, ६ चीजें नयी भी हैं और बहुत अच्छी हैं। मिसाल के तौर पर, इंडियन स्कूल आफ इंटरनैशनल स्टडीज के लिये उत्तर प्रदेश में २ वजीफे २०० रुपये के हिसाब से रखे हैं। जो बरमा से लोग आये हैं उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध भी एक नयी आइटम है और अच्छा है। हाई स्कूल तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क की गई है, हालांकि मंत्री जी का उस वर्ग से अधिक सम्पर्क नहीं है। यह भी अच्छी बात है। कुछ विज्ञान के और पोस्ट-ग्रेजुएट सेंटर्स भी खोल रहे हैं। इसमें शक नहीं कि क्वान्टिटी बढ़ती जाती है लेकिन क्वालिटी, क्षमता और योग्यता में कमी आ रही है। मैं अभी पबलिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था उन्होंने कहा है कि दुर्भाग्य की बात है कि जो बच्चे इम्तिहान देते हैं, चाहे उनका माध्यम हिन्दी हो या अंग्रेजी हो, उनको दोनों में से किसी में भी योग्यता प्राप्त नहीं हो पाती है। प्रतियोगिता की परीक्षाओं में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। इससे साबित होता है कि हमारा शिक्षा के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। तो माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान दें। इसका एक कारण मैं यह भी समझता हूं कि जो शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी जाती है उसका कोई मियार चाहे हो भी, मगर मान्यता देते समय मियार को स्टिक नहीं किया जाता है। जो प्रेशर मान्यता समिति के सदस्यों पर पड़ता है मैं उसे जानता हूं, लेकिन यह बात भी सही है कि संस्थाओं की बुनियादी क्षमताओं को देखे बिना हम मान्यता दे देते हैं। इसी प्रकार टीचर्स को कन्फर्म करने के लिये भी योग्यताओं का कोई दृढ़ मापदन्ड नहीं है। यह बात हायर सेकेन्डरी स्कूलों या इन्टरमीडियेट कालेजों या डिग्री कालेजों तक ही नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटियों तक के लिये हमने कोई मापदन्ड नहीं बनाया है। जब आप टीचर्स की तनख्वाह बढ़ाने की बात सोचते हैं तो मिनिमम क्वालीफिकेशन्स का मापदन्ड भी निर्धारित कीजिये। यूनिवर्सिटियां बढ़ती जाती हैं मगर उनकी रूपरेखा भी करीब-करीब एक ही रहती है। यदि इसमें भी हम परिवर्तन कर सकें तो अच्छा हो।

मैं अपने दोस्त को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कम से कम बरेली का नाम तो लिया। लेकिन मैं मेरठ को काटकर बरेली नहीं चाहता हूं। मेरठ में यूनिवर्सिटी बने। मैं चाहता हूं कि मेरठ के अलावा बरेली में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाय।

मान्यवर, इंटरमीडिएट बोर्ड इतना अनवील्डी, लम्बा चौड़ा हो गया है कि उस पर नियंत्रण रखना कठिन हो गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि उन्होंने राधा कृष्णन् जी की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाई है जो यह देखेगी। मगर इससे पहले भी जब आचार्य जी शिक्षा मंत्री थे, तब भी २ समितियां बनीं थीं। एक तो उच्च शिक्षा के लिये थी जिसके सामने प्रश्न यह था कि उत्तर प्रदेश में ३ साल का डिग्री कोर्स माना जाय या नहीं। एक कमेटी माध्यमिक शिक्षा के लिये बनी थी। मुझे उस कमेटी का तो मालूम है जिसमें यह फैसला हुआ था कि उत्तर प्रदेश को ३ साल का डिग्री कोर्स नहीं मानना चाहिये। यह एक सही फैसला है और सरकार को इस पर कायम रहना चाहिये। बारबार कमेटियां बनने से समस्या हल होने वाली नहीं है। जो कुछ भी करना हो, आप जल्दी से तय करके कीजिये।

समाजवाद की बात जब जनसंघ की ओर से आई तो मुझे अच्छी लगी और लगती भी है क्योंकि अच्छी चीज है। जनसंघ के माननीय सदस्य ने कहा कि हमारी शिक्षा समाजवाद के अनुरूप नहीं है। मैं मानता हूं कि जो हमारा सामाजिक ध्येय है, यह शिक्षा उस ओर अधिक नहीं बढा पा रही है। लेकिन और कोई पद्धति शिक्षा के लिये हम अभी बना नहीं पाये हैं। मेरा अनुभव है कि जितने भी अनुसन्धान और तजुर्बे शिक्षा में किये गये उतनी ही पद्धति और बिगड़ती चली गई, जिसको अंग्रेजी में, अगर मेरे मित्र उग्रसेन जी को कोई परेशानी न हो, तो "कनफ्यूजन वर्स कनफाउन्डेड" कहते हैं, यानी और भी घपड़-चौथ हो गई। मान्यवर, जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस हैं उनमें अब भी करप्शन है। अध्यापकों को कुछ वेतन दिया जाता है और रसीद कुछ ली जाती है। यह भी एक कारण अनुशासनहीनता का है। इसके कारण अध्यापकों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त यह भी दुख की बात है कि विद्यार्थियों में भी अनुशासनहीनता विद्यमान है। उनमें सामाजिक मायूसी बढ़ती जाती है। उसको हम दूर नहीं कर पाये हैं। उसको भी किसी तरह से हमें दूर करना है। इन दोनों बातों का एक कारण यह है कि हमने टीचर्स को पोलीटीशियन बना दिया और इस वजह से उनमें ट्रेड यूनियनिज्म की टेंडेंसी बढ़ती जा रही है। मेरा विचार है कि टीचर्स को आप जितनी सुविधा देना चाहें दीजिये, लेकिन टीचर्स कान्स्टीटुयेंसी को जितनी जल्दी हो सम.प्त कर दीजिये। जिस वक्त इन्टरमीडिएट बोर्ड अमेंडमेन्ट बिल चल रहा था उस पर बहस के समय यह विचार प्रकट किये गये थे कि बहुत से मैनेजर इंस्टीट्यूशन्स को अपनी बपौती समझते हैं। यह बात सही है लेकिन इसके साथ साथ श्रीमन्, यह बात भी सही है कि टीचर जब से पोलीटीशियन बना है वह मैनेजमेन्ट के अनुशासन में चल नहीं पाता है। जब से टीचर पोलीटीशियन बना है वह विद्यार्थियों को माननीय काशीनाथ जी से भी ज्यादा बहकाता है। इस लिये मैं माननीय काशीनाथ जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बात पर हमसे इत्तफाक कर जायं कि टीचर्स कान्स्टीटुयेंसी को खत्म कर दिया जाय।

मैं इस बात को मानता हूं कि टीचर सही माने में शिक्षा के स्तर को, राष्ट्र के स्तर को और समाज के स्तर को ऊंचा कर सकता है इसलिये टीचर को अपनी आर्थिक सीमाओं के अन्दर हम जितनी भी सुविधायें दे सकते हैं, हमें देनी चाहिये। शिक्षा मंत्री जी ने बताया भी कि उन्होंने उनको बहुत-सी सुविधायें दी हैं। लेकिन अध्यापकों ने इस समय जो एटीट्यूड अख्तियार किया है परीक्षाओं के बायकाट करने का, इस पर मुझे बड़ा खेद है। मेरा विचार है कि टीचर्स को अपनी मांगों को शांतिमय ढंग से पेश करना चाहिये। लेकिन यह ट्रेड यूनियनों की तरह से संघर्ष करना उचित नहीं है। इस प्रकार

[श्री नवलकिशोर]

से वह अपनी सीमाओं के बाहर चला जाता है। सरकार ने इस संबंध में जो दृढ़ रुख अख्तियार किया है वह उचित ही है क्योंकि दबाव में आकर कोई बात करना न तो सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और न टीचर्स के हक की ही बात होती है।

मुझे खुशी है कि माननीया मुख्य मंत्री जी ने टेक्निकल एजूकेशन को कई जगहों से हटाकर एक जगह करने का फैसला लिया है। यह ठीक ही है। कहीं पांव कहीं सिर यह नहीं होना चाहिये। एडल्ट एजूकेशन डेवलपमेन्ट के अन्डर में है, वैज्ञानिक शिक्षा साइंटिफिक व कल्चरल विभाग के अधीन और टेक्निकल दूसरे विभाग के साथ। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन शिक्षा मंत्री हो मगर इस टेक्निकल ऐजूकेशन के डायरेक्टर भले ही अलग बना दिये जायं लेकिन मंत्री एक होना चाहिये, क्योंकि शिक्षा का यह तो मिला जुला ढांचा है। यह नहीं हो सकता कि टेक्निकल एजूकेशन अलग जा रहा है, जनरल एजूकेशन अलग जा रहा है। यह नहीं चल सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक ही एजूकेशन मिनिस्टर के अन्तर्गत होना चाहिये।

श्रीमन्, इस संबंध में मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूं। हिन्दी समिति का बजट इनफार्मेशन के अन्दर है। मेरी समझ में नहीं आता कि इनफार्मेशन विभाग से इसका क्या संबंध हो सकता है। आज तक इनफार्मेशन विभाग में कितना क्रिमिनल वेस्टेज हो रहा है उस संबंध में आपको मैं क्या बतलाऊं। वह विभाग तो शराबखोरी और तफरीह का साधन बना हुआ है। यह बिलकुल बेकार का-सा मुहकमा बनता जा रहा है। हिन्दी समिति का कोई स्थान अगर कहीं हो सकता है तो वह सही माने में शिक्षा विभाग में ही हो सकता है और वहीं होना चाहिये।

हिन्दी के बारे में हमारे बहुत से भाई कहते हैं और सही बात भी है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी है और मैं अपनी कमजोरी मान सकता हूं कि मुझे जितनी अच्छी हिन्दी बोलनी चाहिये उतनी अच्छी शायद नहीं बोल पाता। इसकी जितनी प्रगति होनी चाहिये थी नहीं हो सकी। लेकिन इसके लिये सही माने में उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग तथा उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है कि क्या कारण है कि १५–१६ साल के अन्दर हिन्दी की प्रगति के लिये जितना होना चाहिये था, उतना हम नहीं कर पाये और यही कारण कि आज दक्षिण के अन्दर जो कुछ हुआ वह बड़ी खेदजनक बात है और बड़े अफसोस की बात है। अगर दक्षिण के लोग अंग्रेजी के बजाय तमिल भाषा की मांग करते तो हम उसे समझ सकते थे, या तेलगू या कोई और दक्षिणी भाषा की मांग करते तो समझ में बात आ सकती थी, लेकिन अंग्रेजी को हमेशा के लिये आने वाले सालों में इस देश के अन्दर राष्ट्रभाषा की तरह से रखना, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म और अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती और इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं.....

श्री उग्रसेन––

उपाध्यक्ष जी, नवलकिशोर जी हमारे दिल की बात कह रहे हैं।

श्री नवलकिशोर––

मैं तो आपके दिल की बहुत-सी बात कहता हूं लेकिन आप तो उतावलेपन में आ जाते हैं और मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते। जो बात मैं कह रहा हूं उसे समझने की आप कोशिश तो करें।

श्रीमन्, दो चार बातें मैं और कहना चाहता हूं। मेरे एक मित्र ने अभी कहा कि हमारे देश और प्रदेश के अन्दर साम्प्रदायिक शिक्षा संस्थायें बहुत-सी हैं और उनके नाम के साथ किसी सम्प्रदाय का नाम नहीं रहना चाहिये। मान्यवर, मेरा हमेशा से यह मत रहा

है कि जो साम्प्रदायिक संस्थायें हैं, जो जाति-पांत के नाम पर हैं, उन जातियों के नाम उनसे हट जाने चाहिये। और अच्छा तो यह होता कि केन्द्रीय सरकार इस तरफ कोई कदम उठाती जिससे हिन्दू विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय न रह कर वे बनारस विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहे जाने लगते। आज की परिस्थितियों में हिन्दू और मुस्लिम नाम जोड़े रखना बेमानी है?

श्री काशीनाथ मिश्र--

माननीय नवल किशोर जी, हिन्दू शब्द साम्प्रदायिक नहीं है, इसे आप समझ लें।

श्री नवलकिशोर--

बात यह है कि कभी-कभी माननीय काशीनाथ जी मेरे नजदीक आ जाते हैं और कभी-कभी माननीय शारदा भक्त सिंह जी के पास पहुंच जाते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, बड़े-बड़े विद्वानों ने भाष्य किया है कि शब्द "हिन्दू" साम्प्रदायिक नहीं है जब कि शब्द "मुस्लिम" साम्प्रदायिक है। माननीय नवलकिशोर जी को मैं इसकी जानकारी करा दूं, वरना कहना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान देश का नाम ही बदल दिया जाय।

श्री नवल किशोर--

एक बात मुझे डाइरेक्टोरेट के संबंध में कहनी है। यह देख कर खेद होता है कि यह डाइरेक्टोरेट ऐसे योग्य कर्मचारियों व पदाधिकारियों को अपने यहां से नहीं निकाल पाता जो अपने विभाग के अन्दर उच्च स्थान को ग्रहण कर सकते हों। मुझे ऐसा लगता है कि या तो इस विभाग के प्रति कोई उदासीनता रही, वरना जिस वक्त हमें कोई च्वायस करनी पड़ती है डाइरेक्टर की या अतिरिक्त डाइरेक्टर की उस समय फिर यही प्रश्न यदि सामने आये कि हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो यह अच्छी चीज नहीं है। हमें अपना एक ऐसा ढांचा तथा कड़ी बनाना चाहिये कि अगर एक स्थान रिक्त हो तो दूसरा उसकी जगह ले ले। मैं आई० ए० एस० अफसरों की इज्जत करता हूं क्योंकि वह क्रीम होते हैं समाज की लेकिन फिर भी इस तरह का ब्यूरोक्रेटाइजेशन मुझे पसन्द नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि सरकार की ऐसी नीयत है कि एजूकेशन का अतिरिक्त डायरेक्टर आई० ए० एस० बनाया जाय। मुझे किसी व्यक्ति विशेष से चिढ़ नहीं है कि उनको न बनाया जाय या किसी और को बनाया जाय लेकिन यह पालिसी मैं पसन्द नहीं करता। विभाग के लोगों को छोड़ कर बाहर से आई० ए० एस० को लाकर बिठाना मैं पसन्द नहीं करता, यह समझा जाय कि हर जगह के लिये यह बड़े काम्पीटेंट हैं चाहे जहां उसको बिठा दें यह ठीक नहीं है। विभाग के अन्दर भी ऊंचे स्तर के लोग हो सकते हैं उनका एक अनुभव होगा, वह हर चीज को पहले से समझे होंगे। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि यह जो शिक्षा और कृषि आदि के विशेष विभाग हैं उनमें भी आप आई० ए० एस० के लोगों को लाकर बिठा दें, यह बात बहुत मुनासिब न होगी। साथ ही इससे विभागीय लोग हतोत्साहित होंगे।

इसमें शक नहीं है कि शिक्षा मंत्री जी ने ३० प्रतिशत इस ग्रान्ट को बढ़ाया है लेकिन फिर भी प्रदेश का पिछड़ा हुआ शैक्षिक स्तर देखते हुये यह बजट बहुत कम है और हमें कोशिश करना चाहिये कि यह बजट और बढ़े। दूसरे यह कि विज्ञान की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज के आधुनिक विज्ञान के युग में हम इस ओर जितना जोर दें सकें वह हमें देना चाहिये। मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इस ओर और अधिक ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समथन करता हूं।

श्री उग्रसेन---

श्रीमन्, मैं बहुत गौर से माननीय शिक्षा मंत्री के प्रवचन को सुन रहा था। यह जो उन्होंने ४३ करोड़ ४६ लाख रुपये का अनुदान हमारे समक्ष रखा है उसे देख कर हमें बहुत निराशा हुई क्योंकि उन्होंने ऐसी लचर वकालत की है कि उस के लिये जनतंत्र में मैं उनकी नीयत पर तो शक नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उन पर तरस आता है। यह एक पुस्तक "शिक्षा की प्रगति" विभाग ने छापी है। इसमें छोटी-छोटी मदें रखी हैं। मंत्री जी ने हमारे सामने पहले प्राथमिक स्तर, उसके बाद बेसिक शिक्षा, फिर माध्यमिक स्तर और फिर उच्च माध्यमिक स्तर और फिर विश्वविद्यालय स्तर की बात रखी। विदेश जाने वाले लोगों के लिये भी अनुदान का जिक्र किया। उन्होंने तमाम बढ़ोत्तरी का और व्यय के ब्यौरे का हिसाब किताब दिया, लेकिन मौलिक नीति का कोई खुलासा नहीं दिया, तो हम उनको क्यों ४३ करोड़ रुपया दे दें?

प्राथमिक शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूं कि जरा यह देखा जाय कि १५ अगस्त सन् १९४७ के बाद १८ साल में प्राथमिक शिक्षा कहां पहुंची है? मंत्री जी को मालूम होना चाहिये कि एशिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां ८०-९० प्रतिशत लोग साक्षर न हों। मैं सन् १९५३ में बर्मा गया था, जो प्राथमिक शिक्षा थी वहां पर, उसके आधार पर कम से कम साक्षरता ८६ दशमलव कुछ है, शायद अब सौ हो गई हो। मैं बताऊं हमारे गुरू आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में कमेटी बैठी, १९३९ में, उसकी रिपोर्ट के पृष्ठ ४१ पर लिखा हुआ है कि 'यहां पर जो प्राथमिक शिक्षा दी जाय, उसको अनिवार्य कर दिया जाय'। मैं मंत्री जी से ज नना चाहता हूं कि इतने रुपयों का बजट आपने खर्च किया, परन्तु अभी तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से लागू करने में क्या दिक्कत रही? पृष्ठ ४१ पर यह लिखा हुआ है कि 'बेसिक शिक्षा के स्तर तक, जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक, किसी भी दशा में अंग्रेजी में पढ़ाई लिखाई न होनी चाहिए'। मैं कहना चाहता हूं, माननीय कैलाश प्रकाश जी से कि उन्होंने विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल की है, मैं पूछना चाहता हूं कि आप दर्जा ३ से अंग्रेजी पढ़ा कर भारतीय संविधान की भावना का आदर कर रहे हैं? अंग्रेज लोग जब थे, तो अंग्रेजी कक्षा ७ से चलाई जाती थी और आज इस राज्य में अंग्रेजी कक्षा ३ से ही चलायी गयी है। अब बाबा और बाबू वाली बात तो छूट गई, अब तो मम्मी और डैडी वाली बात रह गई है। आप कहते हैं कि कुछ बालिकाएं बढ़ गईं, जब यह बेसिक स्तर पर पहुंचेगी दूसरी योजना में, तो बालकों की शिक्षा १५.४= है और बालिकाओं की शिक्षा २.११ है, तो दोनों मिला कर जब औसत लगाएं तो ९.१३ बच्चे पढ़ रहे हैं। यह जनतंत्र की सरकार, सब को जनतंत्र की भावनाओं से जानकारी कराने वाली सरकार, यह हमारे प्राथमिक शिक्षा के बारे में अभी तक क्या कर पाई है? इस साल ६४-६५ में हमारे मिश्रित बालकों के विद्यालय ११,७७५ हो गये। मैं कहता हूं कि नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट यह नहीं है कि इस तरह से स्कूल के नाम होंगे, जैसे कुछ अंग्रेजी के हैं, जैसे उर्दू के स्कूल हैं, सब तोड़ तोड़ कर एक ही नाम होगा, बेसिक विद्यालय और एक ही शिक्षा होगी, बेसिक शिक्षा और यह जूनियर हाई स्कूल के स्तर तक चलेगा। लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की।

श्रीमन्, मुझे भी मौका मिला है, मैं भी कुछ दिनों तक बम्बई में अध्यापक रहा और जहां से चुन कर आया हूं, वहां भी मास्टर रहा, लेकिन साहब जब मुझे ३ महीने तक तनख्वाह नहीं मिली तो चौथे महीने मैंने दरख्वास्त दिया कि साहब मैं म्युनिसिपलिटी में मेहतरी करूंगा, लेकिन मास्टरी नहीं कर सकता हूं। अरे साहब! मैनेजर साहब की लड़की की शादी होती है, तो मास्टरों से कहा जाता ह कि चलिए हमारा विस्तर बिछाइए। गरीब अध्यापक बेचारे उनके घर पर पढ़ाने जाते हैं। यह सब धांधलेबाजी है। यह जो अपना पुराना इन्टरमीडिएट कानून पास हुआ है, उसमें मैनेजरों के पक्ष में कानून पास हुआ है। यह तो सब साजिश है। अगर यह साजिश है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे।

कौन-सी नई बात कर दी है आपने, यह कर दिया कि अब एक नया अनुदान दिया है? अनुदान में क्या हुआ, ५ लाख रुपये बच गये। ऐसा फार्मूला निकाला कि ५ लाख रुपये बच गये। तो मैं निवेदन करता हूं कि जिस विद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब हो, उसको उतना

धन दिया जाय। आपने शिक्षा की किसी मौलिक बात की चर्चा ही नहीं की है। न आप मानते हैं कि अन्य मुल्कों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं, जो जनतंत्र के अनुरूप हैं। ऐसी आपकी कोई इच्छा नहीं है।

एक मुदालियर कमीशन की रिपोर्ट हुयी है। मुदालियर साहब लिखते हैं कि हायर सेकेंडरी शिक्षा तक दो भाषाएं पढ़ाई जायं जिनमें एक प्रादेशिक भाषा हो। आपने स्वयं कहा। केन्द्रीय सरकार ने मुदालियर कमीशन बनाया। उनसे आशा नहीं कर सकते कि वे दो भाषाएं पढ़ाएं। तामिल, बंगला, उड़िया, मलयालम पढ़ाने की आपने क्या व्यवस्था की है?

(मंत्री जी के कुछ कहने पर)

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि माननीय विधायक स्वयं पढ़ें तो हम व्यवस्था कर सकते हैं। माननीय विधायकों को तो आप को पढ़ाने में सारा समय लग जाता है।

यह देश बहुत विशाल है। मुझे आज बाबर की 'तुजुक बाबरी' नाम की किताब पढ़ कर बड़ा ताज्जुब हुआ। उस में लिखा हुआ है कि यह देश एक विशाल देश है, यही इसकी महती विशेषता है। और इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये हैं। इन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या लगभग ८ करोड़ है। शायद अफ्रीका में जो ८० फीसदी देश हैं उन सबसे बड़ा हमारा प्रदेश ही है। जैसा पहले कहा बाबर की "तुजुक बाबरी" किताब में लिखा हुआ है कि हिन्दुस्तान की एक विशेषता है, यह एक विशाल देश है। यह ही इसकी महती विशेषता है। यह १५२५ में लिखी गयी है। इस प्रदेश की शिक्षा के लिए आपने क्या किया? राधाकृष्णन ने १९४८-४९ में विश्वविद्यालयों के बारे में एक रिपोर्ट लिखी। माननीय मंत्री जी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय बना, नालन्दा विश्वविद्यालय था जहां पर ३०-३५ हजार विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से शिक्षा दी जाती थी। पर आज हमारे विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? उच्च शिक्षा हम क्या देते हैं? माननीय काशीनाथ जी ने ठीक कहा है कि यह शब्द ग्रीक भाषा का है जिसका अर्थ है आदमी को सभ्य बनाना। विद्यार्थियों के अनुशासित होने की बात करते हैं पर आप जैसे मंत्री के जमाने में अनुशासन कैसे हो सकता है? आज हमारे मास्टर अपनी मांगें पेश कर रहे हैं। उनकी मांगें बिल्कुल जायज हैं। माननीय नवलकिशोर जी ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में हमें अधिकार है संस्था बनाने का। उसमें लिखा है समान काम के लिए समान वेतन, तो आप क्यों नहीं देते हैं? वे तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे तथा जरूरत होगी तो हड़ताल भी करेंगे। मैं कहता हूं कि आज बम्बई कारपोरेशन का मेहतर १३० रुपये माहवार पाता है और बाजारू कीमत यहां एम० ए० पास की ८० रुपये है। क्या इस स्थिति को जो उत्तर प्रदेश में है देख कर हम बर्दाश्त करेंगे? आपकी मधुर वाणी, आप की मीठी मीठी बातों से मोहब्बत नहीं आ सकती है।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बारे में मैं अन्त में यही कहूंगा कि उनके बारे में भी आप को खयाल करना चाहिये। आप कोई बौद्धिक बात कहें। आपने आज प्राथमिक, माध्यमिक आदि सभी शिक्षा की मौलिकता का नाश कर दिया है। स्कूल बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं किया है, संख्यात्मक परिवर्तन किया है, इससे कोई प्रदेश का हित होने वाला नहीं है।

*श्रीमती किश्वर आरा बेगम (जिला रामपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हमारा प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है तो हमको शिक्षा के प्रकाश की आवश्यकता और बढ़ जाती है। शिक्षा के प्रकाश के बिना अन्धकार ही अन्धकार है। शिक्षा के प्रकाश पर ही हमारे सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में एक नया बल आयेगा, एक नयी आत्मा आयेगी, एक नयी चमक पैदा होगी। यों तो हमारी शिक्षा में प्रगति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती किश्वर आरा बेगम---]

हुई है जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने बतलाया, गांव-गांव और नगर-नगर में शिक्षा संस्थायें कायम हुई हैं और दो यूनिवर्सिटीज खोलने की भी घोषणा की है जिसके लिये मैं उनको बधाई देती हूं लेकिन मान्यवर, जैसा कि नवलकिशोर जी ने कहा क्वांटिटी बढ़ गयी है। क्वालिटी नहीं बढ़ी है। मैं तो यह कहूंगी कि क्वांटिटी भी नहीं बढ़ी है क्योंकि क्वांटिटी में भी हमारा प्रदेश बहुत कम है। जैसा कि आंकड़ों को देखने से मालूम होता है, आज उत्तर प्रदेश दो तीन प्रदेशों को छोड़ कर पीछे हैं। पांचवीं क्लास तक की जो शिक्षा है जो प्रदेश में ६ साल से ११ साल तक उम्र के बच्चों को दी जाती है, उनके आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि प्राइमरी शिक्षा में भी हमारा प्रदेश बहुत पीछे है जैसा कि नीचे दिये आंकड़ों से साबित होता है---

आन्ध्र ५९.४, आसाम ५८.२, बिहार ५४.२, बम्बई ६९.२, जम्मू और कश्मीर ३९.७, केरल ९८.८, मध्य प्रदेश ४३.७, मैसूर ७२.८, उड़ीसा ४४.९, पंजाब ५२.५, राजस्थान ३१.६, यू० पी० ४२.५, वेस्ट बंगाल ६४.१, इन आंकड़ों से साफ मालूम होता है कि उत्तर प्रदेश न केवल बिहार और उड़ीसा बल्कि राजस्थान कश्मीर और मध्य प्रदेश से भी पीछे है। ये फीगर्स तब के हैं जब कि हमारी शिक्षा डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स ऐंड पालिसी के अन्दर संविधान की धारा ४५ के अन्तर्गत दी गयी है जिसमें लिखा है---

"The State shall endeavour to provide within a period of 10 years from the commencement of this Constitution for free and compulsory education for all children unless they complete the age of 14 years."

"राज्य १० साल के अन्दर इस संविधान के शुरू होने से मुफ्त और कम्पलसरी एजूकेशन बच्चों को देगा जब तक कि उनकी उम्र १४ साल की न हो जाय।" मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक हमारी शिक्षा सौ फीसदी हो जानी चाहिए थी लेकिन पचास फीसदी भी नहीं पहुंच पाई है जबकि १५ साल बीत गये हैं। तो जो रफ्तार शिक्षा की है वह बहुत ही कम है। केरल में लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा ९८.८ प्रतिशत है और मद्रास में लड़कों को ९१.३ और लड़कियों की ५५.१ प्रतिशत है तो यू० पी० में लड़कों की ६१.१ और लड़कियों की १८.८ प्रतिशत है। इस प्रकार लड़कियों की शिक्षा जितनी बढ़नी चाहिये वह नहीं बढ़ी है जब कि लड़कियों की तादाद प्रदेश में ५० फीसदी है। जब तक उनकी शिक्षा नहीं बढ़ती है तब तक प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती है। लड़कियों के स्कूल बढ़ाने की ओर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये और इसके लिये पब्लिसिटी कराना चाहिये। प्लानिंग के माध्यम से एक आर्गनाइज्ड वे में पब्लिसिटी इस सम्बन्ध में होनी चाहिये और सूचना विभाग द्वारा भी लड़कियों की तालीम का प्रचार कराया जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि ज्यादा शिक्षा के लिये ज्यादा स्कूल खोले जायं लड़कियों के लिये जिससे उनको शिक्षा के लिये ज्यादा दूर न जाना पड़े। इसी वजह से उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है। गांव-गांव में लड़कियों के स्कूल खोले जायं ताकि अपने प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा आगे बढ़ सके।

इसी तरह से आगे की शिक्षा के आंकड़े हैं। जो बच्चे ११ से लेकर १४ साल की उम्र के हैं उनमें मध्य प्रदेश राजस्थान और आन्ध्र और उड़ीसा को छोड़ते हुये उत्तर प्रदेश सब से पीछे है। १४ साल से लेकर १७ साल तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा में सिवाय जम्मू कश्मीर, आसाम, आन्ध्र और उड़ीसा को छोड़ कर सब से पीछे हमारा प्रदेश है। समय कम होने की वजह से आंकड़े पूरी तरह पेश नहीं कर सकती जैसा मैं कह रही थी कि हमारे यहां एजूकेशन की क्वांटिटी बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी नहीं बढ़ी है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में से कोई भी नहीं बढ़ी है। हमारे यहां शिक्षा का स्तर बराबर गिरता चला जा रहा है। यह बात अनपढ़ से लेकर शिक्षा विशेषज्ञ तक सब जानते हैं कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है लेकिन यह कोई नहीं जानता कि इसकी क्या वजह है?

हमारे यहां के विश्वविद्यालयों से निकला हुआ विद्यार्थी या तो ग्रामोफोन का रिकार्ड बन जाता है या नक्काल बन जाता है जिसमें खुद सोचने की काबलियत नहीं होती और एक जौहरी की तरह खोटा-खरा परखने की काबलियत नहीं होती है। वह ऐसा हो जाता है जैसा कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि--"The career of old man's burden" यानी बूढ़े आदमी का बोझ खींचने के लिये ठेला बन जाता है और उनकी शख्सियत बेजान हो जाती है। उनकी शख्सियत उन्नति नहीं कर पाती है और उससे देश को कोई मदद नहीं मिल पाती है। हमारे विद्यार्थियों में विचारने की ताकत और भावनायें अलग होती हैं तो कैसे आशा की जा सकती है कि एक ही वक्त में सबकी काबलियत जांची जा सके? इसलिये मैं अनुरोध करूंगी कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाय जिसमें शिक्षा विशेषज्ञ हों और मौजूदा इम्तहान के तरीके में तब्दीली लाई जाय जैसे कि और उन्नतिशील देश कर रहे हैं। इस तरीके को खत्म किया जाय क्योंकि इस तरीके में जो लड़के ज्यादा रटते हैं, उन्हीं के नम्बर अच्छे आते हैं।

उर्दू के सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हमारे संविधान में उर्दू १४ भाषाओं में से एक है। इसलिये इसको रीजनल लैंग्वेज का स्थान मिलना चाहिये जो नहीं मिल रहा है। य० पी० में आप लोगों के हिसाब से १० फीसदी उर्दू जानने वाले लोग हैं, लेकिन मेरे खयाल से २५ फी सदी लोग ऐसे हैं जिनकी उर्दू लैंगुयेज है। आंध्र में साढ़े सात फीसदी लोगों की उर्दू भाषा थी वहां उर्दू को क्षेत्रीय भाषा मान लिया गया है। लेकिन यहां नहीं मानी जा रही है और एक कांसपिरेसी के तहत इसको खत्म किया जा रहा है। आज कोई दरख्वास्त उर्दू में नहीं ली जाती है। मैं हिन्दी की प्रगति में यकीन रखती हूं और उसको राष्ट्रभाषा मानती हूं लेकिन उर्दू को उसका स्थान मिलना चाहिये वरना उसके साथ अन्याय होगा।

स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का कोई इन्तजाम नहीं है, जो लोग हिन्दी जबान लिख लेते हैं वे उर्दू न जानने वालों से गलत फायदा उठाते हैं। अतः जिनकी मादरी जबान उर्दू है उनके लिये भी सरकार इन्तजाम करे।

एक बात मैं यह भी कहूंगी कि हमारी शिक्षा के स्तर गिरने का कारण यह भी है कि हमारे यहां दाखिले तेजी से बढ़ रहे हैं। १९५०-५१ में जितने दाखिले होते थे उससे अब तिगुने दाखिले होते हैं जिससे विद्यार्थियों और अध्यापकों में गहरा सम्बन्ध और रवायात कायम नहीं हो पाते हैं जिसकी बहुत जरूरत है। उसी की वजह से हमारी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज से बहुत नीचे है, उसकी वजह यह है कि एक-एक क्लास में २५०; २५० लड़के पढ़ाये जाते हैं। और उनके दरम्यान वह गहरा क्लोज कान्टेक्ट नहीं हो पाया अध्यापकों और विद्यार्थियों के संबंध में और उन्हें मुनासिब फंड भी नहीं दिया जाता, लाइब्रेरी और दूसरे प्रबंध के लिये। तीसरी बात यह है कि हमें एक शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जिससे उनको सोशल यानी सामाजिक तौर तरीके या मैनर की भी हमारे बच्चों को शिक्षा मिल सके। किताबों में भी अब परिवर्तन होना चाहिए। जो किताबें अंग्रेजों ने "फूट डालो और हुकूमत करो" की पालिसी के तहत छपवाई थी उनको सरकार फौरन बन्द कर दे। और उसके लिए रिवोल्यूशनरी स्टेप ले और ऐसी किताबें पढ़ाई जाएं जो कौमी एकता पैदा करें।

शिक्षा का स्तर गिरने की एक बहुत बड़ी वजह टीचरों के दिमागी सुकून की कमी है, वह कम तनख्वाहों की वजह से खुशदिली से काम नहीं कर पाते। इसलिए मैं सरकार से कहूंगी कि सरकार उनका ग्रेड ऊंचा कर दे।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज यह शिक्षा पर जो मांग माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत की है उस पर विचार हो रहा है। इस संबंध में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो धन की व्यवस्था की गई है वह नाकाफी है। इस से भी

[श्री रामकिशोर त्रिपाठी—]

अधिक शिक्षा के मद पर धन की व्यवस्था होने चाहिए जब कि हमारा प्रदेश अन्य प्रदेशों से काफी पिछड़ा हुआ है और हमारी शिक्षा दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है तथा यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। हमें इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हर प्रकार से साधन जुटाने हैं। जिस प्रकार से हम खाना, कपड़ा और मकान के साधन जुटाते हैं, शिक्षा भी जीवन का एक अंग है, इस कमी को दूर करना चाहिए। इसलिए जो धन की व्यवस्था है उससे भी हमें अधिक की व्यवस्था करना चाहिए ताकि हम अपने प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर कर सकें। श्रीमन्, आज जो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है जिस पर अभी माननीय मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया है, परीक्षाओं और अपनी मांगों को लेकर शिक्षक वर्ग और सरकार के बीच में एक बहुत बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया है। यह समस्या न तो शिक्षक के हित में है, न छात्रों के और न सरकार के ही हित में कही जा सकती है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जो यह समस्या पैदा हो गई है, शिक्षकों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए यह कदम उठाया है, यह जल्दबाजी का कदम हो सकता है, लेकिन उस पर हमारा और सरकार का यह कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति सख्ती से भी अपनी मांग मनवाना चाहता है, शिक्षक संघ ने कोई ऐसा कदम उठाया है तो उस पर सरकार को उदारतापूर्वक विचार करना चाहिए और जो उसके अग्रणी नेता हैं उन्हें इस समस्या को हल करने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और उनकी मांग पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि हम विचार कर रहे हैं, विचार करना चाहिए और जो यह असाधारण स्थिति पैदा हुई है, उसको बचाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए बजाय इसके कि सरकार या किसी व्यक्ति से इसकी जिम्मेदारी जोड़ें।

इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं की शिक्षा काफी पिछड़ी हुई थी, जिसकी ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था, हाई स्कूल तक उनके लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी है। इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बालिकाओं की शिक्षा हाईस्कूल तक निःशुल्क कर दी गई है, उसी प्रकार से बालकों को भी शिक्षा हाईस्कूल तक निःशुल्क कर देने की कृपा करें। जिसमें हमारे जो निम्न श्रेणी के लोग हैं वह वहीं तक पहुंच पाते हैं, उनको यह सुविधा मिल सके और हमारी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठ सके। साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि सन् १९५२ में, जब पंत जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, कुछ प्रसार अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, किंतु उनके पद अभी तक अस्थायी थे और उनका भविष्य अनिश्चित था। उनके भविष्य के संबंध में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे वे निश्चिन्ततापूर्वक कार्य कर सकें। आपने इस वित्तीय वर्ष में लगभग २ हजार पदों को स्थायी करने की घोषणा की है। उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं किंतु एक बात साथ ही साथ यह भी है कि प्रदेश में लगभग ३ हजार प्रसार अध्यापक हैं। इन सभी को स्थायी करने की घोषणा मंत्री जी को करनी चाहिए और सभी को समान अवसर प्रदान होना चाहिए। आज १३–१३ साल से वे अस्थायी हैं, जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से अस्थायी हैं। इन्हें अब से नहीं, उनके नियुक्ति काल से ही स्थायित्व मिलना चाहिए। जिस प्रकार अन्य शिक्षकों की पदोन्नति होती है उसी भांति उनके लिए आगे बढ़ने का द्वार खुला रहना चाहिए जिससे वे प्रगति कर सकें और प्रसार कार्यों में ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ उस कार्य को कर सकें।

श्रीमन, एक बात प्राइमरी एजूकेशन के संबंध में कहना चाहता हूं। मेरा इस बात से कोई मतभेद नहीं है कि जिस प्रकार आज जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का विकेंद्रीकरण किया गया है और अनेक कार्य उनके अधीन किये गए हैं कि वे उनमें प्रगति करें लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज जिस प्रकार इन परिषदों के अन्तर्गत प्राइमरी एजूकेशन चौपट होता जा रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका परिणाम आज यह हो रहा है कि प्राइमरी एजूकेशन से लेकर उच्च शिक्षा तक सब दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और यह भी शिक्षा

के स्तर के ऊंचा न होने के कारणों में एक कारण है । हमारा प्राइमरी एजूकेशन सही रूप से नहीं चल पाता है, इस संबंध में अगर मैं कहूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जागरूक नहीं है तो वह बात सही नहीं होगी । वे अभी पिछले दिनों जब वे बाराबंकी गये थे तब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि आज हमारा शिक्षक वर्ग असम्मान की अवस्था में है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारा शिक्षक पोलिटिक्स का शिकार बना हुआ है, उसे पोलीटिकल फुटबाल बनाया जाता है। उन्होंने शिक्षकों के बीच में सार्वजनिक सभा में इसे स्वीकार किया था तो वे जागरूक हैं किंतु शिकायत इस बात की है कि उनके जागरूक होते हुए भी अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पायी है कि जिससे शिक्षकों को उचित सम्मानप्रद स्थान, समुचित वेतन मिल सके। वह कठिनाइयां क्या हैं और उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस पर जब तक वे नहीं सोचेंगे तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी । प्राइमरी एजूकेशन को ठीक करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि उसको जिला विद्यालय निरीक्षक और डाइरेक्टर से संबंधित करना चाहिये ? उनका ट्रांसफर और उनकी नियुक्ति सीधे होनी चाहिए। आज वह राजनीतिक कारणों पर होती है इसलिए दिन प्रति दिन एजूकेशन गिरती जा रही है, इसको सुधारने के लिए जब तक कदम नहीं उठेगा तब तक स्थिति यही रहेगी। मैं यह मांग करता हूं कि बजट में शिक्षा पर और अधिक धन की व्यवस्था होनी चाहिए ।

अन्त में आज जो शिक्षकों और सरकार के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया है उसके लिए मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि इसे समाप्त करने के लिए सोचें और शिक्षकों से भी प्रार्थना करूंगा कि वे जिद न करके छात्रों और शिक्षा के हित में बैठकर इस समस्या को हल करें। इसी से शिक्षकों का, छात्रों का, समाज का और सरकार का हित भी होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री जगदीशनारायण सिनहा (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं एक शिक्षक हूं और मंत्री महोदय भी, जिन्होंने यह शिक्षा का बजट पेश किया है, वे भी स्वयं शिक्षक रहे हैं। मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना। विरोधी दल की ओर से जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वे भी इत्तफाक से शिक्षक हैं और उग्रसेन जी ने भी शिक्षक का कार्य किया है, जैसा उन्होंने कहा, उनकी बात को भी बड़े ध्यान से सुना। श्रीमन, इस शिक्षा के बजट में इस वर्ष १० करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है, यह बहुत प्रशंसनीय बात है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बतलाया कि कुल बजट का १६ प्रतिशत और मेडिकल और टेक्निकल शिक्षा पर जो व्यय होता है उसे भी मिला दिया जाय तो १८ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है। फिर भी वह काफी नहीं है, यह बात भी अपनी जगह पर सही है। जो बहुत पिछड़े देश हैं जैसे थाईलैंड उसमें यह प्रतिशत २१ है और फिलीपाइन्स में २३ प्रतिशत व्यय होता है। तो जो बड़े देश हैं और प्रगतिशील हैं वहां तो वह प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ है। हमारी बड़ी दिक्कतें हैं, इसमें दो राय नहीं हैं और लम्बी गुलामी के बाद, इस पिछड़े हुए देश को बहुत तरक्की करना था विभिन्न दिशाओं में। तो इस नुकते नजर से जरूरी था कि अधिक व्यय निर्माण पर किया जाय। शिक्षा समाज और राष्ट्र को रीढ़ है। इस दृष्टिकोण से इस पर धन अधिक बढ़े जिससे व्यय ज्यादा हो। बांध बने, अस्पताल बनें, कालेज बनें और बड़े-बड़े बिजलीघर बने लेकिन उनके बनाने वालों के दिल और दिमाग रोशन नहीं हो पाये। इसका कारण केवल यह है कि हम शिक्षा में इतनी तब्दीली नहीं ला सके जो जरूरी थी। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि शिक्षा में धन की बढ़ोत्तरी की मात्रा को और तेजी से आगे बढ़ायें।

दूसरी बात यह है कि जो लाभत्रयी योजना लागू की गई है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अध्यापकों के जीवन में बहुत बड़ी तब्दीली ला दी है। कोई अध्यापक कभी स्वप्न में भी इस बात को नहीं सोचता था कि उनको कभी पेंशन मिलेगी। पर उसके लिए यह कहा जाय कि जो कुछ हुआ है वह बात लंगड़ी है या उससे कोई भी सरकार के

[श्री जगदीशनारायण सिन्हा--[

ऊपर बोझ नहीं पड़ने वाला है यह बात बिलकुल गलत है। जो योजना है उसके अनुसार उसमें इसी वर्ष १८ लाख ७२ हजार रुपया पेंशन के मद में और २२ लाख रुपया ग्रेचुइटी के मद में व्यय होगा। तो यह योजना न लंगड़ी है और न यह बात ही सही है कि सरकार को कुछ देना नहीं पड़ा है। निश्चित तौर पर अध्यापकों को प्राविडेंट फंड मिलेगा। जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया अध्यापकों को दोनों तरह से लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ३० बटा ८० मिलती है और अध्यापकों को ३० बटा १२० मिलेगी। वह १ बटा ४ जरूर है लेकिन उसके साथ फंड की सुविधा भी बहुत बड़ी है। इसलिए मैं मंत्री जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अध्यापकों के जीवन में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने की कृपा की।

बालिकाओं की शिक्षा दसवीं तक निःशुल्क कर दी गई। इससे जाहिर है कि जब स्त्रियां पढ़ी-लिखी होंगी तो राष्ट्र का पूरा दृष्टिकोण ही बदल जायगा। बच्चे जो होंगे वे शिक्षित होंगे और शिक्षित वातावरण में रहेंगे जहां वह बहुत अच्छी बातें सीखेंगे। बालकों की हालांकि छठवें दर्जे तक अभी फीस माफ है पर बह नाकाफी है कि दसवीं तक बच्चों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाय। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि इसको धीरे-धीरे किया जा सकता है। एक आमदनी की सीमा बांध दी जाय। मान लीजिए कि १०० रुपये मासिक तक की आमदनी वाले अभिभावकों के बच्चों की शिक्षा दसवें क्लास तक निःशुल्क कर दी जाय तो उसमें हो सकता है कि कुछ खर्च बढ़ जाय, लेकिन इससे पिछड़ेपन को काफी हद तक दूर किया जा सकता है और इससे शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा में बढ़ोत्तरी भी होगी। मेरी प्रार्थना है कि इस स्कीम को मंत्री जी विभाग के सामने रखें और देखें कि इससे कितना बोझ बढ़ता है और अगर इससे लाभ हो सकता है तो इसे स्वीकार किया जाय।

अध्यापकों के एमालूमेंट्स की जहां तक बात है इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि उनकी तनख्वाह, मंहगाई आदि कम हैं। मंत्री जी ने स्वयं माना है कि वह कम है और १९४७ से अब तक अध्यापकों के लिए कुछ न कुछ होता ही रहा है। यह बात भी सोचने की है कि उनकी दशा शोचनीय है और इस स्थिति में वे अपना काम ढंग से नहीं कर सकते। पेट का एक बड़ा प्रश्न उनके सामने है। लेकिन जो तरीका अध्यापकगण अख्तियार करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। गुरू कहलाने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से वही तरीके अख्तियार करने चाहिए कि जो शोभनीय हों और समाज जिन्हें स्वीकार करता हो। यह कोई मुनासिब बात नहीं है कि साल भर आप बच्चों को पढ़ावें, उनसे फीस लें, तनख्वाह पाते रहें और इम्तहान के समय कह दें कि हम इम्तहान का कार्य नहीं करेंगे। यह तो सरकार से नहीं उन बच्चों से लड़ाई करना है जिन्हें आप अपना मानते हैं। यह उन छात्रों के साथ अन्याय है। सदन में यह भी कहा ज चुका है कि दो करोड़ रुपया उनके लिए और है बजट में। अध्यापकवर्ग का यह तरीका उचित नहीं है। एक बड़े लक्ष्य की पूर्ति हेतु उनको अपना यह कदम मोड़ देना चाहिए। मंत्री जी उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ करना चाहते हैं और इसलिए प्रार्थना है कि वे कुछ जल्दी ही कदम उठायें ताकि स्थिति में सुलझाव आये। स्कूल भी बहुत खुले हैं और इससे कार्य बहुत बढ़ गया है। अभी नवलकिशोर जी ने आई० ए० एस० वाली बात कही। आई० ए० एस० शिक्षा में हों, शोभनीय नहीं है और इससे यह भी जाहिर होता है कि यह विभाग नेगलेक्टेड सा है। शिक्षा में काम करने वाले आफिसर्स हैं, वे सब चीजों से वाकिफ हैं और वे तरक्की की बात भी समझ सकते हैं। इसलिए एडीशनल डाइरेक्टर एक या दो, शिक्षा विभाग के ही रहने चाहिए। डि टी डाइरेक्टर्स का काम भी बहुत बढ़ गया है। उनको सिर्फ १०० रुपया ज्यादा देने की बात होती है। जैसे आपने सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर्स, कंजरवेटर्स आदि के लिए ग्रेड्स मुकर्रर किए हैं उसी प्रकार से डिप्टी डाइरेक्टर्स के लिए भी ग्रेड्स मुकर्रर होने चाहिए ताकि वे मेहनत और लगन से काम कर सकें। अनुशासन की बात बहुत कही जाती है। तीन बातें मेरे दिमाग में हैं। एक तो आपने बच्चों पर किताबों का

बोझ लाद दिया है। जितनी उम्र के बच्चे होते हैं उससे ज्यादा बोझ उन पर पुस्तकों का होता है। बच्चों को समझ में बहुत कम आ पाता है। इसीलिए उसकी इच्छा पढ़ाई से हटती है, उसके जहन में वह बात नहीं आती है। और जब उसके जहन में बात नहीं आती है तो वह अपना समय पढ़ाई के अलावा दूसरे कामों में लगाता है। इसके अलावा आपके कालेज से प्ले-ग्राउन्ड्स लुप्त हो गये हैं और उनका स्थान न होने से बच्चे इध :-उधर गलत कामों में एनर्जी वेस्ट करते हैं। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वे प्ले-ग्राउन्ड्स के लिए बड़ी से बड़ी रकमें देना शुरू करें ताकि अच्छे-अच्छे प्लेग्राउन्ड्स हों। बच्चे खेल सकें और उनका शरीर अच्छा बन सके और जिससे उनका मस्तिष्क भी ठीक रहे।

श्री उपाध्यक्ष—

बस अब आप समाप्त करें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

श्रीमन्, हमारे देश और प्रदेश में शिक्षा का क्या लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए, मेरी समझ में हमारी सरकार और उसके शिक्षा विशारद अभी तय नहीं कर पाये हैं। इसलिए भुवनेश्वर से दुर्गापुर तक समाजवादी समाज की ओर बढ़ने की जो बात कही गई है, उसकी तरफ बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। श्रीमन्, १७ साल की आजादी के बाद भी हमारी शिक्षा की दिशा में यह हालत है, इसकी वजह यह है कि वही शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजी राज के बाद विरासत रूप में आयी थी, अभी तक वही अमल में लाई जा रही है। मुझे खुशी थी और खुशी है कि हमारे हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी एक अध्यापक रह चुके हैं। श्रीमन् यही नहीं कि हमारे सूबे की मुख्यमंत्री भी अध्यापक रह चुकी हैं और इसके साथ-साथ हमारे शिक्षा मंत्री जो इस समय वित्त मंत्री भी हैं। इसीलिए मुझे ऐसी उम्मीद थी कि वह यह रोना नहीं रोवेंगे कि हम तो शिक्षा और शिक्षकों के बारे में ऐसा करना चाहते थे, वैसा करना चाहते थे। लेकिन क्या करूं मजबूरी यह है कि सरकार हमें पैसा ही नहीं देती है। करें तो हम क्या करें? श्रीमन्, इन्होंने बजट पेश करते हुए एक बात कही कि २७ करोड़ की बढ़ोत्तरी इस बार बजट में हुई है जिसमें से ९ करोड़ ७६ लाख शिक्षा पर रक्खा गया है। २ करोड़, ६१ लाख इंजीनियरिंग पर खर्च के बाद सामान्य शिक्षा पर ७ करोड़ १७ लाख, यानी २५ प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है। बात सही है, लेकिन यह सिक्के का एक पहलू है। अगर हम आपके बजट को देखते हैं तो स१ ६२–६३ में १,९१,४१,२६,५०० का बजट रक्खा गया था जिसमें शिक्षा पर २५,९५,३१,४०० रुपये यानी १४ प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हुआ। सन् ६३–६४ में २०६,७९,३१,१०० रुपये का बजट रक्खा गया था जिसमें २७ करोड़ ९३ लाख रुपये शिक्षा पर व्यय किया गया जो बजट के कुल व्यय का १३.५ प्रतिशत ही है। इसी प्रकार ६४–६५ में २३५,४३,४०,४०० रुपये का बजट था जिसमें शिक्षा पर ३३ करोड़, ७१ लाख ३९ हजार ४०० रुपये व्यय किया गया जो केवल १४·३ प्रतिशत ही बैठता है और इस साल ६४–६५ में २५ प्रतिशत शिक्षा पर बढ़ोत्तरी को जो बात कही गई है, वह बिल्कुल गलत है। इस वर्ष का पूरा हमारा बजट २६२,६४,५८,९०० रुपये का है और शिक्षा पर ४३,४६,०३,९०० रुपये यानी १६.४ कुल बजट का खर्च हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर २५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी की बात कही गई है सिर्फ २.१ प्रतिशत ही शिक्षा पर बढ़ोत्तरी हुई मालूम होती है। श्रीमन्, यह जरूर है कि कुछ प्रयास शिक्षा मंत्री ने किया है। श्रीमन्, हमारा प्रदेश पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रदेश है। जो कि हमारे प्रधान मंत्री स्वतंत्रता के बाद से ही थे और यह भी खुशी की बात है कि हमारे ही सूबे के श्री लालबहादुर शास्त्री जी भी आज प्रधान मंत्री हैं। तो सूर और तुलसी का यह प्रदेश है, प्रदेश की साक्षरता के मामले में क्या दशा है? साक्षरता में यह प्रदेश सारे भारतवर्ष से पिछड़ा हुआ है—आंध्र में २१, आसाम में २७.५, बिहार म १८.५, गुजरात में ३०, केरल में

[श्री रामसुन्दर शास्त्री]

४७, मद्रास में ३१.५, महाराष्ट्र मे ३०, मैसूर में २५, और सारे भारत का औसत २४ है जबकि उत्तर प्रदेश में १७.६ है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री से कहूगा कि आप आर म से अपनी पीठ ठोकने की कोशिश न कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में जब कि पूरे देश में पूरे बजट का २० प्रतिशत और प्रदेश खर्च करते हैं तो आप इतनी प्रगति और इतनी बढ़ोत्तरी के बाद भी १६ परसेंट शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। शिक्षा की चार स्टेजेज होती हैं—प्रि-प्राइमरी एजूकेशन, प्राइमरी एजूकेशन, माध्यमिक एजूकेशन और विश्वविद्यालय एजूकेशन। प्रि-प्राइमरी एजूकेशन पर ०.३२ परसेंट कुल बजट का खर्च किया जा रहा है। जब शिक्षा मंत्री बोल रहे थे तो मैंने पूछा था कि पूर्व प्राइमरी शिक्षा के बारे में क्या योजना है, लेकिन उन्होंने पूरा हिसाब ही उसका गोल कर दिया। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें दिखलाया गया है, सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों पर तीसरी योजना में होनेवाले व्यय के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह इस प्रकार है—पूर्व प्राइमरी, ०.३२ प्रतिशत, प्राइमरी ५८.३९ प्रतिशत, मिडिल ९.९२ प्रतिशत, माध्यमिक १४.९२ प्रतिशत और विश्वविद्यालय की शिक्षा ११.७२ प्रतिशत। प्राइमरी शिक्षा हम अभी तक अपने यहां अनिवार्य नहीं कर पाये हैं।

यूनीवर्सिटी शिक्षा की हालत तो और बदतर है। दूसरे प्रदेश के मुकाबले में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० में हमारे यहां के लोग बहुत कम कामयाब होते हैं। यहां रिसर्च वर्क बहुत कम होता है। स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो ५०, ६० का है जब कि दूसरे प्रदेशों में २५–३० है। यहां यूनीवर्सिटीज में मैचिंग ग्रांट्स मोहय्या न कर पाने से यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से कम ग्रांट्स मिलती हैं।

श्रीमन्, यही नहीं, टीचरों की हालत क्या है, मंत्री जी ने कहा कि हड़ताल की धमकी जो उन्होंने दी है वह ठीक नहीं है। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र को कुरुक्षेत्र का मैदान किसने बनाया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री कहते हैं कि अध्यापकों की मांगें उचित हैं कि ५० रुपये उनका बढ़ना वाजिब है, उन्होंने तो यहां तक कहा कि उसमें से २५ रुपया हम देने को तैयार हैं, २५ रुपया राज्य सरकार दे। लेकिन वह २५ रुपया आप नहीं दे रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी इसको कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने की आपकी है। आपको कोई हक नहीं है कि आप शिक्षकों की मांग को इस तरह से ठुकरायें। प्राइमरी स्कूल के टीचरों का जो पे-स्केल और जगह है उसको आप देखें—मद्रास में मिडिल पास अनट्रेंड १४० रुपया, ट्रेंड १७० रुपया, आसाम में अनट्रेंड ११२ रुपया, ट्रेंड १२५ रुपया, मध्य प्रदेश में अनट्रेंड १४० रुपया, ट्रेंड १७० रुपया, गुजरात में १४० रुपया, राजस्थान में ७० से १७० रुपया, मंहगाई ४० रुपया, पंजाब में ६० से १२० रुपया, महंगाई ५० रुपया। और उत्तर प्रदेश का नमूना हम सबके सामने हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि उसे मान अपमान का प्रश्न मत बनाइए, अध्यापकों के जीवन का प्रश्न है। उनके एसोसियेशन को बुलाइये, उनकी बात मानिये, कोई रास्ता निकालिये, यह आपकी जिम्मेदारी है।

एक बात प्रसार अध्यापकों के बारे में कहना चाहता हूं। उनको इस योजना के अन्तर्गत स्थायी कर देना चाहिए, ३,००० प्रसार अध्यापक स्थायी किये जाने चाहिए तथा उनको उस दिन से स्थायी किया जाय जिस दिन से वे कार्य कर रहे हैं। उनके लिए ऐसे नियम बनाये जाएं जिससे उनको पदोन्नति का अवसर हो।

श्री उग्रसेन—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय क्योंकि १ घंटा और दूसरे विवादों में लग गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी चलने दीजिए।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

श्रीमन् शिक्षा के बारे में चन्द सुझाव देना चाहता हूं—

शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय,
बजट का २० प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाय,
टेकनिकल और मेकैनिकल शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाय,
पूर्व प्राइमरी शिक्षा के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जाएं,
हाई स्कूल की परीक्षाएं रीजनल बेसिस पर हों,
हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था हो,
इंटर की कक्षाओं से ही सोशलिज्म तथा प्लानिंग का एक पीरियड हो,
अध्यापकों के रिटायरमेंट की एज ६५ वर्ष की की जाय ।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो अपनी मांग को पेश करते समय भाषण दिया वह अपेक्षाकृत विस्तार के साथ था । इससे हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो गयीं । बहुत से ऐसे प्रश्न जो मन में उठ रहे थे, उन बहुत से प्रश्नों और जिज्ञासाओं का समाधान हो गया । प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है इसके पहले कोई भी सर्वेक्षण नहीं हुआ था । इस ओर एक शिक्षा संस्थान की बात कर के माननीय मंत्री जी ने जो कदम उठाया है वह बहुत बड़ा सराहनीय कदम है । माध्यमिक शिक्षा के संबंध में भी उपाय हो रहे हैं, यह भी बड़ी प्रसन्नता की बात है । इसमें भी दो रायें नहीं हो सकतीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा का जो विकास हुआ है वह एक तरह से शारीरिक विकास हुआ है, रूप विस्तार भी हुआ है । प्राइमरी स्कूलों में लड़कों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है । सहूलियतें भी दी गयी हैं ।

श्री उग्रसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, इधर माननीय सदस्य बोल रहे हैं और उधर दूसरे माननीय सदस्य मंत्री जी के पास खड़े अपना मामला पटा रहे हैं ।

श्री रामलखन शुक्ल—

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वे शिक्षा विशारद भी हैं, वह यह कि शिक्षा के उद्देश्यों के नवीनीकरण तथा परिपालन में कौन-कौन से मौलिक परिवर्तन किये गये हैं ।

श्री उग्रसेन—

देखिए दूसरे साहब मंत्री जी के पास आ गये । जब तक यह काम हो तब तक माननीय सदस्य का भाषण रोक दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष (एक सदस्य से)—

आप बैठ जाएं । आप बार-बार इधर उधर जाते हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री रामलखन शुक्ल—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि शिक्षा के उद्देश्यों में मौलिक परिवर्तन करने की दिशा में पर्याप्त उचित कदम नहीं उठाये गए हैं । मैं ऐसा समझता हूं कि जितनी सामाजिक और राजनैतिक मान्यतायें हम स्वीकार कर चुके हैं, जिस प्रकार का सामाजिक ढांचा हम स्वीकार कर चुके हैं, जिस प्रकार के जीवन दर्शन को हमने स्वीकार कर लिया है, उसके अनुरूप शिक्षा में भी परिवर्तन होना चाहिए । हमने यह स्वीकार कर लिया है कि हम अपने देश और समाज का

[श्री रामलखन शुक्ल]

विकास लोकतंत्र की प्रणाली के अनुसार करेंगे, तब सबसे पहले हमें अपने शिक्षा जगत में इस कदम को उठाना चाहिए। आपकी शिक्षा संस्थाओं और विशेषरूप से प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में जाने से आपके समाज के रूप को भान हो जाना चाहिये। देखने से स्पष्ट रूप से यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि यह शिक्षा संस्थाएं वास्तविक रूप से समाज का दर्पण हैं। वह समाज का लघु रूप होना चाहिए, मिनियेचर सोसाइटी बन जानी चाहिए। प्राइमरी पाठशाला में गांव के विकसित स्वरूप का नमूना मिल जाना चाहिए, जिससे यह मालूम हो सके कि हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के अनुसार जब हम शिक्षा के क्षेत्र मे आगे बढ़ेंगे तो उसमें अध्यापकों का विशेष स्थान होगा, उनकी राय की वकत होगी। शिक्षा का प्रोग्राम ऐसा हो जिससे प्रत्येक विद्यार्थी यह समझे कि वह क्रमशः लोकतंत्रीय पद्धति की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि ऐसा नहीं है। शिक्षा का स्वरूप आज बड़ा है और उस बढ़े हुए स्वरूप के अनुसार वहां लड़के और अध्यापक कुछ कार्य करते हैं। १० बजे से ४ बजे तक गणित, लेख-अभिलेख आदि का कार्य करते हैं लेकिन वास्तविक रूप से शिक्षा का जो स्वरूप है उसके परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं दिया जा सका। आज हमारे विचार से शिक्षा का स्वरूप यह होना चाहिए कि विकास योजना और शिक्षा के कामों का समायोजन होना चाहिए, अध्यापकों को विकास कार्यों में भाग लेने का अवसर होना चाहिए, छात्रों को विकास योजनाओं में भाग लेने का अवसर होना चाहिए। इससे प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उस दिशा में जाने का बल मिलेगा, जिस दिशा में जाने का संकल्प अपने संविधान के अनुसार हमने किया है।

एक बात और, शिक्षा के क्रम में मौलिक परिवर्तन करने की तरफ ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जहां पक परीक्षा पद्धति का संबंध है, आज भी वही २०-२५ या ५० वर्ष पहले वाली पद्धति चालू है। आज इस बात की परीक्षा नहीं होती है कि विद्यार्थी का इनिशिएटिव किस विषय में है, उसकी मौलिक प्रवृत्ति किस तरफ है, उसकी सामान्य बुद्धि या कामन सेंस कैसा है, उसमे समस्याओं से संघर्ष करने या लड़ने की क्षमता है या नहीं, कठिनाइयों के समय वह घबड़ा सकता है या नहीं आदि आदि। आज वही छपे हुए पर्चे उसे दे दिये जाते हैं। सबसे अफसोस की बात तो यह है कि आज प्राइमरी स्कूलों में भी लड़कों से कुछ पैसे वसूल करके उनको भी छपे हुए पर्चे ही मिलने लगे हैं, मिडिल स्कूलों में भी वही परीक्षा पद्धति है जो पिछले दिनों थी। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से परीक्षा पद्धति में परिवर्तन कर देना चाहिए, तभी जो अनेक समस्यायें हैं जैसे नकल करने की, अनुशासनहीनता की, वे सब हल हो सकती हैं। मेरा सुझाव है कि इंटेलिजेंस टेस्ट यानी सामान्य बुद्धि परीक्षा का प्राविधान होना चाहिए।

विश्वविद्यालय शिक्षा के स्वरूप, उसके सिद्धांत और उसके स्वरूप की ओर जाने का समय मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं केवल यही निवेदन करता हूं कि जो ४ विश्वविद्यालय राज्य सरकार की ओर से इस प्रदेश मे चलाये जा रहे हैं उनके बजट को हमने देखा तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को २४,७८,७०० रु०, लखनऊ विश्वविद्यालय को २५,९५,५०० रु०, गोरखपुर विश्वविद्यालय को १३,८१,४०० रु० और वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय को १३,१६,३०० रु० रखे गये हैं। इस बात को मैं नहीं समझ सका कि गोरखपुर विश्वविद्यालय जो अभी अपनी शैशव अवस्था में ही है, उसको दूसरे विश्वविद्यालयों से करीब करीब आधी रकम दी गयी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के हर विभाग में अभी तक रीडर की पोस्ट तक नहीं क्रिएट की जा सकी हैं। शिक्षा का विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, इसलिए इसके ऊपर भी उसको गौर करना है कि बिना रीडर के काम कैसे चल सकता है। वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी तक इंस्ट्रक्टर्स ही काम कर रहे हैं। हर विश्वविद्यालय में लेक्चरार, प्रोफेसर या असिस्टेन्ट प्रोफेसर होते हैं, लेकिन यह केवल वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय ही है, जहां कि आज भी इंस्ट्रक्टर्स काम कर रहे हैं। इस बात की ओर विशेष रूप से माननीय मंत्री जी को ध्यान देना है।

माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये मैं बधाई देता हूं कि दक्षिण भारत की भाषाओं की शिक्षा देने वाली शिक्षण संस्थाओं के लिये उन्होंने २ लाख रुपये का अनुदान रखा है, लेकिन यह अनुदान बहुत कम है नाकाफी है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे।

एक बात मैं अध्यापकों के संबंध में कह देना चाहता हूं। अध्यापक आज की अवस्था में बड़ी कठिनाई में हैं और आज की भीषण आर्थिक विषमता के वे शिकार हैं तथा माननीय मंत्री जी ी आर्थिक सीमाओं के शिकार हैं। वे तमाम परेशानियों के शिकार हैं। सभी इस बात को पसन्द करेंगे कि अध्यापकों के बारे में शीघ्र से शीघ्र कोई अनुकूल निर्णय हो जाय। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं और उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आज तक अध्यापकों के प्रति सरकार की सहानुभूति व सद्भावना रही है उसी तरह से आज भी सहानुभूति बनी रहे, इसी में अच्छाई है। एक दलील माननीय मंत्री जी ने यह दी कि समान कार्य के लिये समान वेतन का नियम अध्यापकों पर इसलिये नहीं लागू होता कि प्राइवेट स्कूलों के जो अध्यापक हैं, उनको और भी बहुत-सी बातों की आजादी है। मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि जो शिक्षा वह देते हैं वह सरकारी स्कूलों के अध्यापकों से कम नहीं है इसलिये उन अध्यापकों के विरुद्ध आप अपने को एक पार्टी के रूप में खड़ा न करें। मैं अध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो रुख अख्तयार किया है वह लोगों के सामने उपहास्य हो गया है क्योंकि उनका यह कदम, यह नानकोआपरेशन विद्यार्थियों के साथ, अपने कालेजों के साथ, अपने पुत्रों के साथ ही होगा। मुझे आशा है कि वह अपने इस रुख को बदलेंगे और वह माननीय उग्रसेन जी जैसे लोगों के कहने में न आयेंगे और मैं चाहता हूं कि जब श्री उग्रसेन जी अध्यापकों की बात कहें तो वह कम से कम यह न कहें कि वह भी अध्यापक हैं।

(श्री मंगलप्रसाद आर्य का नाम पुकारे जाने पर)

अनेक सदस्य––

सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

मैं १५ मिनट सदन का समय बढ़ाये देता हूं।

श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। देश की उन्नति शिक्षा पर ही निर्भर है। जैसी जहां की शिक्षा होती है उसी प्रकार के वहां के व्यक्ति बनते हैं। शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन इस सरकार ने तो ग्रामीण शिक्षा और शहरी शिक्षा में पक्षपात कर रखा है। कृषकों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तरह तरह के कर सरकार लेती है लेकिन उनके बच्चों को पढ़ाई की उतनी सुविधा नहीं देती है जितनी कि उसने शहर वालों के बच्चों के लिये दे रखी है। जब तक हमारी बुनियादी शिक्षा मजबूत न होगी तब तक ऊपर की शिक्षा मजबूत होना असम्भव है। सरकार ने कक्षा १ से ८ तक के विद्यालयों को स्थानीय निकायों यानी जिला परिषद आदि को दे रखा है और उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वे ठीक ढंग से उन स्कूलों का प्रबन्ध कर सकें। प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का वेतन बहुत कम है, जब तक उनको संतुलित भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका मानसिक विकास नहीं होगा और न इतनी क्षमता उनमें रहेगी कि वह लड़कों को पढ़ा सकें। जब वह स्कूल में बैठते हैं तो वह इस बढ़ती हुई मंहगाई में इसी चिन्ता में रहते हैं कि हमारे बच्चे क्या खायेंगे। अतः मेरा निवेदन है कि प्राथमिक अध्यापकों का वेतन १४५ रुपया मासिक से कम न होना

[श्री मंगलप्रसाद आर्य]

चाहिये। शहरों में मान्टेसरी स्कूल खोले गये हैं, लेकिन देहात में ऐसे स्कूल सरकार द्वारा नहीं खोले गये हैं। मान्टेसरी स्कूल की एक पक्की इमारत बनी होती है, फिर भी उसमें बच्चों के बैठने के लिये स्टूल और कुर्सी का इन्तजाम रखा गया है, लेकिन देहात में न तो स्कूल ही है और न स्टूल का ही प्रबन्ध है और न बच्चों के बैठने के लिये कोई इन्तजाम रहता है। यहां तक कि टाट-पट्टी का इन्तजाम भी नहीं होता है, बेचारे बच्चे उसी सीली जमीन पर पेड़ के नीचे, कहीं बाग में पढ़ने के लिये बैठते हैं। मान्टेसरी स्कूलों में अध्यापकों को कम से कम ४ रुपया या ५ रुपया प्रति दिन मिलता है, लेकिन ग्रामीण स्कूल के अध्यापकों को डेढ़ रुपया प्रतिदिन मिलता है। सरकार ने जो यह टेक्निकल या इंजीनियरिंग स्कूल या साइन्स के जितने स्कूल खोल रखे हैं, वह सब शहर ही में पाये जाते हैं। अतः सरकार से प्रार्थना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्निकल कालेज और इंजीनियरिंग स्कूल अवश्य खोले जायं। इसके अलावा मान्टेसरी स्कूल भी देहातों में रखे जायं। मान्यवर, कृषक इतना गरीब होता है कि वह अपने लड़कों को पढ़ा नहीं पाता है और देहातों में लड़कियों के पढ़ाने का सिस्टम नहीं है। माननीय मंत्री जी ने दसवीं कक्षा तक के लिये लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दिया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह फायदा जो है, यह केवल शहर के ही लड़कियों को हुआ है। अतः हाई स्कूल तक की शिक्षा लड़कों के लिये भी निःशुल्क की जाय, ताकि देहात के गरीब किसानों के बच्चे भी हाई स्कूल तक कम से कम पढ़ सकें। इसके अतिरिक्त देहात के बच्चों को छात्र वृत्ति भी देने का अवश्य प्रबन्ध किया जाय, नहीं तो देहात के बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल को सरकार जब तक अपने हाथ में नहीं लेगी तब तक शिक्षा का सुधार किसी प्रकार से नहीं हो सकता है।

श्री अब्दुल समी (जिला सुल्तानपुर)—

मान्यवर, वक्त चूंकि बहुत तंग है, सिर्फ ५ मिनट का वक्त दिया है, इसलिये मैं थोड़ी सी ही बात कहना चाहता हूं। वह बात यह है कि हमारे इस सूबे की सरकारी जबान हिन्दी हो चुकी है। यह भी २६ जनवरी, १९६५ को तय हो चुका है कि तमाम सरकारी काम जो हों वह हिन्दी में हों। यह कदम जो हमारी सरकार ने उठाया ह, बड़ा अच्छा कदम ह। बड़ी हिम्मत का काम है और हम अपनी सरकार को मुबारकबाद देते हैं। हमारे संविधान ने मंजूरशुदा जबानों में से एक जबान उर्दू को भी माना ह, मरदुमशुमारी १९६१ की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दू जबान के बोलने वाले इस सूबे में करोड़ों से ज्यादा हैं। और मरदुमशुमारी सन् १९६१ की रिपोर्ट से यह भी बात साफ हो जाती है कि पूरे मुल्क में इसका छठां नम्बर है। इस भाषा का सामाजिक तौर तरीके से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि उस जबान उर्दू से जिसको कि विद्वानों ने माना है, आज उसके लिये कोई जगह नहीं है, पूरे सूबे में। मैं अपनी सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि इस बारे में खासतौर से ध्यान दें और उर्दू तालीम का खयाल अवश्य रखें। प्राइमरी दर्जे में शुरू में जब हम लोग पढ़ते थे, तो रीडरों की जबान जो होती थी वह एक तरह की होती थी। जो लड़के हिन्दी जबान लेते थे वे भी दोनों जुबानें जान जाते थे। आज अजीब तरीका या सिस्टम हो गया है। लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ कि हिन्दी को एक स्थान मिला। अब मैं सरकार से कहता हूं कि इस जबान उर्दू की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस जबान से करोड़ों का ताल्लुक है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जब से इस प्रदेश पर शासन कर रही है, सच माने में अगर पूछिए, तो इसकी कोई नीति नहीं रही है। हो सकता है कि माननीय संपूर्णानन्द जब शिक्षा मंत्री थे तो उस तरफ

जागरुक हुए हों, फिर भी नीति कोई नहीं बन पायी थी। लेकिन बदकिस्मती से सूबे के ऐसे ऐसे लोग, श्री हरगोविन्द सिंह, जिनको शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं रहा, शिक्षा मंत्री हुए, फिर आचार्य जुगुल किशोर जी हुए और अब माननीय कैलाश प्रकाश जी हुए। ये भी किसी स्कूल के मुदर्रिस हो सकते हैं, लेकिन इनके समय में भी उत्तर प्रदेश की शिक्षा की नीति किस तरह से चल रही है, मालूम नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जहां पर प्राइमरी एजूकेशन में ए, बी, सी, डी पढ़ाई जाती है उस ढंग में भी गैर बराबरी क्यों बरती जाती है? यूरोप में प्रधान मंत्री और मजदूर का लड़का एक स्कूल में शिक्षा पाता है। जर्मनी में, रूस में और अमरीका में कहीं भी इस तरह की शिक्षा नहीं है। यहां पर मंत्रियों के और बड़े बड़े आदमियों के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं और मजदूर लोगों के बच्चे किसी और स्कूल में पढ़ते हैं। यह इनकी समाजवादी व्यवस्था है। कहते हैं प्रदेश में अनुशासनहीनता है। अनुशासनहीनता तो आपके राज्य में रहेगी ही जब तक आप इस प्रकार से गाढ़ी कमायी के धन का इस प्रकार अपव्यय करेंगे। देहारादून में एक पब्लिक स्कूल है, लौरेंटो कन्वेन्ट, सेंट एन्ड्रूज और इसी प्रकार के और और स्कूल हैं जिनको एक बच्चे के पीछे ४ या ५ रु० एड होती है पर जहां मजदूर और किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, जिला परिषदों के स्कूलों में और म्युनिसिपैलीटीज के स्कूलों में वहां पर एक बच्चे के पीछे ८ आने की एड दी जाती है। यह है तुम्हारे जनकल्याणकारी राज्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश के जितने अध्यापकगण हैं, उन्होंने चुनौती दी है कि गैर बराबरी के खिलाफ हम जद्दो जहद चलायेंगे। ये माध्यमिक संघ के लोग और नीचे तबके के लोग जो पढ़ाते हैं, आज वे इस सरकार को संघर्ष के जरिये ठीक करेंगे। इस सरकार को भी और इसकी नीति को भी। हमारे जनसंघ के एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह बहुत बड़ी गड़बड़ी होगी यदि हड़ताल होगी। उनकी बातों से ऐसा मालूम हुआ कि वे किसी शिक्षा संस्था के मैनेजर हैं। यहां पर आकर बोलते हैं और अनुदान लेते हैं। अनुदानों का रुपया और महंगाई का रुपया बहुत से मैनेजरों की जेब में जाता है। ६० प्रतिशत प्राइवेट संस्थायें तो पैसे कमाने के साधन बने हुए हैं। ये लोग अध्यापक को ६० रु० देते हैं और १०० रु० पर दस्तखत कराते हैं। अगर आप सही नीति चलाते होते तो शिक्षा की नीति से अच्छे नतीजे निकलते, लेकिन एक नतीजा निकला कि उत्तर प्रदेश में आज १८ साल के बाद १०० में २० पढ़े-लिखे लोग हैं जबकि अंग्रेजों के जमाने में १०० में १० थे। १८ साल में आपने केवल १० फीसदी बढ़ा दिये तो सब को साक्षर करने में कितने वर्ष लगेंगे?

सही नीति शिक्षा में चलती तो खोज होती, लेकिन आज विश्वविद्यालय में खोज का काम बन्द हो गया है। उत्तर प्रदेश क्या सारे देश में ऊंचे दर्जे का समाज शास्त्री पैदा नहीं हो सका, ऊंचे दर्जे के डाक्टर तथा इंजीनियर पैदा नहीं हो सके। सत्येन्द्रनाथ बोस जो देश के बड़े भारी वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि जब तक अंग्रेजी चलती रहेगी विश्व-विद्यालयों में बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा नहीं हो सकते, बड़े-बड़े इंजीनियर और डाक्टर पैदा नहीं हो सकते। शिक्षा मंत्री इन बातों पर गौर करें। उनको अंग्रेजी का चलन बन्द करना होगा। अंग्रेजी की भाषा गुलामी की प्रतीक है जो हम पर लदी हुई है और जितने दिन चलेगी उतने दिन गुलामी का प्रचार करेगी। अंग्रेज न होते तो क्या अंग्रेजी होती? फिर कैसे काम चलता?

पेंशन योजना के संबंध में यह किया गया है कि ५ अक्तूबर, १९६४ को जो रिटायर हुआ है उसको पेंशन दी जायगी और अगर ४ अक्तूबर, ६४ को रिटायर हो गया तो फिर उसे क्यों नहीं दी जायगी या सितम्बर ६४ में कोई अध्यापक रिटायर हो गया तो क्यों नहीं दी जायगी। पेंशन देने का क्या आपका सिद्धान्त है? ४५ साल जिनने सर्विस की है और वह ५ अक्तूबर, ६४ से पहले रिटायर हो गया तो वह पेंशन का मुस्तहक नहीं

[श्री काशीनाथ मिश्र]

हो सकता। आप इस योजना को व्यापक बनाइये। आप यह करें कि जिसने २० साल सर्विस की है उसे कम दीजिये, जिसने ३० साल की है उसे ज्यादा दीजिये और इस प्रकार कोई तर्कयुक्त योजना होनी चाहिये।

अप्रैल में दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों की कान्फ्रेन्स हुई थी, उसकी कार्यवाही मेरे सामने है। उसमें उन्होंने कहा है कि २० फीसदी बजट का शिक्षा पर खर्च होना चाहिये, लेकिन यहां सदन में कहा कि १८ फीसदी खर्च करेंगे। तो इस तरह से वह दो जबानों से बात करते हैं। शिक्षा मंत्री के सम्मेलन में कहते हैं कि गवर्नमेन्ट टीचर्स तथा प्राइवेट स्कूलों के मास्टरों के ग्रेड में डिस्पेरटी नहीं होनी चाहिये, यह गैर-बराबरी दूर होनी चाहिये, लेकिन यहां जब अध्यापक संघ मिला तो उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग नहीं मानी जा सकती। इस प्रकार शिक्षा मंत्री दो जबानों से बात करते हैं। ऐसी हालत में उत्तर प्रदेश के अध्यापक हड़ताल करेंगे और हमारे ऐसे नौजवान उस हड़ताल में सहयोग करेंगे, हमारी पार्टी सहयोग करेगी और उस हड़ताल से उत्तर प्रदेश में वह फिजां पैदा होगी कि उनकी वर्तमान शिक्षा नीति ध्वस्त होकर रहेगी।

श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मंत्री जी ने जब से शिक्षा के कार्यक्षेत्र को अपने हाथ में लिया तब से इसमें कोई सन्देह नहीं कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है। इतना तो आप जानते ही हैं कि हमारे राष्ट्र के उत्थान का मूलाधार शिक्षा ही है। इसलिये शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति होनी चाहिये और इसकी यथेष्ट उन्नति होनी चाहिये। इस दिशा में हमारे शिक्षा विभाग का काम सराहनीय और प्रशंसनीय है। जहां तक इसका संबंध है कि शिक्षा में कौन सी प्रगति लाई जाये और इसमें कौन-सा सुधार करना चाहिये इसकी ओर मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक प्राथमिक पाठशालाओं का संबंध है, इनकी संख्या में यथेष्ट वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष पाठशालाओं की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। बालिकाओं के विद्यालयों की संख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन वह वृद्धि उस अनुपात में नहीं हुई है जो बालक विद्यालयों में हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जहां तक आप प्राथमिक पाठशालायें सरकार की ओर से खोलते हैं, वहां आपको इस पर बल देना चाहिये कि ग्रामों में स्वावलम्बी पाठशालायें खुलें। ग्रामों में स्वावलम्बी पाठशालाओं से हमारा अर्थ यह होना चाहिये कि जिस गांव के लोग शिक्षा में प्रगति करना चाहें वह अपने गांव में एक पाठशाला खोल लें और उनकी पाठशालाओं को सरकार की ओर से आधा अनुदान मिलना चाहिये। मान लीजिये उस पाठशाला में एक अध्यापक रखा जाय तो उसके वेतन का आधा भाग सरकार दे और आधे वेतन का भार वहां की गांव सभा वहन करें। यदि ऐसा किया गया तो हमारे प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या भी बढ़ती जाएगी और वे सरकार की परमुखापेक्षी न रहकर स्वावलम्बी रहेंगी।

दूसरी बात मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जहां आप पाठशालाओं और छात्रों की संख्या बढ़ाते हैं, वहां यह भी आपको ध्यान देना चाहिये और इसकी जरूरत है कि छात्रों और पाठशालाओं की संख्या के बढ़ने के साथ शिक्षा का स्तर न गिरने पाये। छात्रों और स्कूलों की वृद्धि के साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षा का स्तर भी दिन पर दिन ऊंचा होता रहे। शिक्षा के स्तर को बनाये रखने और उसमें वृद्धि के लिये आपको सुयोग्य अध्यापकों का चयन करना होगा। इसलिये आवश्यक है कि सुयोग्य अध्यापक का एक निश्चित मापदण्ड होना चाहिये। जैसे कि आपने रखा कि प्राथमिक पाठशालाओं में रखे जाने वाले अध्यापकों की निम्न शिक्षा योग्यता जूनियर हाई स्कूल होना चाहिये तो इसमें भी

अब आपको परिवर्तन करना चाहिये और उसे जूनियर हाई स्कूल के स्थान पर अब हाई स्कूल होना चाहिये। तभी आपकी शिक्षा का स्तर उठ सकता है, इसके साथ ही यह भी हो कि हाई स्कूल जो दूसरी या प्रथम श्रेणी में पास हों उन लोगों को वरीयता दी जानी चाहिये इसका परिणाम यह होगा कि शिक्षा का स्तर उच्च होगा। सुयोग्य अध्यापकों की प्राप्ति के लिये यह भी जरूरी है कि उन्हें अच्छा वेतन दिया जाये और इस पर आपको ध्यान देना चाहिये। जहां तक इसका संबंध है इस दिशा में आपका प्रयास प्रशंसनीय रहा है, फिर भी इस ओर काफी ध्यान देने की जरूरत है। अब समयाभाव के कारण एक दो सुझाव आपको और देना चाहता हूं। जहां तक दीक्षित अध्यापकों का संबंध है वह आपके यहां बहुत कम हैं। इसलिये आपको पूर्व की भांति सचल शिक्षा दल की व्यवस्था करनी चाहिये। जहां आपने प्राथमिक पाठशाला के लिये यह शर्त रखी है कि ५ साल तक जो काम कर चुके हैं उन्हें ही प्रशिक्षण के लिये भेजा जाये, वहां यह भी करें कि जो अप्रशिक्षित अध्यापक २-३ साल तक पाठशाला में कार्य कर चुके हैं उन्हें भी प्रशिक्षण के लिये भेजा जाये। आप सचल शिक्षा दल की व्यवस्था कीजिये और प्रशिक्षण हेतु जाने वाले अध्यापकों की समय की अवधि में कुछ कमी कीजिये तभी आपको दीक्षित अध्यापक अधिक संख्या में मिलेंगे।

माध्यमिक शिक्षालयों के अध्यापकों का जहां तक संबंध है, गत वर्ष मुझे याद है उनके मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी और इस वर्ष भी उनके वेतन में वृद्धि की गई है। मैं भी शिक्षक रहा हूं, मैं भी उनसे सहानुभूति रखता हूं और उनको समझता हूं। किन्तु फिर भी मैं इसे पसन्द नहीं करता कि अध्यापक मजदूरों आदि की भांति अपनी मांग पेश करें। वे अपनी मांगें बार-बार रखें लेकिन धमकी या हड़ताल की धमकी, प्रदर्शन की धमकी दिखाकर, परीक्षाओं का वहिष्कार करके, अपनी मांग पूरी करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इसके लिये आपको उचित रास्ता बनाना होगा तथा श्रेष्ठ मार्ग अपनाना होगा। आप शिक्षित समाज के अंग हैं इसलिये सभ्यतापूर्ण व्यवहार की आप से आशा की जाती है और आशा है कि आप इसके लिये मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं शिक्षक रहा हूं इसलिये मैं अपने भाइयों से विधान सभा के माध्यम द्वारा अपील करता हूं कि इस मार्ग से उनको विरत होना चाहिये, इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्षति पहुंचेगी और आपको कलंक मिलेगा। इसे आपको दूर करना चाहिये।

*श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखूंगा। सर्व-प्रथम प्राथमिक पाठशालाओं के शिक्षक ही देश की रीढ़ हैं। जैसा कहा जा रहा है कि समान कार्य के लिये समान वेतन होना चाहिये, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का वेतन कम से कम १०० रुपये हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इलाहाबाद जिले के प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय और इंटर कालेजों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। प्राथमिक पाठशालाओं में जो नियुक्तियां होती हैं। वह राजनीतिक दृष्टिकोण से होती हैं और स्थानान्तरण भी इसी तरह से होते हैं, आज शिक्षा के स्तर गिरने का कारण यह है कि १७ साल से शासनारूढ़ दल शिक्षकों को राजनीतिक दृष्टिकोण से उपयोग करता है। मिसाल के तौर पर मैं इलाहाबाद जिले की मंझनपुर तहसील के दुर्गा देवी इंटर कालेज की ओर इशारा करता हूं। वहां इसका गढ़ बना हुआ है। इस सदन के माननीय सदस्य बहुगुणा जी हैं। वहां के प्रिंसिपल २४ घंटे राजनीतिक काम करते हैं। वह पी० सी० सी० के मेम्बर हैं और बांदा जिले के संयोजक हैं। रात-दिन इलेक्शन में काम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नाथूराम शिक्षक]

करते हैं, लेकिन कोई उसकी चेकिंग नहीं होती। वह राजनीति का अड्डा बना हुआ है। इस प्रिंसिपल का विशेष ध्यान रखा जाय। इसी तरह से एक कृषि महाविद्यालय है उसके संबंध में सरकार के पास और जिला निरीक्षक के पास शिकायत लिखी है कि सहायक अध्यापक और मैनेजर ने जो गड़बड़ी की है वह लिखकर दी है। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने प्रश्न पूछा तो कह कर टाल दिया गया। हमको व्यक्तिगत पत्र लिखना पड़ा। वहां अंधेरखाता मचा हुआ है। शिक्षा जहन्नुम में जा रही है और अनैतिकता बढ़ रही है।

तीसरी बात यह है कि फतेहपुर जिले में गवर्नमेन्ट कालेज है। वहां के संस्कृत के अध्यापक के विरुद्ध ऐसा पत्र आया है जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, केवल आंख से देखा जा सकता है। उनके खिलाफ शासन के पास शिकायत भेजी गई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई और अनैतिकता की बढ़ोत्तरी में कोई कमी नहीं हुई। इनका शीघ्र तबादला होना चाहिये। इनका नाम श्री कृष्णदत्त दुबे है। उनके खिलाफ दर्जनों शिकायतें है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अन्त में मैं मांग करता हूं कि दर्गा देवी इंटर कालेज और कृषि महाविद्यालय की ओर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। वहां बड़ा गोलमाल है और रात दिन अध्यापक कांग्रेस का काम करते हुए, समाज से अनैतिक लाभ उठाते हुए अपना जीवन-यापन करते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बसन्तसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व एक भ्रान्ति का निवारण करना चाहता हूं। मेरे मित्र काशीनाथ जी ने कहा कि मैं किसी स्कूल का मैनेजर हूं। मैं उन्हें यह बतला देना चाहता हूं कि मैं एक अध्यापक हूं। मैं माननीय काशीनाथ जी के बारे में नहीं जानता कि वे क्या हैं? किन्तु मैं अध्यापक हूं और अध्यापकत्व का मुझे १५ वर्ष का अनुभव है। मैं अध्यापकों की पीड़ाओं और वेदनाओं को अच्छी तरह समझता हूं। उन के साथ मैनेजमेंट का जो व्यवहार होता है वह भी जानता हूं और खुद स्कूल के मैनेजमेंट में हूं।

मैंने जो कुछ भी कहा था उसका अभिप्राय यह था कि आज जो कदम अध्यापक उठाने जा रहा है उस से अत्यधिक क्षति होगी। मैंने उस क्षति की ओर संकेत किया था और सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि आज अध्यापक क्यों इस हद पर आ गया है। यदि वे मेरी बात पर ध्यान देते तो उनको महसूस हो जाता कि यह बात मैं क्यों कहता हूं। राष्ट्र का निर्माता अध्यापक यह बात अच्छी तरह से जानता है कि इस से राष्ट्र की क्षति होगी, राष्ट्र के बालकों की क्षति होगी, लेकिन वह क्यों इस पर उतारू हुआ है। यह सोचने की बात है। मैंने यह भी कहा था कि सरकार इस के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने अध्यापकों की ओर और शिक्षा की ओर १७ वर्ष तक ध्यान नहीं दिया। आज अध्यापक को इस के सिवा और कोई मार्ग दिखायी नहीं पड़ता और इस हद तक वह उतारू हो गया। "बुभुक्षितः किं न करोति पापम्।" भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता। आदर्श आदर्श की जगह रहता है, लेकिन जब आदमी भूख से ब्याकुल होता है तब आदर्श को उतार कर फेंक देता है। राष्ट्र के निर्माता अध्यापक के सामने ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनका संकेत मैंने किया था और उसी से व्यथित हो कर उस ने इस मार्ग को अपनाया है। शिक्षकों ने मंहगाई भत्ते के लिए जो मार्ग अपनाया है, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और भारतीय जनसंघ भी उसका पूर्णतया समर्थन करता है। जिन लोगों को भ्रान्ति हुई है उन को इसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये। न मैं, न भारतीय जनसंघ ही सदैव एजीटेशनल मेथड्स का पक्षपाती है, लेकिन ऐसे अवसर आते हैं जब उन के बिना कार्य नहीं चलता। मैं सदा शान्तिपूर्ण वातावरण में वाद-विवाद करना चाहता हूं। जिस से समस्या सुलझे और मैं आशा करता हूं कि वह स्थिति आयेगी। किन्तु

एक बार फिर म सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करता हूं कि सरकार सोचे कि इसके कितने गम्भीर परिणाम होंगे, कितनी भयानक स्थिति का निर्माण हो जायगा ? प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी स्तर तक प्रत्येक शिक्षक उस मांग का समर्थन करता है और जो कदम उठाये जाने वाले हैं उनका पूर्णतया समर्थक है। अगर शिक्षक वर्ग में इस तरह की बेचैनी व्याप्त हो जाती है तो फिर कितने घातक परिणाम इसके होंगे, इस पर सरकार सोचे। सरकार को इस में क्या करना है ? जो मंहगाई भत्ता देना है उस में आधा तो केन्द्रीय सरकार दे रही है, आधा इस सरकार के देने की बात है। यह कोई ऐसी मांग नहीं है जो अनुचित कही जा सकती हो।

मैं इस स्पष्टीकरण के बाद कुछ दूसरे प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहूंगा। मैं उन सब माननीय सदस्यों का, जिन्होंने उस विवाद में मेरा समर्थन किया, अपने सुझाव दिये और जो विरोध में रहे उनका, मैं सभी का आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं।

एक माननीय सदस्य ने उर्दू के लिए कहा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि उर्दू हिन्दी की एक शैलीमात्र है। हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उर्दू में कोई अलग शब्द नहीं होते। कुछ चन्द शब्द अरबी और फारसी भाषा के होते हैं उनको भी देवनागरी लिपि में लिखा जा सकता है और लिखा जाय तो अच्छा ही होगा। जितनी भाषायें आज भारतवर्ष की हैं, उनके शब्दों का प्रचलन यदि हिन्दी में हो जाय, तो हिन्दी एक ऐसी भाषा बनेगी जो सब के लिए उपादेय होगी। उर्दू को हिन्दी से अलग बताना मेरी समझ में नहीं आता है। वह केवल फारसी लिपि में लिखे जाने मात्र से अलग भाषा नहीं बन जाती।

सरकार की नीति हिन्दी विरोधी रही है। दर्जा ३ से यहां पर अंग्रेजी लागू की गयी है। उसके तर्क में यह बात कही जाती है कि यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा होती है। नीचे की कक्षाओं में यदि अंग्रेजी न पढ़ायी जाय तो छात्र को वहां की पढ़ाई समझ में नहीं आती। इस कारण अंग्रेजी कक्षा ३ से पढ़ानी आवश्यक है। परन्तु क्या हम सोचते हैं कि आज प्राइमरी शिक्षा के बच्चों पर इससे इतना बोझ लाद दिया गया है कि वे विदेशी भाषा के पढ़ने में अपने को दबा हुआ महसूस करते हैं और वे किसी तरह की भी भाषा ठीक प्रकार से सीख नहीं पाते ? आज उन सभी विद्यार्थियों को इसका अध्ययन करना पड़ता है जो पिछड़े हुए वातावरण में पलते हैं। इससे उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती। उनकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। गुजरात में आठवीं कक्षा के बाद अंग्रेजी भाषा को पढ़ने को कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, जहां पर हिन्दी बोली जाती है, दर्जा ३ से ही यह लाद दी गयी है। होना यह चाहिये था कि यूनिवर्सिटी में हिन्दी को माध्यम बनाया जाता। इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती थी, लेकिन सरकार ने उस तरफ कुछ नहीं किया। मैं विज्ञान पढ़ाता रहा हूं। मैंने सब हिन्दी में शिक्षा दी है। कुछ शब्द ऐसे जरूर होते हैं जिनको सीखना पड़ता है, लेकिन उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। जब कि इस प्रदेश में ९८ फीसदी बच्चे हिन्दी में पढ़ते हैं और पढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर इस तरह से अंग्रेजी लादना उनकी मौलिकता पर कुठाराघात करना है कि वे अपना अधिक समय बिदेशी भाषा के सीखने में लगायें।

यहां पर अध्यापकों के लिए ट्रेड यूनियनिज्म की बात कही गयी कि वे इस तरह से काम करते हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मैं ट्रेड यूनियनिज्म के बिलकुल विरुद्ध हूं और उसको कोई भी शिक्षक अपनाना नहीं चाहता, लेकिन सरकार उनको विवश करती है कि वे ट्रेड यूनियनिज्म की तरफ जायं। अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलती है तो उनको ट्रेड यूनियनिज्म की तरफ जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आज वह समय आ गया है कि प्राइमरी शिक्षा को ठीक बनाने के लिए यदि हम जिला बोर्ड से इस शिक्षा को निकाल लें तो यह अनुचित कदम नहीं होगा। इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है और जिला परिषद् ऐक्ट में संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि जिला बोर्ड ऐक्ट में बहुत-सी ऐसी त्रुटियां हैं जिन के घातक परिणाम हो रहे हैं। इस की तरफ सोचना आवश्यक है। मैं मानता हूं कि सस्ता

[श्री बसन्तसिंह]

का विकेन्द्रीयकरण करना है लेकिन यह भी सोचना है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण ऐसा न हो जिससे ऐसे परिणाम निकलें कि जिनसे और गड़बड़ पैदा हो जाय, जिनसे और भयंकर और घातक स्थिति बन जाय।

अब मैं कुछ सुझाव बोर्ड के सम्बन्ध में देना चाहता हूं। उस में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों का, जिनका कार्य क्षेत्र बोर्ड के अन्तर्गत है, बिलकुल प्रतिनिधित्व नहीं होता है। उनको प्रतिनिधित्व दिया जाय। यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व उसमें बहुत बढ़ा दिया गया है। बोर्ड का अधिक सम्बन्ध माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों से है लेकिन यूनिवर्सिटी के लोगों की अधिकता होती है। उनक बोर्ड में आने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है।

मैं बालिकाओं की शिक्षा के बारे में यह निवेदन कर दूं कि उनके लिए विद्या विनोदिनी शिक्षा की मान्यता समाप्त कर दी गयी है। ग्रामीण बालिकाओं के लिए इस से बहुत सुविधा होती थी। अब उन सभी को हाई स्कूल में बैठना होगा। अगर उनके लिए आठवें दर्जे तक पास करना अनिवार्य न हो तो इससे उनको शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा होगी। माध्यमिक शिक्षा के पैनेल इन्स्पेक्शन की रिपोर्ट बहुधा बहुत देर से आती है, यहां तक कि दूसरा पैनेल इन्स्पेक्शन भी हो जाता है। इससे कोई लाभ नहीं होता है। साथ ही यह भी कहूंगा कि पैनेल इन्स्पेक्शन डिग्री कालेज के प्रोफेसरों से कराया जाता है। इसको समाप्त करना चाहिये। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक ही उसके लिए भेजे जायं तो उससे ज्यादा लाभ हो सकता है। प्रबन्ध समिति में शिक्षकों के दो सदस्य होते हैं। १५ में २ की क्या कीमत हो सकती है। इसकी संख्या को ४ किया जाय। उनका प्रतिनिधित्व १/३ होना चाहिये।

शिक्षकों के बच्चों के लिए चाहे वे किसी भी स्कूल में पढ़ते हों निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना चाहिये। अभी तक यह तरीका है कि जिस स्कूल में शिक्षक पढ़ाते हैं उनमें अगर उनके बच्चे पढ़ें तो उनको निःशुल्क शिक्षा की सुविधा रहती है और बाकी स्कूलों में यह सुविधा नहीं दी जाती। सब स्कूलों में उनके लिए यह सुविधा होनी चाहिये। २०० रुपये वेतन तक निःशुल्क शिक्षा की सीमा को बढ़ाकर ३०० रु० कर दिया जाय, ताकि अधिक शिक्षकों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा मिले। शिक्षा के स्तर को हम ऊंचा करना चाहते हैं तो उसके लिए यह जरूरी होगा कि जो हाई स्कूल के नीचे की कक्षायें होती हैं उनमें विद्यार्थियों को उन्हीं नियमों के अनुसार प्रमोशन दिया जाय जिनके अनुसार बोर्ड की परीक्षाओं में दिया जाता है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि असरकारी विद्यालयों में जो शिक्षक कार्य करते हैं उनके लिए मिनिमम पीरियड तो निर्धारित है, मैक्सिमम पीरियड निर्धारित नहीं किये गये हैं। इस कारण उन अध्यापकों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसका निर्धारण भी होना चाहिये। एक बार फिर मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

(शिक्षा मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं चाहता था कि शिक्षा मन्त्री जी अपने भाषण में दो एक बातें और स्पष्ट कर दें कि जो नया फारमूला हुआ है उसकी घोषणा अगर अप्रैल या मई में कर दी गयी होती, तो शिक्षा संस्थाओं को अनुदान मिलने में जो गड़बड़ी हुई है वह समाप्त हो सकती थी। इसके अतिरिक्त सारी संस्थाओं की ग्रान्ट कम कर दी गयी है। तीसरे जिस प्रकार विद्यार्थी बढ़े हैं उसके बाद प्रत्येक अध्यापक पर कितने विद्यार्थी पड़ते हैं अगर इसके भी आंकड़े हों तो मन्त्री जी देने की कृपा करें।

श्री वैजनाथसिंह बैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बारे में कोई जिक्र नहीं आया है । मैं प्रार्थना करूंगा कि उत्तर भाषण में उसका भी जिक्र हो जाय तो अच्छा हो।

(इस समय ४ बजकर ३८ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री रामायणराय पीठासीन हुए।)

*श्री कैलाशप्रकाश—

मैं माननीय सदस्यों का बहुत अनुगृहीत हूं और विशेषकर उनका जिन्होंने कट मोशन पेश किया है। बहुत से सुझाव भी माननीय सदस्यों की ओर से दिये गये हैं। कुछ मौलिक बातें उठायी गयी हैं, कुछ प्रशासनिक बातें उठायी गयी हैं। जितना थोड़ा समय है उसमें मौलिक बातों पर कुछ अधिक कहना संभव नहीं हो सकेगा। शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्व-पूर्ण है और इसका सम्बन्ध प्रत्येक से है और केवल आज के समाज और नागरिकों से ही नहीं, बल्कि भविष्य के समाज की रचना का आधार भी शिक्षा ही है। इसलिए बहुत-सी मौलिक बातें इसमें उपस्थित हो सकती हैं और उन सब पर कुछ कहना मुश्किल होगा। हां, इतना मैं स्वयं महसूस करता हूं कि परिवर्तन की आवश्यकता है, किन्तु जैसा मेरे एक मित्र सदस्य ने भी कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिवर्ष प्रयोग नहीं होने चाहिये, वह बात सही है। कुछ शिक्षाविदों का यह भी कहना है कि हम बहुत परिवर्तन करते, प्रयोग करते चले जाते हैं और इससे भी हमारी शिक्षा का स्तर ठहर नहीं पाता। शिक्षा ऐसी चीज जरूर है कि जिसम प्रयोग का नतीजा एक साल में दिखलायी नहीं देता। एक साल में तो कितने फीसदी लड़के पास हुए यह ही देखा जा सकता है। शिक्षा में प्रयोग का फल काफी समय बाद ही देखा जा सकता है। हमें स्वतन्त्र हुये भी बहुत समय नहीं हुआ। एक व्यक्ति को, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि २१ वर्ष इस बात के लिए लगता है कि वह अपनी कोई राय स्वतन्त्र रूप से कायम कर सके। लोकतन्त्र में इसीलिए शासन के निर्माण में किसी व्यक्ति को २१ वर्ष से कम आयु का होने पर राय देने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह सम्भव है कि इसीलिये हो कि व्यक्ति को परिपक्व होने में २१ वर्ष लगते हैं। इसलिए एक तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयोग नहीं होने चाहिये। दूसरी बात यह है कि एक ही धारा से चलते रहें, यह भी ठीक नहीं है। समय में परिवर्तन होता है और होता चला जाता है। दुनिया तो सिकुड़ कर आज एक जगह हो ही गयी है। आज तो चांद और सितारों पर नजर लगी हुई है। जब एक तरफ हमारी बढ़ोत्तरी ज्ञान और विज्ञान की हो गयी है तो यह आवश्यक है कि उसको दृष्टि में रखते हुये शिक्षा को भी तदनुसार बदलने की आवश्यकता हो जाती है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि एक ओर जहां हमें देखना है कि इतना भी परिवर्तन न हो जाय कि हम अपनी मौलिकता से परे हो जायं और दूसरी ओर हमें कूप-मंडूक भी नहीं बनना है। ये दोनों ही परिस्थितियां ठीक नहीं। इसलिये मौलिक रूप में शिक्षा को इस दृष्टि से देखने की बात होगी और मैं मानता हूं इस बात को कि अपने प्रदेश और देश में भी ये चीजें निर्धारित करने की आवश्यकता है। एक स्तर और दूसरे प्रसार की।

इस प्रदेश के सामने ये दोनों प्रश्न बड़े जटिल रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। मैं प्रातःकाल निवेदन कर चुका हूं कि हमारे सब के लिए यह खेद की बात है कि हमारा प्रदेश सब से पीछे है, इसलिये प्रसार से भी मुंह मोड़ नहीं सकते। हमारा संबिधान का भी संकल्प है कि प्राथमिक शिक्षा ६ वर्ष से १४ वर्ष तक अनिवार्य हो, मगर हम ६ से ११ तक आये नहीं। हम करीब-करीब ६१ फी सदी तक हैं। इसलिये स्वयं सिद्ध है कि हमें प्रसार भी काफी करना होगा। प्रसार और स्तर दोनों ही ऊंचे हमें करने हैं और इनके लिए साधन जुटाने की आवश्यकता महसूस होती है। अगर साधन में कमी होगी तो स्वाभाविक है कि प्रसार में बाधा हो जावेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कैलाशप्रकाश]

हमें प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी अनुभव होती है। साधन जुटाने पर भी व्यावहारिक दृष्टि-कोण से लक्ष्य को सामने रखते हुये शिक्षा में परिवर्तन की बात है। मैं एक आवश्यक निवेदन कर देना चाहता हूं कि लोकतन्त्र में शिक्षा अवश्य ज्यादा होनी चाहिये पर उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिये। अगर शिक्षा में राजनीति आ जावेगी, और आर्थिक मान्यतायें भी उसमें स्थान ग्रहण करेंगी तो लोकतन्त्र की बुनियादों को खतरा हो सकता है, क्योंकि लोकतन्त्र की मान्यता है इस बात की कि प्रत्येक को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये और विचार परिपक्व बनाने के बाद ही स्वतन्त्रता होनी चाहिये और वे वही बन सकते हैं जो बुनियादी तरीके से चीजों को करें। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से शिक्षा संस्थायें चल जावेंगी तो उसमें परिपक्व विचार रखने की बात नहीं आ सकती। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा का क्षेत्र लोकतन्त्र को पुष्ट करने के लिए होना चाहिये। शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति नहीं आनी चाहिये। (किसी के कुछ कहनें पर) है कहीं कहीं, मेरे पास भी अक्सर इस तरह की चीजें आती हैं जिसमें राजनीति की कुछ बातें आ जाती हैं।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा का सम्बन्ध है वह अधिनियम के अनुसार जिला परिषदों के हाथ में हैं। वे ही अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण आदि करती हैं। इसके अतिरिक्त और जो संस्थायें हैं उनमें कुछ मैनेजमेंट हैं जो एक कमेटी बनाकर सबका प्रबन्ध करती हैं और डिग्री के स्तर पर भी वह संस्थायें हैं। समयाभाव के कारण मैं और उस सवाल में नहीं जाना चाहता हूं। यह भी एक लोकतन्त्र की मान्यता है कि शिक्षा का इस तरीके से प्रसार होना चाहिये कि जिससे अपनी संस्थायें वह स्थापित करती जायं। मैं बहुत ज्यादा कहीं विदेशों में गया नहीं हूं और यह भी मैं स्वीकार कर सकता हूं कि कोई बहुत पढ़ा-लिखा शिक्षा शास्त्री भी मैं नहीं हूं। थोड़ी बहुत बात जानता हूं और उसके आधार पर यह मुझको प्रतीत होता है कि जिन देशों में कि लोकतन्त्र स्थापित किया गया है और जनतन्त्र की मान्यता है, उन देशों में शिक्षा को बिलकुल केन्द्रित रूप से या राष्ट्रीयकरण के रूप में या राज्यकरण के रूप में नहीं रखा जाता है। इसकी वजह है कि राज्य तो उलटते-पलटते रहते हैं, दृष्टिकोण बदलते रहते हैं किन्तु शिक्षा संस्थाओं का दृष्टिकोण राज्य के साथ बदलना नहीं चाहिये। उनको उस तरीके से कार्य करना चाहिये। यह भी उस में एक बात होती है। मैं कह ही चुका हूं कि हम तो अभी बढ़ोत्तरी के स्तर पर हैं। कुछ पुरानी मान्यतायें हमारे मस्तिष्क में हैं और यह तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है और केवल हमारे देश की बात नहीं है, विभिन्न देशों की भी बात है कि विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, समाज की परिस्थितियां तो तेजी के साथ बदलती जाती हैं, लेकिन व्यक्ति जो है उसका मस्तिष्क उस द्रुत गति से नहीं बदलता है और चुनांचे आज संसार में भी जहां विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है वहां भी एक असन्तुलन पैदा हो गया है कि व्यक्ति का दिमाग तो संकीर्ण है और प्रसार साधनों का बहुत ज्यादा हो गया है। हमारी भी मान्यतायें कुछ ऐसी हैं क्योंकि जो आज इन सब बातों में कुछ हाथ रखते हैं, वह सब गुलामी के जमाने के पैदा हैं, अभी तो स्वतन्त्र जमाने के पैदा हुये इन चीजों में आये नहीं हैं, क्योंकि वह २१ वर्ष के हुये नहीं। इसलिये हमें उनकी जकड़न में नहीं रहना चाहिये। जो जकड़न है, दिमाग में है और यह भी आशा नहीं करनी चाहिये कि एक रोज में ही दिमाग से जकड़न चली जायगी क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है, जिसको कि कहते हैं परिपाटी से प्रभावित, इसीलिये कुछ कमी हो ही सकती है संचालन में, चाहे वह माध्यमिक स्तर में हो, चाहे डिग्री स्तर में हो, चाहे जिला परिषद् के स्तर में हो। उन कमियों को दूर करना हमारा आपका काम है। जो कमियां आयें उनको दूर करें। लेकिन उन कमियों को सामने रखकर यह कोई नजरिया हम बनायें कि यह काम कुछ कर ही नहीं सकते, यह बात सही नहीं है।

एक बात यह कही गयी कि हमारे देश में अच्छे इन्जीनियर या अच्छे वैज्ञानिक पैदा नहीं हो रहे हैं, यह बात सही मुझे नहीं मालूम होती है। मेरी व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कि हमारे जो विद्यार्थी विदेशों में पढ़ाई के लिये जाते हैं, उन अमेरिका जैसे विकसित देशों में,

वहां उनको यह इच्छा होती है कि यह विद्यार्थी यहीं रह जायं और इस देश और समाज की सेवा करें, साधारण रूप से तो वह ऐसा करते नहीं, न कोई मेहरबानी कर के ऐसा करते ह, बल्कि इसलिये करते हैं कि वह हमारे यहां के विद्यार्थी और नवयुवक वहां के विद्यार्थियों के मुकाबिले में अच्छे साबित होते हैं और जैसा कि उनका एक विकसित मस्तिष्क होता है, उस विकसित समाज में यह इच्छा होती है कि जहां से भी कोई अच्छी चीज मिले, वहां से लें।

एक बात मैं निवेदन कर दूं कि चाहे भाषा का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा का प्रश्न हो, चाहे विज्ञान का प्रश्न हो, चाहे मनोविज्ञान का प्रश्न हो, इनमें अगर "कूप मंडूक" होकर हम रहेंगे, और "कूप मंडूक" के रूप में हम विचार करेंगे, तो प्रगति के पथ पर हम नहीं चल सकते हैं। आज संसार का यह कायदा हो गया है और खास कर विज्ञान जैसे क्षेत्र में कि एक देश जो करता है दूसरा देश उसका पूरा-पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। राजनीतिक बन्धनों से, सामाजिक बन्धनों से वे बंधना नहीं चाहते हैं और इस वजह से मानव समाज आगे प्रगति कर सकता है। हमको भी इस विकास के समय में बिलकुल संकीर्ण, कूपमंडूक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता नहीं है। हमें खुले दिमाग से चीजों को देखना चाहिये। बुनियादी तरीके से हमारी भाषा हिन्दी है, लेकिन हिन्दी में यदि यह बात पैदा हो जाय कि दूसरी किसी भाषा के शब्द को हम अछूत समझें, तो इससे कोई शक्ति नहीं मिलती है।]

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय मन्त्री जी, कूपमंडूक की बात बारबार [कह रहे हैं। अंग्रेजी भाषा की ओर क्या उनका लक्ष्य है?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य के बारे में मेरा कोई विचार नहीं है। केवल चूंकि यहां मौलिक प्रश्न उठा दिया गया और माननीय सदस्यों की ओर से यह कहा गया कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन की आवश्यकता है, इसलिये मुझे मौलिक बातों पर अपने विचार रखने की आवश्यकता हुई और म मानता हूं, ऐसा समझता हूं कि मुझे ऐसा करने की आज्ञा है।

शिक्षकों के बारे में बात आयी। माननीय सदस्यों ने जो अधिकांश में विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मुझे सहानुभूति है, शिक्षकों से भी मुझे सहानुभूति है। मैं भी बुनियादी तरीके से इस बात को महसूस करता हूं कि शिक्षकों की स्थिति सुधरनी चाहिये। फर्क केवल इतना है कि कोई बात आज मैं यहां से शासन का अंग होने के नाते कहता हूं और उसे बता देता हूं तो आयद हो जाती है कि उसे किया जाय, चाहे जो भी हो। एक लक्ष्य हो सकता है। एक निश्चित विचार हो सकता है। यह बुरी बात नहीं है। लेकिन लक्ष्य को व्यावहारिक जामा पहनाना दूसरी बात है। इच्छा हो सकती है, लेकिन व्यावहारिक जामा साधनों से ही पहनाया जा सकता है। मेरे में और उन माननीय सदस्यों में सिर्फ यही अन्तर है कि मुझे केवल वही बात कहनी चाहिये जिसे व्यावहारिक जामा कल नहीं, आज ही पहना दिया जाय। आज शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षक संघ की मांग ५० रुपये भत्ता देने की है। इसकी मुनासिबत पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। इस बात को मैं कहूं कि ५० रुपये मिलने चाहिये, तो केवल चाहिये तक रहने वाली बात नहीं है। मैं माननीय सदस्यों से बहुत ठंडे दिल से कहना चाहता हूं कि एक पुस्तिका दी गयी है जिस में मौजूदा शिक्षकों की संख्या है, जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक, माध्यमिक शिक्षा, स्नातक स्तर में, इन सबके उसमें आंकड़े दिये हुये हैं और यह बात आप देखते ही रहते हैं कि प्रत्येक स्तर का अध्यापक इस चीज को मांगता है अब एक स्तर को ले लिया जाय। माध्यमिक स्तर के अध्यापक की मांग है ५० रुपया कम से कम कर दिया जाय महंगाई का। अगर आज की जितनी संख्या है, वही रखी जाय, यद्यपि वह प्रति वर्ष बढ़ती जाती है। आज ४५,१८८ अध्यापक हैं। उनको अगर १० रुपया भी दिया जाता

[श्री कैलाशप्रकाश]

है तो ५४,२२,००० रु० होता है और अगर ५० रुपया कर दिया जाय तो २ करोड़ ७७ लाख रुपया होता है प्रति वर्ष।

प्राइमरी अध्यापकों की हालत उससे भी कमजोर है। इस साल तक उनको केवल ६४ रुपया मिलता है। ७४--८४ तक इधर मिलता है। अब सिद्धान्त में यह समझा जाता है कि कम से कम १०० रुपया तनख्वाह होनी चाहिये। इनकी संख्या कई लाख है, इनका करीब ३० रुपया महीना बढ़ाना होगा। जब कि केवल ५ रुपया बढ़ाया जाय तब १ करोड़ १६ लाख रुपया हो जाता है। अब अगर ३० रुपया बढ़ाया जायगा तो अब अनुमान लगा लीजिये कि कितना रुपया होगा ? इस के अलावा डिग्री कालेजेज में बढ़ाना होगा। फिर दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं के सुधार की मांग है। अब यह सब काम बिना साधन के कैसे हो सकता है ? इन सब के लिए साधन की आवश्यकता है। यह सब हिसाब लगाकर देखिये और बताये कि यह रुपया कहां से आये ? यह बड़ी अजीब अव्यावहारिक बात है। एक ओर तो आप कहते हैं कि टैक्स न लगाइये, अगर आप टैक्स लगायेंगे तो इस तरह की बात होगी और दूसरी ओर आप सब तरह की सुविधायें गिना देते हैं कि ऐसा-ऐसा कर दिया जाय। बस मुझ में और माननीय सदस्यों में इतना ही अन्तर है। जब कि उधर वालों को केवल एक ओर ही देखना होता है, इधर वालों को दोनों ओर देखना पड़ता है और सारा लेखा जोखा देखना पड़ता है। जब तक दोनों का सन्तुलन न हो जायगा तब तक मुश्किल बनी ही रहेगी।

प्राथमिक शिक्षा के बारे में यह बात कही गयी है कि जिला परिषद् के अन्तर्गत उनकी नियुक्तियां और स्थानान्तरण में कुछ दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और राजनैतिक पृष्ठभूमि भी पदार्पण कर जाती हैं। कोशिश यहां से यह हो रही है और इस प्रकार के नियम बनाये गये हैं कि ब्लाक के स्तर पर और जिला स्तर पर इतने से अधिक तबादले न किये जायं। क्योंकि किसी अध्यापक को अगर यह जाहिर हो जाय या भ्रम हो जाय कि तबादला इस बात पर होने वाला है कि वह किसी को खुश रख सकता है या नहीं, तो स्वाभाविक है कि शिक्षा का स्तर गिर जायगा। ये नियम गजट में प्रकाशित कर दिये गये हैं। किन्तु यह तो अपनी जगह वही है। बात यह है कि जिला परिषद् के स्तर पर माननीय सदस्य भी तो सदस्य हैं और मैं वास्तव में इस बात को बहुत निवेदन करना चाहता हूं कि उस स्तर पर भी कुछ चीजें देखनी चाहिये। एक तो कुछ साधनों की कमी है, लेकिन जो साधन उपलब्ध कराये जाते हैं उस दशा में उनका पूरा-पूरा प्रयोग करना चाहिये। यह चीज उस स्तर पर देखी जा सकती है और देखने की कोशिश करनी चाहिये। जैसे-जैसे कुछ चीजें आयेंगी उन पर गौर किया जायेगा। सबका यह दायित्व है कि इस तरह का वातावरण पैदा करें जिससे अच्छी शिक्षा दी जा सके।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

अभी इलाहाबाद में जो शिक्षा समिति की बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से तय हुआ था कि मास्टरों की नियुक्ति का अधिकार चेयरमैन से छीन लिया जाय और ब्लाक प्रमुखों से मास्टरों के ट्रांसफर का अधिकार छीन लिया जाय। इस सम्बन्ध में आपने भी आश्वासन दिया था, तो उसका स्पष्टीकरण आपने नहीं दिया है, इसे आप स्पष्ट कर दें कि आप इस सिलसिले में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

ठीक है, इस सदन की एक स्थायी शिक्षा समिति है जो यह प्रस्ताव पास कर चुकी है। जैसा कि माननीय सदस्य ने याद दिलाया, इलाहाबाद में उसकी बैठक हुई थी और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस बैठक में माननीय सदस्यों ने, चाहे वे किसी दल के हों, वहां प्राथमिक शिक्षा पर विचार करते समय यह विचार व्यक्त किया था कि शिक्षकों की नियुक्ति और उनके स्थानान्तरण का अधिकार जिला परिषदों से ले लिया जाय। किन्तु यह तो जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं

कि अगर इस तरह का कोई भी कार्य करना होगा तो कहीं अधिनियम में परिवर्तन करना होगा और वह बहरहाल विकास मंत्री जी से भी सम्बन्धित है। उनके पास भी मैंने भेज दिया है कि अधिनियम में संशोधन किया जाय तो उसको देख लिया जायगा।

अब एक बात यह कही गयी कि वेतन १२० रु० से प्रारम्भ होना चाहिये। बहुत अच्छी बात है, जितना अच्छा वेतन दिया जायगा उतनी ही अच्छी योग्यता का शिक्षक मिलेगा और अच्छी योग्यता होने की वजह से वह उतना ही शिक्षा के स्तर को सुधार सकेगा। बहुत अच्छी बात तो यह होती कि नीचे के शिक्षक बहुत ज्यादा योग्यता के होते और ऊपर के शिक्षक उससे कम योग्यता के होते, किन्तु यह तो एक लक्ष्य की बात है, एक उद्देश्य की बात है जिसे कभी पूरा किया जाय। बहरहाल, आज हम उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं उन कारणों से जो कि मैंने आपको अभी ऊपर बतलाये हैं। यह इस समय सम्भव नहीं प्रतीत होता है।

एक बात यह कही गयी कि बेसिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं कह चुका हूं कि शिक्षा को बिल्कुल अपने सीमित दायरे में देखने से ठीक काम नहीं चलने वाला है। अगर बेसिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है तो आखिर है ही क्या ? अन्ततोगत्वा बेसिक शिक्षा तो है ही। बेसिक शिक्षा से मतलब यह है कि वे बच्चे केवल किताब ही न पढ़ें बल्कि कुछ व्यावहारिक कार्य भी करें, जिससे उनके मस्तिष्क और शरीर में बिलकुल एक मेल हो जाय और उसका काम चलता रहे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन प्रगतिशील देशों में भी जहां शिक्षा काफी आगे बढ़ चुकी है, वहां भी अब वे इस बात को महसूस करने लगे हैं कि सही शिक्षा वही है जो छात्रों को शिक्षा प्राप्त करते समय ही अपने हाथों से काम करने की प्रणाली अपनाना सिखा देती है। किसी भी बुनियादी चीज को लाने के लिये उसके चारों तरफ शिक्षा का कार्य करना चाहिये। वर्ना शिक्षा तो एक शुष्क चीज हो जाती है और हमारे यहां शिक्षा परीक्षा नहीं है, अगर वह केवल परीक्षा रहेगी तो शिक्षा का जो पूरा आशय है वह उपलब्ध न होगा। विद्यार्थी को इस समय में सब चीजों को जानना चाहिये। जैसे हमारे स्कूलों में प्रसार अध्यापक होते हैं, वह एक विशेष वृष्टिकोण से रखे गये कि वह कृषि आदि के जो ग्रामीण विषय हैं उनको वहां सिखायें। कृषि में योग्य यह अध्यापक रखे गये और उनसे यह आशा की गई कि वह इन स्कूलों को कृषि ज्ञान का केन्द्र बनायेंगे और कृषि में कैसे प्रगति की जा सकती है इसका शिक्षण वह देंगे, उनके द्वारा वहां के कृषकों में भी नई-नई चीजें पहुंचेंगी। आशा यह की गई थी कि वह विद्यालय खेती के केन्द्र होंगे और नागरिकों का सम्पर्क उनसे रहेगा, उनको उनसे रोशनी मिल जाय। इसी का नाम बेसिक शिक्षा है, वह कोई बुरी चीज नहीं है। हो सकता है पूरे तरीके से हमने उसमें प्रगति न की हो और यह भी हो सकता है कि उसको ठीक से चलाने में अध्यापक अभी समर्थ न रहे हों और एक ओर योग्यता की कमी, साधनों की कमी, जीविका कम और फिर दूसरी ओर हम उनसे इतने ऊंचे कार्य की आशा करें, यह दोष हो सकता है, लेकिन सिद्धान्ततः बेसिक शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसको आज हर प्रगतिशील देश स्वीकार कर रहा है। हमारे यहां जब यह चीज आई और उसको हम प्रयोग में लाये तो उसके प्रति हम सब कोई आस्था न रखें, यह उचित प्रतीत नहीं होता।

सब बातें जो मुझसे अपेक्षित समझी गई हैं उन सब पर तो इतने कम समय में मैं रोशनी नहीं डाल सकूंगा। एक बात यह कही गई कि बच्चों के ऊपर पुस्तकों का बोझ इतना लदता जाता है कि जितना उनका स्वयं का भी बोझ नहीं होता। सदन में यह शिकायत बारबार होती है, लेकिन मुझे इसका किनारा कहीं नहीं मालूम होता कि कहां से पकड़ा जाय। इस वजह से कि जो विभागीय आदेश हैं वह यह हैं कि कक्षा १ में १ पुस्तक, कक्षा २ में २ पुस्तक, कक्षा ३, ४, ५ में केवल ३ पुस्तकें हों। उनके ही द्वारा पूरी पढ़ाई होनी चाहिये। अब इनके अलावा शिक्षक और कोई पुस्तक खरीदवा देते हों, जिसकी जानकारी सदस्यों को न हो या जिला परिषद् वाले खरीदवा देते हों, वह बात मैं नहीं कह सकता। ६ से ८ कक्षा तक जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जरा अधिक प्रगति होती है, वह विद्यार्थी की प्रगति की एक ऐसी अवधि मानी गयी है जिसमें उसको थोड़ा थोड़ा परिचय बहुत से विषयों का कराने की कोशिश की जाती है, यह शिक्षा शास्त्रियों

[श्री कैलाशप्रकाश]

का सिद्धान्त है। हमारा त्रिभाषा का फार्मूला है, थोड़ा इतिहास, भूगोल, थोड़ा गणित भी, थोड़ा विज्ञान भी होना चाहिये, सम्भव हो सकता है कि इस स्टेज पर कुछ पुस्तकें अधिक हो जाती हों, लेकिन एक दिन में यह नहीं हो सकता कि उनको इतना बोझ वहन करना पड़े।

अक्सर यह कहा जाता है कि पुस्तकों में परिवर्तन जल्दी-जल्दी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि ऐसे विषय के लिए ३ या ४ पुस्तकें रखी गई हों और एक साल में एक पुस्तक ले ली और दूसरे साल दूसरी पुस्तक ले ली और तीसरे साल तीसरी पुस्तक ले ली। यह तो माननीय प्रबन्धक देख सकते हैं।

श्रीमन्, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने थोड़ा-सा मुझे अतिरिक्त समय दे दिया है और माननीय सदस्यों की ओर से और भी बहुत-सी बातें जो कही गई थीं, वह मैं उठा नहीं सका। माननीय रामसुन्दर पाण्डेय जी ने जो यह बात उठाई कि अप्रैल में जो मालूम हो जाता तो वास्तविक आंकड़े कुछ और होते और अगर नवम्बर में मालूम हो जाता तो वास्तविक आंकड़े कुछ और होते। इस जानकारी में और वास्तविकता में कुछ फर्क आ जाता हो, तो कोई किसी किस्म की किसी के बीच कोई बात नहीं होनी चाहिए।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि इस सदन में कई बार सुनने को मिला कि भाषा का तात्पर्य वाक्य से होता है, शब्द से नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आज समय नहीं है, आप किसी और अवसर पर अपनी बात कह दीजिएगा।

श्री रघुनाथसिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे एक मिनट का ही समय दे दीजिए या आध मिनट का ही समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १७---शिक्षा के अधीन मांग को राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७---शिक्षा के अन्तर्गत ४३, ४६, ०३,९०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२३ फरवरी, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११२ पर)

प्रश्न ३ का उत्तर

क्रमांक	ड्राइवर का नाम	ट्रेनिंग सेंटर में तैनात रहने की अवधि	
		कब से	कब तक
१	श्री कलीम अहमद	१५-२-६३	२३-२-६४
२	,, शान बख्श	१५-२-६३	३०-९-६३
३	,, कृष्ण स्वरूप सक्सेना ..	१५-२-६३	३०-९-६३
४	,, के० पी० गुप्ता ..	१५-२-६३	२३-२-६४
५	,, ए० पी० तिवारी ..	१५-२-६३	१९-६-६३
६	,, मोतीलाल	१५-२-६३	१९-९-६३
७	,, एस० बी० सिंह ..	१५-२-६३	२३-२-६४
८	,, सी० एल० त्रिपाठी ..	१५-२-६३	२३-२-६४

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५–१६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११९ ... पर

अनुसूची १

कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, कोसी कलां, जिला मथुरा, जो कि कोसी कलां में बिजली वितरण करती है, द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरें

१—घरेलू संपूर्ति—

(क) प्रकाश तथा पंखों के लिए—

५० पैसे प्रति यूनिट	..	छूट ५ पैसे प्रति यूनिट

न्यूनतम चार्ज (minimum charge) निम्नलिखित है :—

०.१ किलोवाट तक	..	१.५० रुपये प्रति माह
०.१ से ०.५ किलोवाट तक	..	३ रुपए प्रति माह
०.५ से एक किलोवाट तक	..	४.५० रुपये प्रति माह
एक किलोवाट के ऊपर	..	६ रुपये प्रति माह।

(ख) अन्य अनौद्योगिक (non-industrial) यंत्रों के लिए जो २०० वाट्स से कम के हों—

२३ पैसे प्रति यूनिट	..	छूट ३ पैसे प्रति यूनिट

न्यूनतम चार्ज जैसा कि उपरोक्त प्रकाश तथा पंखों के लिए निर्धारित है।

२—औद्योगिक सप्लाई—

१७ पैसे प्रति यूनिट	..	छूट एक पैसे प्रति यूनिट
न्यूनतम चार्ज	..	जैसा कि स्तम्भ १ में है।

३—अन्य संपूर्ति

(क) बैट्री चार्जिग तथा २२० वोल्ट सप्लाई के १ बी० एच० पी० तक के मोटरों के लिए—

५० पैसे प्रति यूनिट	..	छूट ५ पैसे प्रति यूनिट
न्यूनतम चार्ज	..	जैसा कि स्तम्भ १ में है।

(ख) सिनेमोटोग्राफ प्रोजेक्टरों तथा चल-चित्र यंत्रों के लिए—

प्रथम ३०० यूनिट प्रति माह	..	३० पैसे प्रति यूनिट
३०० यूनिट से ऊपर प्रति माह		२५ पैसे प्रति यूनिट
न्यूनतम चार्ज	..	१५ रुपये प्रति माह, छूट ३ पैसे प्रति यूनिट
प्रकाश तथा पंखों के लिए	..	जैसा कि स्तम्भ १ में है।

अनुसूची संख्या २

मथुरा इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, जो कि मथुरा नगर में बिजली वितरण करती है द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरें

१—प्रकाश तथा पंखों के लिये

३८ पैसे प्रति यूनिट । निर्धारित समय पर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट की छूट । कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली न्यूनतम चार्ज (Minimum Charge) निम्नलिखित हैं :

कनक्टेड लोड	मिनिमम चार्ज
०.२५ किलोवाट तक	१ रु० प्रति मास
०.२५ किलोवाट से ऊपर और ०.५ किलोवाट तक ..	२ रु० प्रति मास
०.५ किलोवाट के ऊपर १ किलोवाट तक ..	३ रु० प्रति मास
१ किलोवाट के ऊपर	५ रु० प्रति मास

२—हीटिंग तथा कुकिंग यंत्रों, इलेक्ट्रिकल रेफ्रीजेटर तथा अन्य २०० वाट रेटिंग तथा उसके ऊपर के अनौद्योगिक (non-industrial) यंत्रों के लिये

पहले १०० यूनिट प्रति मास प्रति किलोवाट प्रस्थापित (installed) के लिये २५ पैसे प्रति यूनिट तथा उसके ऊपर उपयोग की जाने वाली बिजली के लिये १२ नये पैसे प्रति यूनिट ।

निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट की छूट ।

३—सिनेमाटोग्राफ प्रोजेक्टर्स तथा चलचित्र यंत्रों के लिये

किसी महीने में ६०० यूनिटों की न्यूनतम मात्रा के लिये २६ पैसे प्रति यूनिट । ६०० यूनिट के ऊपर १,२०० यूनिट तक २१ पैसे प्रति यूनिट । १,२०० यूनिट के ऊपर १६ पैसे प्रति यूनिट । निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट की छूट ।

न्यूनतम चार्ज (minimum charge) १५६ रुपये प्रति माह ।

४—पावर के लिये

(१) २३० वोल्ट १ बी० एच० पी० तक के मोटरों, बैटरी चार्जिग के लिये २६ पैसे प्रति यूनिट । निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट छूट ।

न्यूनतम चार्ज १३ रुपये प्रति बी० एच० पी० प्रति माह ।

(२) ४०० वोल्ट तीन फेस १ बी० एच० पी० के ऊपर के मोटरों के लिये ८ रुपया प्रति मास प्रति बी० एच० पी० के अतिरिक्त पर्याय क्रम से स्लाइडिंग स्केल । निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट छूट दी जायगी।

पहले ५० यूनिट प्रति मास प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित के लिये	१९ पैसे प्रति यूनिट
अगले ५० यूनिट प्रति मास प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित के लिये	१६ पैसे प्रति यूनिट
१०० यूनिट से ऊपर प्रति मास प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित के ऊपर सभी यूनिटों के लिये	१२ पैसे प्रति यूनिट

न्यूनतम चार्ज ९.५० रुपये प्रति बी० एच० पी० प्रति माह

(३) बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये—

२० किलोवाट से अधिक के ३,३०० वोल्ट ए० सी० बिजली के लिये कम्पनी खास दर दे सकती है ।

अनुसूची संख्या ३

दि जनरल इंजीनियरिंग कम्पनी, जो कि वृन्दाबन में बिजली वितरण करती है द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरें

१ प्रकाश तथा पंखों के लिये

३८ पैसे प्रति यूनिट । निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट की छूट । कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली न्यूनतम चार्ज (minimum charge) निम्नलिखित हैं :

कनेक्टेड लोड	मिनिमम चार्ज
१००वाट तक के संस्थापनों के लिये	१ रु० प्रति मास
१०० वाट के ऊपर एवं ५०० वाट तक के संस्थापनों के के लिये	२ रु० प्रति मास
५०० वाट के ऊपर १ किलोवाट तक के लिये संस्थापनों के लिये १ किलोवाट से अधिक के संस्थापनों के लिये	३ रु० प्रति मास ५ रु० प्रति मास

२—हीटिंग तथा कुकिंग यंत्रों, इलेक्ट्रिकल रेफ्रीजेटर तथा अन्य २०० वाट रेटिंग तथा उसके ऊपर के अनौद्योगिक (non-industrial) यंत्रों के लिये

२० पैसे प्रति यूनिट ..	.. ..	निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट की छट
	.. ..	मिनिमम चार्ज की दर उसी प्रकार है जैसे कि प्रकाश तथा पंखों के लिये है।

३—औद्योगिक सप्लाई

(१). औद्योगिक सप्लाई के लिये फ्लेट रेट १२ पैसे प्रति यूनिट। निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर २ पैसे प्रति यूनिट की छूट । उपरोक्त रेट उस समय लागू होंगे जब कि स्लाइडिंग स्केल के अन्तर्गत रिबेट न प्राप्य हो ।

मिनिमम चार्ज—

मिनिमम चार्ज १ रु० प्रति माह प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित की दर से लिया जाता है।

(२) टू पार्ट टैरिफ

८ रुपया प्रति मास प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित तथा ६ पैसे यूनिट निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर २ पैसे प्रति यूनिट की छूट उपयोग की गई बिजली के बिल पर दी जायगी ।

३—वार्षिक स्लाइडिंग स्केल टैरिफ

(१) ५० बी० एच० पी० के नीचे के संस्थापनों के लिये :

यदि खपत १३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० से अधिक नहीं है	१३ पैसे प्रति यूनिट	१२-१/२ प्रति-शत छट

यदि खपत १,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० से अधिक है :		
१,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० के ऊपर		
पहले १,२०० यूनिटों के लिये ..	७ पैसे प्रति यूनिट	१२–१/२ प्रतिशत छट
अगले ९०० यूनिट प्रति वर्ष बी० एच० पी०	५ पैसे प्रति यूनिट	तदैव
शेष के लिये	३ पैसे प्रति यूनिट	तदैव

(२) ५० बी० एच० पी० से अधिक के संस्थापनों के लिये :

यदि खपत १,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० से अधिक नहीं है	१३ पैसे प्रति यूनिट	तदैव
यदि खपत १,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० से अधिक है :		
पहले १,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० ..	१० पैसे प्रति यूनिट	तदैव
१,३२० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० के ऊपर		
पहले १,२०० यनिटों के लिये	६ पैसे प्रति यूनिट	तदैव
अगले ९०० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० ..	४ पैसे प्रति यूनिट	तदैव
शेष ३४,२०० यूनिटों के ऊपर	२ पैसे प्रति यूनिट	तदैव

कम्पनी द्वारा इस टैरिफ के उपभोक्ताओं से १ रु० प्रति माह प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित मिनिमम चार्ज लिया जाता है । निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर १२–१/२ प्रतिशत की छूट दी जाती है ।

(३) स्पेशल रेट

७५ किलोवाट के ऊपर के संस्थापनों के लिये स्पेशल रेट लिया जाता है ।

(४) औद्योगिक व्यवसाय द्वारा प्रकाश तथा पंखों के लिये उपयोग की जाने वाली बिजली

(१) बड़े डाकखाने—ऐसे कारखाने जिनकी न्यूनतम मांग ७५ किलोवाट या उससे अधिक है और जिनका वार्षिक लोड फैक्टर ६० प्रतिशत होता है, उद्योग के लिये उपयोग किये गये कुल यूनिटों का १० प्रतिशत पंखे तथा प्रकाश के लिये पावर रेट पर ही उपयोग कर सकते हैं। १०% से अधिक के लिये निर्धारित रेट पर चार्ज किया जायगा ।

(२) सामयिक उद्योग (Seasonal Industries)

ऐसे उद्योग जो टू पार्ट टैरिफ के अनुसार बिजली लेते हैं और जिनकी न्यूनतम मासिक मांग ७५ किलोवाट है, उनके लिये प्रकाश तथा पंखों के लिये उपयोग की जाने वाली बिजली की दर १ आना प्रति यूनिट है। न्यूनतम चार्ज २० यूनिट प्रति किलोवाट प्रति मास की मांग पर २० यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से । प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग के लिये उपयोग किये गये कुल यूनिटों का १० प्रतिशत ही पंखे तथा प्रकाश के लिये इस दर पर उपयोग की जा सकती है । १० प्रतिशत से ऊपर के लिये प्रकाश तथा पंखे की निर्धारित रेट पर चार्ज किया जागगा । यह रेट केवल व्यवसाय के चलने की अवधि में ही उपलब्ध होगा ।

(३) औसत दर्जे के उद्योग (medium scale industries)।

ऐसे कारखानों के लिये जिनका कनेक्टेड लोड ५० हार्स पावर और १०० हार्स पावर के बीच में है पहले ५० यूनिट प्रति मास के लिये सामान्य प्रकाश तथा पंखों की दर पर बिजली दी जाती है और शेष १ आना ६ पाई प्रति यूनिट की दर पर दी जाती है। प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग के लिये उपयोग किये गये कुल यूनिटों का १० प्रतिशत ही पंखे तथा प्रकाश के लिये इस दर पर उपलब्ध है अन्यथा निर्धारित (standard) रेट लागू होंगे। टू पार्ट टैरिफ के उपभोक्ताओं को यह दर उसी समय उपलब्ध होगी जब कि उनका कनेक्शन चालू हो।

(४) लघु उद्योग (small scale industries)।

ऐसे कारखाने के लिये जिनका कनेक्टेड लोड ५० हार्स पावर से कम है पहले १० यूनिट के लिये सामान्य प्रकाश तथा पंखों की दर पर बिजली दी जायगी और शेष के लिये १ आना ६ पाई प्रति यूनिट की दर से पर प्रतिबन्ध यह है कि उद्योग के लिये उपयोग किये गये कुल यूनिटों का १० प्रतिशत ही पंखे तथा प्रकाश के लिये इस दर पर उपलब्ध है। १० प्रतिशत से अधिक पर निर्धारित (standard) रेट चार्ज होगा। टू पार्ट टैरिफ के उपभोक्ताओं को यह दर उसी समय उपलब्ध होगी जब कि उनका कनेक्शन चालू हो।

(५) अन्य प्रयोजनों के लिये

(१) बैट्री चार्जिंग तथा सिंगल फेस २३० वोल्ट सप्लाई के १ बी० एच० पी० तक के मोटरों के लिये।

२ आना ६ पाई प्रति यूनिट। निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ६ पाई प्रति यूनिट की छूट।

(२) सिनेमाटोग्राफ प्रोजेक्टरों तथा चलचित्रों यन्त्रों के लिये

४ आना ८ पाई प्रति यूनिट	.. ..	निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर १ आना प्रति यूनिट की छूट। मिनिमम चार्ज ५ रु०।

अनुसूची संख्या ४

सादाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, जो सादाबाद, जिला मथुरा में बिजली वितरण करती है, द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरें

१—प्रकाश तथा पंखों के लिये

४३ पैसे प्रति यूनिट। निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट छूट। कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली न्यूनतम चार्ज (minimum charge) निम्नलिखित हैं :

०.२५ किलोवाट तक	.. ..	१ रु० प्रति माह
०.५ किलोवाट तक	.. ..	२ रु० प्रति माह
०.५ किलोवाट से अधिक तथा १ किलोवाट से कम	..	३ रु० प्रति माह
१ किलोवाट से अधिक	..	५ रु० प्रति माह

२—डोमेस्टिक पावर

२८ पैसे प्रति यूनिट : निर्धारित समय के भीतर भुगतान किये जाने पर ३ पैसे प्रति यूनिट की छूट।

३—औद्योगिक प्रयोजनों के लिये ४०० वाल्ट १ बी० एच० पी० के ऊपर के मोटरों के लिये

(१) स्लाईडिंग स्केल :

प्रथम ५० यूनिट प्रति माह बी० एच० पी०	.. ..	१८ पैसे छूट प्रति यूनिट ३ पैसे प्रति यूनिट
अगले ५० यूनिट पर	.. ..	१५ पैसे प्रति यूनिट तदैव
१०० यूनिट के ऊपर	.. ..	१३ पैसे प्रति यूनिट तदैव

न्यूनतम चार्ज (मिनिमम चार्ज) ६०० यूनिट प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष

(१) टू पार्ट टेरिफ ।

७.५० रु० प्रति मास प्रति बी० एच० पी० प्रस्थापित तथा १० पैसे प्रति यूनिट की दर।
छूट ३ पैसे प्रति यूनिट

४—कृषि प्रयोजनों के लिये

१२ पैसे प्रति यूनिट : ३ पैसे प्रति यूनिट छूट ।

अनुसूची संख्या ५

मथुरा जिले के ग्रामीण क्षेत्र, जहां उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा बिजली दी जाती है, में उक्त परिषद् द्वारा ली जाने वाली दरें ।

१—प्रकाश तथा पंखों के लिये—

३८ पैसे प्रति यूनिट : छूट ३ पैसे प्रति यूनिट ।

२—घरेलू पावर बैटरी चार्जिंग सिनेमा प्रोजेक्टर तथा ड्राइविंग अप्रेटस यंत्र तथा छोटे मोटरों के लिये।

२२ पैसे प्रति यूनिट। छूट ३ पैसे प्रति यूनिट ।

४—इंडस्ट्रियल पावर (औद्योगिक बिजली) ।

(१) स्लाईडिंग स्केल—

	२० के० डब्लू० से अधिक तथा ५५ के० डब्लू० तक के संस्थापनों के लिये		२० के डब्लू तथा इसके कम के संस्थापनों के लिये	
	दर	छूट	दर	छूट
यदि खपत १५० यूनिट प्रति बी० एच० पी० प्रति मास से अधिक नहीं है	—	—	१४ पैसे प्रति यूनिट	२ पैसे प्रति यूनिट
शेष	१२ पैसे प्रति यूनिट	२ पैसे प्रति यूनिट		

	दर	छूट
यदि खपत २०० यूनिट प्रति के० डब्लू० मास से अधिक नहीं है ·	१३ पैस प्रति यूनिट	२ पैसे प्रति यूनिट
शेष	११ पैसे प्रति यूनिट	२ पैसे प्रति यूनिट

नोट---स्लाइडिंग स्केल तभी उपलब्ध होता है जब कि बिल में निर्धारित समय के भीतर भुगतान कर दिया जाता है ।

५---कृषि के लिये

(१) पानी खींचने के प्रयोजन के लिये

पहले १,२०० यूनिट प्रति वर्ष प्रति बी० एच० पी० १५० रुपये प्रति बी० एच० पी० प्रति वर्ष तथा ५.५ पैसे प्रति यूनिट ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२२ पर)

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का अनुमानित व्यय (लाख रुपयों में)
१	नगला ज्वालापुर और सिमलस ग्रान्ट में बाढ़ निरोधक कार्य, जिला देहरादून (रिवाइज्ड) ..	०.२६५	०.२६५
२	ग्राम ढेकुली, तहसील रामनगर, नैनीताल के बचाव कार्य	०.५५०	०.५५०
३	गोला नदी के बायें किनारे काठगोदाम के निकट बाढ़ निरोधक कार्य	०.५२४	०.५२४
४	बाजपुर बांध पर २, ३ एवं ४ मील पर मजबूत करने के कोसी नदी पर कार्य	७.६९०	७.६९०
५	किरावली ग्राम, नैनीताल में बाढ़ निरोधक कार्य ..	२.०३४	२.०३४
६	रामनगर कालोनी को बचाने के लिये बांध की योजना, जिला सहारनपुर	२.०७७	२.०७७
७	लंढोरा नाले पर रिमार्डलिंग कार्य, जिला सहारनपुर ..	२.७२४	२.७२४
८	सलावार नाले पर कार्यों का नवनिर्माण, जिला मुजफ्फर-नगर	५.७९०	५.७९०
९	सलावर नाले पर जिला मुजफ्फरनगर में बांध कार्य (८ का रिवाइज्ड प्रोजेक्ट)	१२.५२५	४.५००
१०	काली नदी बांध जिला बुलन्दशहर को ऊंचा एवं पक्का करना	११.३८०	११.३८०
११	उषेत बांध को हटाकर बनाना	१.४००	१.४००
१२	उषेत बांध पर ठोकरें बनाना	१०.६१३	१०.६१३
१३	गंगा महेवा बांध, बदायूं को हटा कर बनाना ..	२.०६५	२.०६५
१४	जिला बदायूं में पिपरौल बांध का निर्माण ..	०.१००	०.१००
१५	मथुरा जिले में बांसा ड्रेन का मील ५–५ तक निर्माण	१.०४४	०.१५९
१६	कोसी आरटीरियल ड्रेन, जिला मथुरा में नवनिर्माण ..	४७.७९०	१३.७९०
१७	पीलीभीत नगर में देवहा एवं खकरा से बाढ़ निरोधन (रिवाइज्ड)	८.५४४	८.५४४
१८	पीलीभीत नगर में देवहा से बाढ़ निरोधन कार्य ..	०.४८५	०.४८५

क्रमांक	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	तृतीय पंचवर्षीय योजना काल का अनुमानित व्यय (लाख रुपयों में)
१९	लखनऊ जिला में किला मोहम्मदी नगर ड्रेन का निर्माण	२.९०७	२.९०७
२०	जिला उन्नाव में श्रवन ड्रेन का निर्माण ..	२.०५९	२.०५९
२१	गोवर्धनपुर बांध पर जिला बस्ती में निर्माण कार्य (रिवाइज्ड)	४.१७०	४.१७०
२२	मलोनी बांध एवं होवर्ट बांध के बचाव के लिये राप्ती के कटाव से बचाने हेतु शोध कार्य (रिवाइज्ड) ..	०.३२५	० ३२५
२३	जिला आजमगढ़ में महोला गढ़वल बांध ग्राम गांगेपुर एवं दोहरीघाट के निकट हटाकर बनाना ..	२.३२३	२.३२३
२४	आजमगढ़ बचाने हेतु पूर्वी और नये बांध का निर्माण ..	४.६६५	२.५६३
२५	हनुमानगढ़ की जिला जौनपुर में गोमती पर मरम्मत. .	०.२१६	०.२१६
२६	आजमगढ़ एवं बलिया में हाहा नाले बांध पर रेगुलेटर. .	२.३२०	२.३२०
२७	गंगा के किनारे बलिया बैरिया बांध के बचाव कार्य ..	५.७६७	५.७६७
२८	जिला जालौन में काल्पी के निकट व्यास टीले का बचाव	०.५८३	०.५८३
	योग ..	९७.९२३	

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२६ पर)

सूची

प्रत्येक कार्य के प्रारम्भ तथा पूर्ण होने के विषय में और उसके प्राक्कलन के स्वीकृति के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न है।

(अ) सूरतगढ़ (बस्ती) के लिये बान गगा गेट---यह कार्य १९५३-५४ में आरम्भ हुआ और १९५७-५८ में समाप्त हुआ। इसका प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हुआ।

(ब) अपर खजूरी गेट---यह कार्य १९५८-५९ में आरम्भ हुआ और १९६१-६२ में पूर्ण हुआ, इसका प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है ।

(स) पी० डब्लू० डी० के १२० फीट के पुल---यह कार्य १९५९-६० में प्रारम्भ हुआ और १९६२-६३ में पूर्ण हुआ। इसका प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हुआ है।

(द) २३ अदद ६०' × २३' माता टीला गेट---यह कार्य १९६१-६२ में प्रारम्भ हुआ और १९६४-६५ में पूर्ण हुआ। इसका प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है।

(य) अन्डर स्लूस गेट नरोरा बांध के लिये---यह कार्य १९६३-६४ में आरम्भ हुआ और अभी तक चल रहा है। इसका प्राक्कलन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

(फ) रेगुलेटर गेट नरोरा बांध के लिये---यह कार्य १९६३-६४ में प्रारम्भ हुआ और अभी तक चल रहा है। इसका प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है।

(क) ३२' × ९' के दो गेट राप्ती इर्रीगेशन प्रोजेक्ट भरतपुर के लिये---यह कार्य १९६३-६४ में शुरू हो गया था और अभी चल रहा है। इसका प्राक्कलन स्वीकृत हो चुका है।

(ख) ३०' × १३' के गेट्स रनगंवा, नौगढ़ व सिरसी के लिये---यह कार्य १९५४-५५ में प्रारम्भ हुआ और १९५९-६० में समाप्त हुआ। इसके प्राक्कलन स्वीकृत हो चुके हैं।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २१९ एल० ए०---१९६३---८६२ ।